माध्यमिक स्कूल

पाठ्यचर्या

2011

मुख्य विषय
भाग-1

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092

माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या 2011

खण्ड-1

मुख्य विषय

वर्ष 2011 में होने वाली बोर्ड परीक्षा (कक्षा-X) के लिए
कक्षा-IX के शैक्षिक सत्र 2009-2010 से प्रभावी

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2 समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, विकास मार्ग
दिल्ली-110092

© **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड**

मार्च, 2010

प्रतियाँ : 3000

मूल्य : 55.00 रु.

टिप्पणी : बोर्ड के पास पाठ्यक्रम व पाठ्यविवरण में जब भी आवश्यक समझा जाए, संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित परीक्षा और शैक्षिक सत्र के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्य-पुस्तकों का कड़ाई से अनुपालन करें। किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

प्रकाशक : **सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,**
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार,
दिल्ली-110092

मुद्रक : नवप्रभात प्रिंटिंग प्रेस
A-123, सैक्टर A-4 ट्रोनिका सिटी (गाजि.)

पाठ्यचर्या को अद्यतन करना एक सतत प्रक्रिया है अतः बोर्ड प्रत्येक वर्ष संशोधित पाठ्यक्रम प्रकाशित करता है। विद्यालयों तथा किसी विशिष्ट वर्ष की बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण व पुस्तकों का अनुसरण करें। एक बार निर्धारित होने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं है। अतः समस्त संबंधितों को दृढ़ता से परामर्श दिया जाता है कि वे संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनी जानकारी व प्रयोग के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय से अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से खरीदें। अपेक्षित मूल्य तथा डाक खर्च की अपेक्षित राशि के साथ आदेश मुख्यालय के भंडारी/भंडार पालक (प्रकाशन) अथवा अंचल के क्षेत्रीय कार्यालय जैसी भी स्थिति हो को भेजा जा सकता है। पाठकों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस प्रकाशन के अंत में दिए गये विवरण को देख लें। क्षेत्रीय व विदेशी भाषाओं में पाठ्यक्रम और कोर्स, अलग से प्रकाशित खण्ड-2 में दिए गये हैं। यह भी एक समूल्य प्रकाशन है।

अनुक्रम

***भाग I* : पात्रता तथा अध्ययन की योजना**

1. परीक्षार्थियों की पात्रता 9
2. परीक्षा की योजना और उत्तीर्णता मानदंड 17
3. अध्ययन की योजना 23

***भाग II* : पाठ्यक्रम**

1. हिंदी पाठ्यक्रम–'ए' 29

   हिंदी पाठ्यक्रम–'बी' 38
2. English–Communicative 46

   English–Language and Literature 59
3. गणित 67
4. विज्ञान 76
5. सामाजिक विज्ञान 84
6. अतिरिक्त विषय 99
7. आंतरिक मूल्यांकन के विषय 128
8. पूर्व व्यावसायिक शिक्षा 128
9. कार्य शिक्षा 130
10. कला शिक्षा 144
11. शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा 152
12. विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के लिए ढांचा 160

    विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान–1

    अन्य सूचना

खण्ड-1

पात्रता एवं अध्ययन की योजना

1. परीक्षार्थियों की पात्रता

विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश, विद्यार्थियों का स्थानांतरण/प्रव्रजन (माइग्रेशन)

1. प्रवेश : सामान्य शर्तें

1.1. 'विद्यालय' में किसी भी कक्षा में प्रवेश चाहने वाला विद्यार्थी कक्षा में प्रवेश के लिए केवल तभी पात्र होगा/होगी, यदि जब वह

(i) भारत में माध्यमिक शिक्षा के किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त अथवा उससे संबद्ध विद्यालय में पढ़ रहा हो;

(ii) उसने ऐसी अर्हक अथवा समकक्ष अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण की हो जो उसे उस कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र बनाती हो;

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा (न्यूनतम तथा अधिकतम) अपेक्षाओं को पूरा करता हो और उस स्थान पर लागू हो जहाँ विद्यालय स्थित है।

(iv) निम्नलिखित को प्रस्तुत करे

(क) पिछली संस्था के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र;

(ख) अर्हक अथवा समकक्ष अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण होने के समर्थन में उसका दस्तावेज; और

(ग) जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रार जहाँ कहीं विद्यमान हो, द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र।

स्पष्टीकरण

(क) ऐसे व्यक्ति को जो किसी ऐसी संस्था में अध्ययन कर रहा हो, जो इस बोर्ड अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड द्वारा अथवा संबंधित स्थान के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हो ऐसी संस्था में पहले अध्ययन के प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) 'अर्हक परीक्षा' का अर्थ है एक ऐसी परीक्षा जिसके उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी एक विशेष कक्षा में प्रवेश करने का पात्र बनता हो और 'समकक्ष परीक्षा' का अर्थ है माध्यमिक शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा अथवा ऐसे बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबंद्ध अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा जिसे इस बोर्ड द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा की मान्यता दी गई हो अथवा इस बोर्ड से संबद्ध किसी 'विद्यालय' द्वारा यह परीक्षा ली गई हो।

1.2. इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय को छोड़कर विदेश में एक विद्यालय से प्रवजन करने वाला कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि इस बोर्ड से ऐसे विद्यार्थी के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया हो। बोर्ड से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, जहां प्रवेश लेना है, उस विद्यालय का प्रधानाचार्य मामले का पूरा विवरण तथा अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ संगत दस्तावेज बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। पात्रता प्रमाणपत्र बोर्ड

द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब बोर्ड संतुष्ट हो जाता है कि अध्ययन का पाठ्यक्रम और उत्तीर्ण परीक्षा इस बोर्ड की सदृश कक्षा के समकक्ष है।

1.3. ऐसे व्यक्ति को इस बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो निष्कासन की सजा के अधीन हो अथवा बोर्ड/विश्वविद्यालय/विद्यालय से निष्कासित किया गया हो अथवा किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कारण से परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया गया हो।

1.4. किसी भी विद्यार्थी को किसी भी विद्यालय में किसी अगली उच्च कक्षा में प्रवेश अथवा प्रोन्नति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने शैक्षिक सत्र के आरंभ में जिस कक्षा में प्रवेश लिया था, उस कक्षा के अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लिया हो, और संबंधित शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर उसने वह परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो, जिसके आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति के लिए उसकी योग्यता बनती हो।

1.5. के.मा.शि.वो के अध्यक्ष/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा अधिनियम में परिभाषित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विद्यार्थी को अगस्त के 31वें दिन के बाद बोर्ड के साथ संबद्ध विद्यालय में कक्षा नौवीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 31 अगस्त के बाद प्रवेश की अनुमति के लिए अपरिहार्य कारणों का विशेष उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से दिया जाएगा। परीक्षा के लिए उसे पात्र बनाने के लिए बोर्ड की परीक्षा उपविधि के अनुसार अभ्यर्थी को कक्षा IX तथा X के लिए उपस्थिति की अपेक्षित प्रतिशतता पूरी करनी होगी। ऐसे मामलों में जहां बोर्ड द्वारा परिणाम देरी से घोषित किए जाने के कारण अभ्यर्थी उच्चतर कक्षा में नियत तिथि तक प्रवेश नहीं ले सका तो ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थी ने परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर प्रवेश के लिए आवेदन किया हो।

2. प्रवेश : विशिष्ट अपेक्षाएं

2.1. कक्षा VIII तक (अर्थात् कक्षा VIII और उससे नीचे) के प्रवेश को उस विद्यालय के स्थान पर लागू राज्य/संघ शासित सरकार के आदेशों, विनियमों, नियमों द्वारा विनियंत्रित किया जाएगा।

2.2. विद्यालय में कक्षा IX के लिए प्रवेश केवल ऐसे विद्यार्थी को दिया जाएगा जिसने इस बोर्ड अथवा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से संबद्ध संस्था से कक्षा VIII की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा जिस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ऐसी संस्था स्थित है, वहाँ के सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा इसे मान्यता दी गई हो।

कक्षा X में प्रदेश

2.3. क्योंकि माध्यमिक स्तर पर निर्धारित पाठ्यक्रम दो वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम है, कक्षा X में सीधे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परंतु विद्यालय में कक्षा X में प्रवेश ऐसे विद्यार्थी के लिए खुला रहेगा जिसने

(क) कक्षा IX के लिए अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो;

(ख) बोर्ड से संबद्ध संस्था की कक्षा IX की परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और

(ग) ऐसे विद्यार्थी को जिसने कक्षा IX के लिए अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा किया हो और इस बोर्ड से अथवा भारत में किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध/मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा IX की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, विद्यालय में कक्षा X में तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब उसके माता-पिता का स्थानान्तरण हुआ हो अथवा उसका परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली हुआ हो तथा विद्यार्थी ने संबंधित बोर्ड के शिक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाणपत्र और अंक तालिका प्रस्तुत की हो।

ऐसे प्रवेश के मामले में विद्यार्थी के प्रवेश लेने के एक माह के अंदर विद्यालय को बोर्ड से कार्योत्तर अनुमोदन लेना होगा।

3. प्रवेश प्रक्रिया

(i) संबंधित राज्य सरकार/केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति जो भी हो, द्वारा निर्धारित रूप में 'विद्यालय' द्वारा प्रवेश रजिस्टर का रख-रखाव किया जाएगा जिसमें 'विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का नाम दर्ज किया जाएगा।

(ii) विद्यार्थियों को उनके प्रवेश लेने पर क्रमांक संख्या आबंटित की जाएगी और प्रत्येक विद्यार्थी की विद्यालय में रहने के संपूर्ण समय के दौरान यह क्रमांक संख्या बनी रहगी। किसी अवधि में अनुपस्थिति के बाद यदि विद्यार्थी विद्यालय में लौटता है तो उसकी मूल प्रवेश संख्या पुनः ग्रहण की जाएगी।

(iii) यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में पढ़ा हो, तो प्रवेश रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करने से पहले उसके पिछले विद्यालय से परीक्षा उपनियमों में दिए गए प्रारूप में विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए।

(iv) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के अनुसार विद्यार्थी जिस कक्षा के लिए हकदार है उससे उच्च कक्षा में किसी भी मामले में विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(v) बोर्ड की परीक्षा के लिए विद्यार्थी का नाम भेज दिए जाने के बाद सत्र के दौरान उसे एक 'विद्यालय' से दूसरे में प्रव्रजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस शर्त में छूट केवल विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा ही दी जा सकती है।

(vi) सत्र के अंत में अपना विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी को अथवा जिसे सत्र के दौरान विद्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है, सभी देय धन राशियों का उस विद्यार्थी को भुगतान करने पर विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि दी जाएगी। अनुलिपि भी जारी की जा सकती है यदि संस्था के अध्यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं कि मूल प्रति खो हो गई है किंतु उसके ऊपर 'दूसरी प्रतिलिपि' अवश्य अंकित किया जाएगा।

(vii) यदि एक विद्यार्थी बोर्ड की ऐसी संस्था से जो बोर्ड से संबद्ध नहीं हो बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा उपनियमों में दिए गए प्रारूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(viii) यदि विद्यार्थी के माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा स्वयं विद्यार्थी द्वारा, यदि विद्यालय में प्रवेश के समय विद्यार्थी वयस्क हो, विद्यार्थी के कैरियर से संबंधित दिए गए विवरण में तथ्यों को जानबूझकर गलत रूप में दिखाया गया पाया जाए तो संस्था का प्रमुख राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा अधिनियम या केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति की नियमावली के उपबंधों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, उसे सजा दे सकता है और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को दी जाए।

4. परीक्षाओं में प्रवेश

सामान्य :

ऐसे किसी भी विद्यार्थी को जिसे किसी कारण से निष्कासित किया गया हो अथवा सजा अधीन हो अथवा विद्यालय से निकाला गया हो या किसी परीक्षा में शामिल होने से रोका गया हो, बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

5. परीक्षा देने के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ

अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए एक परीक्षार्थी को

(क) बोर्ड अथवा किसी संबद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालय से मिडिल (माध्यमिक) विद्यालय परीक्षा (कक्षा VIII) उत्तीर्ण होना चाहिए और यह परीक्षा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X) वाले वर्ष से कम से कम दो वर्ष पहले उत्तीर्ण होनी चाहिए,

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक विषय में ग्रेड 'ई' से उच्चतर ग्रेड अर्जित करना चाहिए; और

(ग) अध्ययन योजना में निर्धारित अपेक्षा के अनुसार तीसरी भाषा उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. परीक्षाओं के लिए प्रवेश : नियमित उम्मीदवार

अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में ऐसे नियमित उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने संबंधित परीक्षा में प्रवेश के लिए अपना आवेदन पत्र विधिवत् प्रस्तुत किया हो और/अथवा उसका नाम बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके में पंजीकृत हो और साथ में संस्था/विद्यालय के प्रधान द्वारा निर्धारित शुल्क परीक्षा नियन्त्रक को भेजी हो तथा ऐसे प्रधान द्वारा निम्नलिखित रूप में विधिवत् प्रमाणित करा कर भेजा हो कि

(i) उसके पास परीक्षा उपनियमों में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं हैं,

(ii) उसने अन्य किसी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की समकक्ष अथवा उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है;

(iii) वह विद्यालय की सक्रिय नामावली में है;

(iv) उसने विद्यालय में उन विषयों में परीक्षा उपनियमों में निर्धारित और परिभाषित अध्ययन का नियमित अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, जो उस पर लागू होते हैं।

(v) उसका चरित्र और आचरण अच्छा है; और

(vi) वह उस पर लागू, परीक्षा उपनियमों के सभी अन्य प्रावधानों और संबंधित परीक्षा में प्रवेश को नियन्त्रित करने वाले बोर्ड द्वारा बनाये गए अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, को पूरा करता है।

6.1. (i) बोर्ड से संबद्ध प्रत्येक विद्यालय के लिए अनिवार्य है कि वह बोर्ड के परीक्षा उपनियमों का पूर्णतः अनुसरण करे।

(ii) बोर्ड की किसी भी परीक्षा के लिए कोई भी संबद्ध विद्यालय न तो ऐसे परीक्षार्थियों को जो उनके रजिस्टर में नामांकित में नहीं है, प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा न ही वह अपनी असंबद्ध शाखा/विद्यालय के अभ्यर्थी को प्रस्तुत करेगा।

(iii) बोर्ड के पास विश्वास करने का कारण हो कि संबद्ध विद्यालय इस धारा की उपधारा (i) तथा (ii) का पालन नहीं कर रहे हैं, बोर्ड दण्ड का सहारा लेगा जैसा उचित हो।

7. अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम

7.1. (i) परीक्षा उपनियमों में उल्लिखित अभिव्यक्ति 'अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम' से आशय है कक्षा XI/XII, में यथास्थिति शिक्षण कार्य आरंभ होने के दिन से गिनती करके विद्यालय/बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने वाले माह

से पहले आने वाले माह की प्रथम तिथि तक आयोजित कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति हो। जिन परीक्षार्थियों ने ऐसे विषय लिये हैं, जिनमें प्रयोगिक शामिल हो, उनकी प्रयोगशाला में विषय से सबंधित प्रयोगात्मक कार्य की कुल उपस्थिति में से न्यूनतम 75% उपस्थिति दर्ज करनी अपेक्षित होगी। संस्थानों के प्रधान, ऐसे परीक्षार्थी को जिसने ऐसा विषय लिया है/लिये हैं, जिसमें/जिनमें प्रयोगात्मक शामिल हैं तब तक प्रयोगात्मक परीक्षा (ओं) में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे जब तक परीक्षार्थी उपस्थिति के संबंध में इस नियम में दी गई अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता।

(ii) जो परीक्षार्थी पिछले वर्ष की इसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा हो और जिसने कक्षा IX/X में फिर से प्रवेश लिया हो, उसके लिए उस परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किए जाने के बाद के माह की प्रथम तिथि से गणना करके विद्यालय/बोर्ड की परीक्षा आरंभ होने वाले महीने से पूर्व माह की प्रथम तिथि तक संभावित उपस्थिति में से 75% उपस्थिति पूरी करनी आवश्यक होगी।

(iii) अन्य संस्थानों से प्रवजन के मामले में उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/विद्यालय जहां से परीक्षार्थी प्रवजन करता है, में दर्ज उपस्थिति को भी उपस्थिति के अपेक्षित प्रतिशत की गणना में जोड़ा जाएगा।

7.2. आंतरिक मूल्यांकन के विषयों में आवश्यकता उपस्थिति

(i) बोर्ड से संबद्ध किसी विद्यालय का कोई भी विद्यार्थी परीक्षा देने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि उसकी उपस्थिति 75% न हो और यह उपस्थिति कक्षा IX/X के आरंभ होने की तिथि से आंतरिक मूल्याकंन वाले विषयों की परीक्षा आरंभ होने वाले माह से पहले आने वाले माह की प्रथम तिथि तक गिनी जाएगी।

(ii) परीक्षार्थी को कार्य अनुभव कला शिक्षा/शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा से चिकित्सीय आधार पर छूट प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि कम से कम सहायक सर्जन के स्तर के पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन किया गया हो तथा इसे विद्यालय के प्रधान द्वारा सिफारिशों के साथ अग्रेषित किया गया हो।

(iii) आंतरिक मूल्यांकन वाले विषयों के संबंध में उपस्थिति की कमी को माफ करने का अधिकार अध्यक्ष (चेयरमैन) के पास होगा।

8. उपस्थिति में कमी कि संबंध में माफ करने के नियम

(i) यदि किसी परीक्षार्थी की उपस्थिति निर्धारित प्रतिशत से कम होती है तो विद्यालय प्रधान उस परीक्षार्थी का नाम अस्थाई तौर पर बोर्ड को भेज सकता है। यदि परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह के भीतर भी परीक्षार्थी की उपस्थिति अपेक्षित प्रतिशत से कम है तो संस्थान के प्रधान द्वारा इस मामले की जानकारी तुरंत संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को दी जाएगी। यदि संस्थान के प्रधान के अभिमत के अनुसार परीक्षार्थी का मामला विचारणीय है, तो वे इसकी सिफारिश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से उपस्थिति की कमी को माफ कराने के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को परीक्षा आरंभ से कम से कम तीन सप्ताह पहले प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष जैसा उचित समझेंगे वैसा आदेश देंगे। विद्यालय का प्रधान उपस्थिति में कमी को माफ करने के अपने अनुरोध पत्र में विद्यार्थी द्वारा दर्ज की गई अधिकतम संमजित उपस्थिति का उल्लेख करेंगे। उपस्थिति की गणना कक्षा X का शिक्षण आरंभ होने की तिथि (सत्र के आरंभ) से करके, बोर्ड की परीक्षा होने वाले माह से पहले आने वाले माह की प्रथम तिथि तक की जाएगी। उक्त अवधि के दौरान ऐसे परीक्षार्थी की उपस्थिति की प्रतिशतता भी दी जाए।

(ii) केवल 15% तक की कमी को अध्यक्ष द्वारा माफ किया जाएगा। कक्षा X में 60% से कम की उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के मामले पर अध्यक्ष द्वारा केवल चिकित्सा आधार पर विशिष्ट असाधारण परिस्थितियों में विचार किया जाएगा यदि परीक्षार्थी कैंसर, एड्स, टी.बी. जैसे गंभीर रोग से ग्रस्त हो अथवा उसे ऐसी चोट लगी हो जिसमें लम्बी अवधि के लिए अस्पताल में रहना अपेक्षित हो।

(iii) उपस्थिति में कमी के मामले में माफी से संबंधित मामलों को प्रधानाचार्य या तो अपनी सिफारिशों के साथ अथवा मामले पर सिफारिश न करने के वैध कारणों के साथ उक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर बोर्ड को भेजेंगे।

(iv) निर्धारित प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों के मामलों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित को वैध कारण माना जाएगा

(क) लम्बी बीमारी;

(ख) माता/पिता की मृत्यु अथवा ऐसी अन्य कोई घटना जिसके कारण वह अनुपस्थित रहा हो और जो विशेष विचार किए जाने के लिए उपयुक्त हो;

(ग) सदृश गंभीर प्रकृति का अन्य कोई कारण।

(घ) प्रायोजित खेल-कूद प्रतियोगिताएं जो अंतर विद्यालय स्तर से कम न हो, में प्राधिकृत प्रतिभागिता और एन.सी.सी/एन.एस.एस. कैम्प ऐसी प्रतियोगिताओं को यात्रा के दिनों सहित पूर्ण उपस्थिति माना जाएगा।

9. पात्र परीक्षार्थियों को रोकना

संबद्ध विद्यालयों के प्रधान किसी भी मामले में पात्र परीक्षार्थियों को बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने से नहीं राकेंगे।

10. प्राइवेट परीक्षार्थी

परिभाषा : परीक्षा उपनियमों को देखें।

10.1 दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने के लिए पात्र व्यक्ति : बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में निम्नलिखित श्रेणी के परीक्षार्थी नीचे उल्लिखित शर्तों पर संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यविवरण तथा पाठ्यक्रम में बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने के लिए पात्र होंगे

(क) जो परीक्षार्थी बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे;

(ख) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक संस्थानों में सेवारत अध्यापक;

(ग) (i) महिला परीक्षार्थी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वास्तविक निवासी हैं और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें पूरी करती हैं :

(क) कि उन्होंने उचित दिशा निर्देशन के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम का प्राइवेट तौर पर अनुसरण किया है; और

(ख) वे बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो अथवा अन्य ऐसे कारण जो उन्हें परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने के लिए बाध्य करते हैं।

(ii) ऐसी महिला विद्यार्थी को जिसने पूर्व स्तर पर या कक्षा में ही विद्यालय छोड़ दिया था उस वर्ष से पूर्व वर्ष में, जिसमें वह परीक्षा दे रही होती, यदि उसने माध्यमिक परीक्षा तक किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अपना अध्ययन जारी रखा होता, निजी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों की सामान्य संस्थान में ऐसे विषयों में जिनमें प्रयोगात्मक प्रशिक्षण परीक्षा शामिल नहीं है में उपस्थित होने में कठिनाई होने के समुचित सबूत प्रस्तुत करने पर।

(ड) नियम 20 (इ) पिछले वर्ष के ऐसे नियमित उम्मीदवार जिसने (जिन्होंने) अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तथा जिन्होंने परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुक्रमांक आबंटित कर दिया गया है, किंतु जैसा कि परीक्षा उपनियमों निर्धारित है के अनुसार उपस्थिति में कमी को छोड़कर चिकित्सा कारणों से वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, वे भी उतरवर्ती परीक्षा में उस वर्ष की परीक्षा जिसमें वे शामिल होंगे के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के अनुसार निजी परीक्षार्थी के रूप में पुनः शामिल होने के लिए पात्र हैं।

10.2 अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में बैठने के लिए पात्र व्यक्ति :

(i) बोर्ड की अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में पुनः शामिल होने के लिए पात्र होगा। अनुत्तीर्ण कोई उम्मीदवार उत्तरवर्ती परीक्षा लेकिन उसे उस वर्ष की परीक्षा जिसमें वह पुनः शामिल होगा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का ही अध्ययन करना होगा जिस वर्ष वह परीक्षा में पुनः शामिल हो रहा/रही है।

(ii) बोर्ड से संबद्ध शैक्षिक संस्थानों में सेवारत अध्यापक।

(iii) नियम 21(iii) पूर्व वर्ष के ऐसे नियमित उम्मीदवार जिन्होंने अध्ययन का नियमित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और जिन्हें परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुक्रमांक आवंटित कर दिया गया है किंतु परीक्षा उपनियम में निर्धारित अनुसार उपस्थिति में कमी को छोड़कर चिकित्सा कारणों से वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं, वे भी उत्तरवर्ती परीक्षा में प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में पुनः शामिल होंगे।

11. अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(i) अध्यापकों के लिए आवेदन पत्रों पर संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा निदेशक प्रति हस्ताक्षर करेंगे और अन्यों के आवेदन पत्रों पर बोर्ड के शासी निकाय के सदस्यों अथवा बोर्ड से संबद्ध संस्थानों के प्रधान के प्रति हस्ताक्षर होंगे।

(ii) एक प्राइवेट परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क और परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षरित और ऊपर (i) में उल्लिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के तीन फोटोग्राफ के साथ निर्धारित रूप में आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए।

(iii) यदि प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होता है तो उसे निर्धारित विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) जब किसी प्राइवेट परीक्षार्थी का आवेदन-पत्र परीक्षा में प्रवेश के लिए अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा अदा की गई परीक्षा शुल्क और विलंब शुल्क, यदि कोई हो, में से रु. 10/अदा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि काट कर शेष धन राशि उसे वापिस लौटाई जाएगी परन्तु ऐसे विद्यार्थियों के मामले में जिनके आवेदन पत्र जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा आवेदन पत्र में गलत विवरण देने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए हों, शुल्क की पूरी धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(v) वे नियमित उम्मीदवार जो बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालय की कक्षा X में प्रोन्नति प्राप्त करने में असफल हो गए हों, उन्हें बोर्ड की दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(vi) प्रत्येक वर्ष सत्र के आरंभ में विद्यालय के प्रधान क्षेत्रीय अधिकारी, दिल्ली को महिला और विकलांग विद्यार्थियों की एक सूची भेजेंगे जिन्हें कक्षा IX में रोका गया है, और उस सूची में विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि उसके पिता अथवा अभिभावक का नाम तथा निवास के स्थान का उल्लेख होगा।

(vii) महिला प्राइवेट परीक्षार्थी को प्रायोगिक कार्य के साथ विज्ञान विषय लेने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उन्होंने बोर्ड से संबद्ध किसी संस्था में नियमित पाठ्यक्रम पूरा न किया हो और बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया हो। तथापि, इस शर्त के होते हुए भी ऐसे प्रमाण-पत्र के बिना भी उन्हें प्रायोगिक कार्य के साथ गृह-विज्ञान विषय दिया जा सकता है।

(viii) प्राइवेट अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा के लिए ऐसा विषय (भले ही परीक्षा के लिए वह विषय मान्यता प्राप्त हो) लेने की अनुमति नहीं होगी जो संबद्ध संस्थानों में नहीं पढ़ाया जा रहा हो।

2. परीक्षा की योजना और उत्तीर्णता मानदंड

2.1 सामान्य शर्तें

(i) बोर्ड द्वारा संचालित अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के लिए परीक्षा योजना और उत्तीर्णता मानदंड समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे।

(ii) कक्षा IX की परीक्षा स्वयं विद्यालयों द्वारा आंतरिक रूप से संचालित की जाएगी।

(iii) कक्षा X की समाप्ति पर बोर्ड बाह्य परीक्षाओं का संचालन करेगा।

(iv) कक्षा X की परीक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा X के लिए समय-समय पर निर्धारित पाठ्यविवरण पर आधारित होगी।

(v) प्रश्नपत्रों की संख्या, परीक्षा की अवधि और प्रत्येक विषय/प्रश्नपत्र के लिए परीक्षा का समय और अंक वार्षिक पाठ्यचर्या में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(vi) परीक्षा सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों रूपों में संचालित होगी जो विषय (यों) की प्रकृति पर निर्भर होगी और आबंटित अंक/ग्रेड पाठ्यचर्या में किये गए निर्धारण के अनुसार दिये जाएंगे।

(vii) अंक/ग्रेड प्रत्येक विषय के लिए दिए जाएंगे और कुल अंक नहीं दिए जाएंगे।

2.2 श्रेणीकण (ग्रेडिंग)

(i) बाह्य विषयों में सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन अंक प्राप्ति के आधार पर किया जाएगा। अंक प्राप्ति के अतिरिक्त, बाह्य परीक्षाओं के विषयों के मामले में परीक्षार्थियों को जारी अंक तालिका में ग्रेड भी दिये जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन विषयों के मामले में केवल ग्रेड दिखाए जाएंगे।

(ii) बाह्य परीक्षाओं के विषयों के लिए नौ-बिंदु पैमाने पर अक्षर श्रेणी का प्रयोग किया जाएगा। तथापि, कक्षा X में आंतरिक परीक्षा के विषयों के लिए मूल्यांकन पांच-बिंदु मान अर्थात् एबीसीडी तथा ई पर किया जाएगा।

(iii) बोर्ड की परीक्षा के विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन के विषयों के मामले में वे विद्यालयों द्वारा प्रदान किये जाएंगे।

(iv) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में अर्हता अंक 33% होंगे।

(v) ग्रेड प्रदान करने के लिए बोर्ड सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों की रैंक क्रम में रखेंगे और निम्नलिखित अनुसार ग्रेड देंगे

ए-1	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में सबसे ऊपर के 1/8 छात्रों को
ए-2	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में इससे निचले 1/8 छात्र
बी-1	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में इससे निचले 1/8 छात्र
बी-2	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में इससे निचले 1/8 छात्र
सी-1	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में इससे निचले 1/8 छात्र
सी-2	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में इससे निचले 1/8 छात्र

डी-1	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में इससे निचले 1/8 छात्र
डी-2	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में इससे निचले 1/8 छात्र
इ	अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी

टिप्पणी

(क) बराबर अंकों को प्राप्त करने वाले अर्थात् टाई को समायोजित करने के लिए परीक्षार्थियों के अनुपात में छोटे-मोटे परिवर्तन किए जाएंगे।

(ख) टाई होने के मामले में बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी समकक्ष ग्रेड प्राप्त करेंगे। यदि स्कोर बिंदु पर विद्यार्थियों की संख्या को दो खण्डों में विभाजित करने की आवश्यकता हो, तो छोटे खंड वाले परीक्षार्थी बड़े खंडवाले परीक्षार्थी की भांति ही ग्रेड प्राप्त करेंगे।

(ग) ग्रेड प्रणाली का उपयोग उन विषयों में किया जाएगा जहां उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की संख्या 500 से अधिक हो।

(घ) ऐसे विषयों के संबंध में जहां विषय उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या 500 से कम हो, वहाँ पर अन्य ऐसे विषयों में ग्रेडिंग और वितरण की पद्धति के अनुसार ग्रेडिंग की जाएगी।

2.3 योग्यता प्रमाण पत्र

(i) विषय उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों के सबसे ऊपर के 0.1% परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में बोर्ड द्वारा उत्कृष्ट योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे, बशर्ते कि उन्होंने बोर्ड के उत्तीर्णता मानदंड के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) किसी विषय में उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र की संख्या, उस विषय में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या को हजार के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा। यदि विषय को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 500 से कम है तो कोई योग्यता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(iii) बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के मामले में यदि एक विद्यार्थी उत्कृष्टता योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

2.4 परीक्षा की योजना

(i) निम्नलिखित विषयों में मूल्यांकन पांच-बिंदुपैमाने (अर्थात् ए.बी.सी.डी. तथा इ.) पर ग्रेड के शर्तों में स्वयं विद्यालयों द्वारा किया जाएगा।

- कार्य अनुभव
- कला शिक्षा
- शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा

(ii) आंतरिक मूल्यांकन के विषयों के लिए मूल्यांकन विद्यार्थी के विद्यालय में सतत मूल्यांकन के दौरान किए गए संचयी रिकार्ड पर आधारित होगा।

(iii) विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा प्रगति का नियमित रूप से रिकार्ड रखें। बोर्ड द्वारा इस रिकार्ड की संमीक्षा जब भी उचित समझें, की जएगी बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार कक्षा X के अंत में विद्यालय आधारित मूल्यांकन के प्रमाण-पत्र विद्यालयों द्वारा जारी किए जाएंगे।

(iv) अध्ययन के शेष विषयों, जिनका उल्लेख उपधारा (i) में नहीं है की जांच बोर्ड द्वारा बाहर से की जाएगी। प्रश्नपत्रों, अंकों तथा अवधि का विवरण नीचे दिया गया है

क्र.सं.	विषय	प्रश्न पत्रों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
1.	भाषा I	1	100	3 घंटे
2.	भाषा II	1	100	3 घंटे
3.	गणित 1	80**	3 घंटे	
4.	विज्ञान	1 (सैद्धान्तिक)*	60	2½ घंटे
5.	विज्ञान (प्रयोगात्मक दक्षता)	1 (बहुविधि चयन प्रकार)	20	1½ घंटे
6.	सामाजिक विज्ञान	1	80**	3 घंटे
7.	अतिरिक्त विषय			
	(i) वाणिज्य (व्यवसाय के तत्व अथवा बहीखाता लेखन तथा लेखाशास्त्र के तत्व अथवा हिंदी टंकण या अंग्रेजी टंकण	1	100/25*	3 घंटे
	(ii) पेंटिंग	1	100	3 घंटे
	(iii) संगीत	1 (सैद्धान्तिक)*	25	2 घण्टे
	(iv) गृह-विज्ञान	(1 सैद्धान्तिक)*	75	3 घंटे
	(v) इन्ट्रोडक्ट्री इन्फोरमेशन टैक्नोलोजी	1 (सैद्धान्तिक)*	40	3 घंटे

** 20 (बीस) अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए नियत है।

टिप्पणी

1. विज्ञान (20 अंक), संगीत (75 अंक), गृह-विज्ञान (25 अंक), इन्ट्रोडक्ट्री इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी (60 अंक) परीक्षा और वाणिज्य विषय के अंतर्गत एक वैकल्पिक विषय के रूप में टंकण परीक्षा (75 अंक) में प्रायोगिक कार्य विद्यालय द्वारा ली जाएगी और प्राप्तकों के बारे में बोर्ड को सूचित किया जाएगा। उपलब्ध विकल्पों तथा अंकों के बारे में और जानकारी के लिए संबंधित विषय के पाठ्यक्रम को देखें।
2. सामाजिक विज्ञान तथा अंकगणित में 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए नियत किए गए हैं जो बोर्ड द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे।
3. मान्यता प्राप्त विद्यालयों से विद्यार्थी जिन्हें शारीरिक विकृति है अथवा कार्य शिक्षा शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा तथा कला शिक्षा में भाग लेने में असमर्थ हो, उन्हें संस्थान के प्रधान की सिफारिश पर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक मामले के महत्व के आधार पर छूट प्रदान की जा सकती है। छूट के लिए निवेदन के साथ कम से कम सहायक सर्जन के रैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. प्राइवेट/पत्राचार विद्यालय तथा प्रौढ़ विद्यालय द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन के विषय में छूट दी जाएगी।

5. सभी संबद्ध संस्थानों के प्रमुखों से अपेक्षित है, कि जो विद्यार्थी 10 वर्ष के अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे उनके सतत तथा व्यापक मूल्यांकन के आधार पर सह-ज्ञानात्मक और सीखने के अन्य संबंधित विषय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी करें।

2.4.1 उत्तीर्णता मानदंड

(i) एक परीक्षार्थी बोर्ड का उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि वह आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में 'ई' से उच्च ग्रेड प्राप्त करता है जब तक कि उसे इनके लिए छूट न दी गई हो। ऐसा न होने पर, बाह्य परीक्षा का परिणाम रोक दिया जाएगा परंतु इसकी अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी।

(ii) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करने के उद्देश्य से परीक्षार्थी को बोर्ड की मुख्य परीक्षा के सभी पांचों विषयों में अथवा अनुपूरक परीक्षाओं में ई. से उच्च ग्रेड (न्यूनतम 33% अंक) प्राप्त करना होगा। बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे।

(iii) कोई समग्र श्रेणी/विशिष्टता/संपूर्ण योग नहीं दिया जाएगा।

(iv) अतिरिक्त विषय लेने वाले परीक्षार्थी के संबंध में निम्नलिखित मानक लागू होंगे

(क) अतिरिक्त विषय के रूप में ली गई एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा ली जा सकती है, यदि परीक्षार्थी उसमें अनुत्तीर्ण रहता हो बशर्ते कि प्रतिस्थापन के बाद परीक्षार्थी ने अंग्रेजी/हिंदी में से एक भाषा ली हो, और

(ख) प्रतिस्थापन अध्ययन की योजना में निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा।

(v) आंतरिक परीक्षा के एक अथवा अधिक विषयों में छूट प्राप्त परीक्षार्थी बाह्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे और उत्तीर्णता मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा करने पर ही परिणाम घोषित किया जाएगा।

(vi) कक्षा IX परीक्षा उत्तीर्ण घोषित करने के लिए एक परीक्षार्थी को सभी विषयों में 33% अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे।

2.4.2 अनुपूरक परीक्षा के लिए पात्रता

यदि कोई परीक्षार्थी एक बाह्य परीक्षा के पांच विषयों में से दो में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे उन विषयों की अनुपूरक (कम्पार्टमेंट) परीक्षा देनी होगी, बशर्ते कि वह आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो।

2.5 अनुपूरक परीक्षा

(i) अनुपूरक घोषित परीक्षार्थी उसी वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित होने वाली अनुपूरक परीक्षा में पुनः शामिल हो सकता है और वह अगले वर्ष मार्च/अप्रैल में दूसरा अवसर तथा जुलाई/अगस्त में तीसरा अवसर ले सकता/सकती है। और उत्तरवर्ती अगले वर्ष मार्च/अप्रैल में चौथे अवसर तथा जुलाई/अगस्त में पांचवें अवसर का उपयोग कर सकता/सकती है। परीक्षार्थी को 'उत्तीर्ण' घोषित किया जाएगा बशर्ते कि वह अनुपूरक विषयों में अर्हता प्राप्त कर लेता है, जिनमें वह अनुत्तीर्ण था/थी।

(ii) ऐसा परीक्षार्थी जो अनुपूरक के एक अथवा सभी अवसरों में शामिल नहीं होता अथवा अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण के अनुसार बोर्ड की उत्तरवर्ती वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पुनः शामिल होगा। 'मुख्य परीक्षा' में प्राप्त परीक्षार्थी के प्रयोगात्मक अंक/आंतरिक मूल्यांकन अंक अनुपूरक परीक्षा के पांचवे अवसर तक आगे बढ़ाये जाएंगे। परीक्षार्थी के लिए प्रयोगात्मक विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होने अथवा अनुपूरक के पांचवें अवसर के बाद एक और वार्षिक परीक्षा में अपने पिछले अंक यथावत् रखने का विकल्प रहेगा।

(iii) मार्च परीक्षा में अनुपूरक परीक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण वही रहेगा जो परीक्षा में सभी विषयों में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए लागू है।

(iv) अनुपूरक घोषित परीक्षार्थी पहले तो मार्च/अप्रैल में आयोजित मुख्य परीक्षा (उसी वर्ष होने वाली)/तीसरे (अगले वर्ष होने वाली)/पांचवें (वर्ष के बाद आयोजित) अथवा जुलाई/अगस्त में होने वाली अनुपूरक परीक्षा में उन्हीं विषयों में शामिल होने का पात्र होगा जिनमें वह अनुपूरक रखा गया है।

(v) प्रयोगात्मक परीक्षा वाले विषयों के सबंध में यदि किसी परीक्षार्थी ने मुख्य परीक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो वह केवल सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा में ही शामिल होगा और पूर्ववर्ती प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अग्रेषित किया जाएगा तथा परिणाम के लिए उनकी गणना की जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी पहले प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो, तो उसे सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षा में शामिल होना होगा चाहे वह लिखित परीक्षा पहले उत्तीर्ण कर चुका/चुकी हो।

2.6. अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संबंध में प्रयोगात्मक अंक यथावत् रखना

एक परीक्षार्थी जो परीक्षा में प्रथम प्रयास में अनुतीर्ण हो गया हो उसे बोर्ड के उत्तरवर्ती वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पुनः शामिल होना अपेक्षित होगा। वह केवल सैद्धान्तिक भाग में शामिल होगा और उसके पिछले प्रयोगात्मक अंक आगे ले जाए जाएंगे और गणना की जाएगी, यदि उसने प्रयोगात्मक उत्तीर्ण किया हो। यदि परीक्षार्थी प्रयोगात्मक में अनुतीर्ण हो गया है तो उसे सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक दोनों में शामिल होना होगा। यदि वह प्रथम प्रयास के बाद तीन लगातार वर्षों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे प्रयोगात्मक सहित सभी विषयों में पुनः शामिल होना होगा।

2.7. कार्य-निष्पादन का सुधार

(i) एक परीक्षार्थी जिसने बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वह केवल आने वाले वर्ष में ही मुख्य परीक्षा में एक या अधिक विषयों में और अच्छे अंक पाने के लिए परन्तु परीक्षा दे सकता है बशर्ते इस दौरान उसने उच्च कक्षा में अध्ययन नहीं किया हो, परन्तु वह प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में ही परीक्षा देगा। जो परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा पुनः देना चाहते हैं वे नियमित विद्यार्थी के रूप में भी परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा के निष्पादन में सुधार के लिए शामिल होने वाले परीक्षार्थी ऐसे विषय (यों) में शामिल हो सकते हैं जिनमें वे उत्तीर्ण घोषित हुए हैं किंतु ऐसे विषय में नहीं जिसमें वे अनुतीर्ण घोषित हुए हों।

(ii) प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय (विषयों) में प्राप्तांक में सुधार के लिए परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को केवल सैद्धान्तिक परीक्षा देनी होगी और इसके लिए प्रायोगिक परीक्षा के पिछले प्राप्ताकों की ही गणना की जाएगी।

(iii) प्रदर्शन में सुधार के लिए परीक्षा देने परीक्षार्थियों को सुधार परीक्षा के अंक प्रतिबिम्बित करने वाली अंक तालिका ही जारी की जाएगी।

2.8 पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थी

(i) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थियों को परीक्षा योजना में निर्धारित शर्त के अनुसार दो भाषाएं लेना अपेक्षित होगी किंतु गणित तथा विज्ञान के स्थान पर गृह-विज्ञान तथा वाणिज्य लेने की अनुमति होगी।

(ii) माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के लिए दिल्ली से बाहर के पत्राचार विद्यालय परीक्षार्थियों को प्रायोगिक कार्य वाले विषय लेने की अनुमति नहीं होगी।

2.9 स्पास्टिक, नेत्रहीन, डिस्लेक्सिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को छूट

डिस्लेक्सिक, स्पास्टिक परीक्षार्थियों तथा दृश्य व श्रवण अक्षमता वाले परीक्षार्थियों को दो में से एक अनिवार्य भाषा के अध्ययन का विकल्प है। यह भाषा बोर्ड द्वारा निर्धारित तीन भाषा सूत्र की समग्र भावना के अनुरूप होनी चाहिए। एक भाषा के अलावा निम्नलिखित विषयों में से चार विषय लेने हैं : गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दूसरी भाषा, संगीत, पेंटिंग, गृह-विज्ञान, परिचयात्मक सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य (बहीखाता लेखन और लेखाशास्त्र के तत्व)

2.10. परीक्षा उपनियम

परीक्षा में शामिल होने के लिए शेष शर्तों का निर्धारण समय-समय पर बोर्ड की परीक्षा उपनियमों में किया जाएगा।

3. अध्ययन की योजना

3.1. अध्ययन के विषय

अध्ययन विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं

(1) और (2) निम्नलिखित में से दो भाषाएं

हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी सिंधी, तमिल, तेलगु, उर्दू, लेप्चा, लिंबु, भूटिया, संस्कृत, अरबी, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली, रूसी, स्पेनिश, नेपाली, तिब्बती और मिजो (कृपया टिप्पणी (i), (ii) तथा (iii) भी देखें)।

(3) गणित

(4) विज्ञान

(5) सामाजिक विज्ञान

(6) कार्य शिक्षा अथवा पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

(7) कला शिक्षा

(8) शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा

3.2 अतिरिक्त विषय

विद्यार्थी अतिरिक्त विषय के रूप में निम्नलिखित में से एक विषय ले सकते हैं, :

दो अनिवार्य भाषाओं के अतिरिक्त भाषा (अध्ययन विषयों के रूप में ली गई)

अथवा

वाणिज्य, पेंटिंग, संगीत, गृह-विज्ञान अथवा आरंभिक सूचना प्रौद्योगिकी।

टिप्पणियां

(i) यह अपेक्षा की जाती है कि सभी विद्यार्थियों ने कक्षा VIII तक तीन भाषाओं का अध्ययन किया होगा। जो विद्यार्थी कक्षा VIII में तीसरी भाषा उत्तीर्ण नहीं कर सके और कक्षा IX में प्रोन्नत हो गये हैं उनकी कक्षा VIII के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और उसी पाठ्यक्रम से कक्षा IX के अंत में संबंधित विद्यालय द्वारा परीक्षा ली जाएगी। जो विद्यार्थी कक्षा IX के अंत में भी तीसरी भाषा उत्तीर्ण करने में असमर्थ हों उन्हें कक्षा X में एक अन्य अवसर दिया जा सकता है। कोई भी विद्यार्थी कक्षा X के अंत में बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा जब तक उसने तीसरी भाषा उत्तीर्ण नहीं कर ली हो।

(ii) जैसा कि उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित है, ली गई तीन भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन कम से कम कक्षा VIII तक किया जाना अनिवार्य है।

(iii) कक्षा IX तथा X में अध्ययन की जाने वाली दो भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी एक भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषायें एक ही समय ली जा सकती हैं। विद्यार्थी की अलग-अलग

पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों मामलों में कक्षा IX और X के लिए दो पाठ्यक्रम दिये गये हैं। एक विद्यार्थी अभिव्यक्तिशील-अंग्रेजी (विषय कोड 101) अथवा अंग्रेजी भाषा और साहित्य (विषय कोड 184) में से चुन सकता है। उसी प्रकार हिंदी में एक विद्यार्थी हिंदी-ए अथवा हिंदी-बी में से एक चुन सकता है।

3.3 शिक्षण समय

यह मानते हुए कि एक शैक्षणिक सप्ताह में 40–40 मिनट के 45 पीरियड होते हैं, प्रति सप्ताह पीरियडों का व्यापक वितरण इस प्रकार होगा

विषय	कक्षा X के लिए प्रस्तावित पीरियड
भाषा I	7
भाषा II	6
गणित	7
विज्ञान	9
सामाजिक विज्ञान	9
कार्य शिक्षा अथवा पूर्व-व्यावसयिक शिक्षा (कृपया पृष्ठ 109 को भी देखें)	3+3*/6
कला शिक्षा	2
शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	2

* विद्यालय समय के बाहर का प्रत्याशित समय

टिप्पणी

पाठ्यक्रम बनाते समय यह अनुमान लगाया गया है कि छुट्टियों, सार्वजनिक अवकाशों और अन्य आकस्मिकताओं को देखते हुए वास्तविक शिक्षण के लिए प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 सप्ताहों का वास्तविक शिक्षण समय उपलब्ध होगा। तदनुसार इकाईयों और उप-इकाईयों में पीरियडों का वितरण किया गया है जो एक सुझाव के रूप में है। विद्यालय प्रत्येक विषय/क्षेत्र में पीरियडों की संपूर्ण संख्या वही रखते हुए व्यक्तिगत इकाईयों में उनके प्रासंगिक महत्व के अनुसार पीरियडों की अधिक अथवा कम संख्या नियत कर सकते हैं। प्रत्येक यूनिटवार इकाई महत्व पर अंकों का वितरण आदेशात्मक है अतःउसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

3.4 विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान (साल्ड)

भारत सरकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों के अनुसरण में यदि आवश्यक समझें तो बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के जन आवेष्टन के माध्यम से विशेष उपाय के रूप में शैक्षिक सत्र 1991-92 से कक्षा IX तथा X से शुरू करके विशेष प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम अपनाया गया है। इसे विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान (साल्ड) कहा गया है साल्ड को निर्धारित पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बनाया गया है और कार्य अनुभव में आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया गया है। साल्ड के ढांचे के बारे में परिशिष्ट 'ए' में बताया गया है।

3.5 विशेष प्रावधान

3.5.1 पत्राचार विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान

(क) पत्राचार विद्यालय के छात्रों को गणित तथा विज्ञान के स्थान पर गृह विज्ञान और वाणिज्य लेने की अनुमति है।

(ख) दिल्ली के बाहर के पत्राचार विद्यालय के छात्रों को प्रायोगिक कार्य वाले विषय लेने की अनुमति नहीं है।

3.5.2 दृष्टिहीन एवं बधिर छात्रों के लिए प्रावधान

दृष्टिहीन और बधिर छात्रों के लिए दो अनिवार्य भाषाओं में से एक अनिवार्य भाषा के अध्ययन का विकल्प है। यह भाषा पढ़ाई जाने वाली भाषा, पूर्व पृष्ठों में दी गई बोर्ड की भाषा शिक्षण योजना की संपूर्ण भावना के अनुरूप होनी चाहिए।

एक भाषा के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों में से कोई चार विषय लिए जा सकते हैं

गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, पेटिंग तथा गृह विज्ञान।

3.6 अध्यापन का माध्यम

बोर्ड के साथ संबद्ध सभी विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा।

विषय परिवर्तन के लिए नियम

(i) किसी भी विद्यार्थी को कक्षा IX उत्तीर्ण करने के बाद जैसा भी मामला हो उसके अध्ययन के विषय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) किसी भी विद्यार्थी की कक्षा X में ऐसा विषय लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो उसने कक्षा IX में उत्तीर्ण तथा अध्ययन नहीं किया हो।

(iii) उपर्युक्त नियमों में किसी भी बात के होते हुए विद्यार्थी की अनावश्यक कठिनाई को दूर करने के लिए विषय (विषयों) में परिवर्तन करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होगी बशर्ते कि परिवर्तन का ऐसा निवेदन 30 सितम्बर से पहले किया हो।

अतिरिक्त विषय

(i) जो विद्यार्थी बोर्ड की माध्यमिक/उच्चतर विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो, वह प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में अतिरिक्त विषय ले सकता है बशर्ते कि अध्ययन की योजना में हो और बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के छह वर्षों के अंदर लिया हो। छह वर्ष के बाद समय सीमा में कोई छूट नहीं होगी। अतिरिक्त विषय में शामिल होने की सुविधा केवल वार्षिक परीक्षा में उपलब्ध होगी।

(ii) तथापि, उच्चतर विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा में छह विषयों में शामिल होने वाला परीक्षार्थी, जो नियम 40. 1 (IV) के अनुसार पांच विषयों में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण घोषित हो जाता है, उसी वर्ष जुलाई/अगस्त में आयोजित होने वाली पूरक अनुपरीक्षा में अनुत्तीर्ण विषय में शामिल हो सकता है।

खण्ड–2

अध्ययन के पाठ्यक्रम

हिंदी मातृभाषा

कक्षा IX-X

नवीं कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थी की भाषा शैली और विचार बोध का ऐसा आधार बन चुका होता है कि उसे उसके भाषिक दायरे के विस्तार और वैचारिक समृद्धि के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएँ1 माध्यमिक स्तर तक आते-आते विद्यार्थी किशोर हो गया होता है और उसमें बोलने, पढ़ने, लिखने साथ-साथ आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होने लगती हैं। भाषा के सौंदर्यात्मक पक्ष, कथात्मकताध्गीतात्मकता, अखबारी समझ, शब्द की दूसरी शक्तियों के बीच अंतर, राजनैतिक चेतना, सामाजिक, चेतना का विकास, उसमें बच्चे की अपनी अस्मिता का संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त भाषा-प्रयोग, शब्दो के सुचिंतित इस्तेमाल, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति आदि से विद्यार्थी परिचित हो जाता है। इतना ही नही वह विभिन्न विधाओं और अभिव्यक्ति की अनेक शैलियों से भी वाकिफ़ होता है। अब विद्यार्थी की पढ़ाई आस-पड़ोस, राज्य-देश की सीमा को लांघते हुए वैश्विक क्षितिज तक फैल जाती है। इन बच्चों की दुनिया में समाचार, खेल, फ़िल्म तथा अन्य कलाओं के साथ-साथ पत्र-पत्रिकाएँ और अलग-अलग तरह की किताबें भी प्रवेश पा चुकी होती हैं।

इस स्तर पर मातृभाषा हिंदी का अध्ययन साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में कुछ इस तरह से हो कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुँचते-पहुँचते यह विद्यार्थियों की पहचान, आत्मविश्वास और विमर्श की भाषा बन सके। प्रयास यह भी होगा कि विद्यार्थी भाषा के लिखित प्रयोग के साथ-साथ सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में भी सक्षम हो सके।

इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से

(i) विद्यार्थी अगले स्तरों पर अपनी रूचि और आवश्यकता के अनुरूप हिंदी की पढ़ाई कर सकेंगे तथा हिंदी में बोलने और लिखने में सक्षम हो सकेंगे।

(ii) अपनी भाषा दक्षता के चलते उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, समाज विज्ञान और अन्य पाठ्यक्रमों के साथ सहज संबद्धता (अंतर्संबंध) स्थापित कर सकेंगे।

(iii) दैनिक व्यवहार, आवेदन-पत्र लिखने, अलग-अलग किस्म के पत्र लिखने, तार (टेलिग्राम) लिखने, प्राथमिकी दर्ज कराने इत्यादि में सक्षम हो सकेंगे।

(iv) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पहुँचकर विभिन्न प्रयुक्तियों की भाषा के द्वारा उनमें वर्तमान अंतरसंबंध को समझ सकेंगे।

(v) हिंदी में दक्षता को वे अन्य भाषा-संरचनाओं की समझ विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, स्थानांतरित कर सकेंगे।

कक्षा IX-X मातृभाषा के रूप में हिंदी-शिक्षण के उद्देश्य :

- कक्षा आठ तक अर्जित भाषिक कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन) का उत्तरोत्तर विकास।
- सृजनात्मक साहित्य के आलोचनात्मक आस्वाद की क्षमता का विकास।
- स्वतंत्र और मौखिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का विकास।

- ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति एवं क्षमता का बोध कराना।
- साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं (राष्ट्रीयताओं, धर्म, लिंग, भाषा) के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील रवैये का विकास।
- जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयताओं, क्षेत्र आदि से सबंधित पूर्वाग्रहों के चलते बनी रूढ़ियों की भाषिक अभिव्यक्तियों के प्रति सजगता।
- विदेशी भाषाओं समेत गैर हिंदी भाषाओं की संस्कृति की विविधता से परिचय।
- व्यावहारिक और दैनिक जीवन में विविध किस्म की अभिव्यक्तियों की मौखिक व लिखित क्षमता का विकास।
- संचार माध्यमों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से अवगत कराना और नए-नए तरीकों से प्रयोग करने की क्षमता से परिचय।
- सघन विश्लेषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और तर्क क्षमता का विकास।
- अमूर्तन की एवं अर्जित क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास।
- भाषा में मौजूद हिंसा की संरचनाओं की समझ का विकास।
- मतभेद, विरोध और टकराव की परिस्थितियों में भी भाषा के संवदेनशील और तर्कपूर्ण इस्तेमाल से शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता का विकास।
- भाषा की समावेशी और बहुभाषिक प्रकृति के प्रति ऐतिहासिक नज़रिए का विकास।
- शारीरिक और अन्य सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों में भाषिक क्षमताओं के विकास की उनकी अपनी विशिष्ट गति और प्रतिभा की पहचान।

शिक्षण युक्तियाँ

माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापक की भूमिका उचित वातावरण के निर्माण में सहायक की होनी चाहिए। भाषा और साहित्य की पढ़ाई में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत होगी कि -

- विद्यार्थी द्वारा की जा रही गलतियों को भाषा के विकास के अनिवार्य चरण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी अबाध रूप से बिना झिझक लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करने में उत्साह का अनुभव करे। विद्यार्थियों पर शुद्धि का ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए कि वे तनावग्रस्त माहौल में पड़ जाएँ। उन्हें भाषा के सहज, कारगर और रचनात्मक रूपों से इस तरह परिचित कराना उचित है कि वे स्वयं सहजरूप से भाषा का सृजन कर सकें।
- गलत से सही दिशा की ओर पहुँचने का प्रयास हो। विद्यार्थी स्वतंत्र और अबाध रूप से लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करे। अगर कहीं भूल होती है तो अध्यापक को अपनी अध्यापन-शैली में परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

- ऐसे शिक्षण-बिंदुओं की पहचान की जाए जिससे कक्षा मे विद्यार्थी निंरतर सक्रिय भागीदारी करे और अध्यापक भी इस प्रक्रिया में उनका साथी बने।

- हर भाषा का अपना एक नियम और व्याकरण होता है। भाषा की इस प्रकृति की पहचान कराने में परिवेशगत और पाठगत संदर्भो का ही प्रयोग करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं को शोध कर्ता समझे तथा अध्यापक इसमे केवल निर्देशन करें।

- हिंदी में क्षेत्रीय प्रयोगों, अन्य भाषाओं के प्रयोगों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है कि भाषा अलगाव में नहीं बनती और उसका परिवेश अनिवार्य रूप से बहुभाषिक होता है।

- शारीरिक बाधाग्रस्त विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण-सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तथा किसी भी प्रकार से उन्हें अन्य विद्यार्थियों से कमतर या अलग न समझा जाए।

- कक्षा में अध्यापक को हर प्रकार की विभिन्नताओं (लिंग, जाति, वर्ग, धर्म) के प्रति सकारात्मक और संवदेनशील वातावरण निर्मित करना चाहिए।

- परंपरा से चले आ रहे मुहावरों, कहावतों (जैसे, रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी) आदि के ज़रिए विभिन्न प्रकार के पूर्वोग्रहों की समझ पैदा करनी चाहिए और उनके प्रयोग के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करनी चाहिए।

- मध्य कालीन काव्य की भाषा के मर्म से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए ज़रूरी होगा कि किताबों मे आए काव्याशों की संगीबद्ध प्रस्तुतियों के ऑडियो-वीडियो कैसेट तैयार किए जाएँ। अगर आसानी से कोई गायक/गायिका मिले तो कक्षा में मध्यकालीन साहित्य के अध्यापन-शिक्षण में उससे मदद ली जानी चाहिए।

- वृत्तचित्रों और फ़ीचर फ़िल्मों को शिक्षण-सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इनके प्रदर्शन के क्रम में इन पर लगातार बातचीत के ज़रिए सिनेमा के माध्यम से भाषा के प्रयोग की विशिष्टता की पहचान कराई जा सकती है और हिंदी की अलग-अलग छटा दिखाई जा सकती है।

- कक्षा में सिर्फ एक पाठ्यक्रम की भौतिक उपस्थिति से बेहतर यह है शिक्षक के हाथ में तरह-तरह की पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी देख सकें और शिक्षका उनका कक्षा में अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल कर सकें।

- भाषा लगातार ग्रहण करने की क्रिया मे बनती है, इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद यह सिखा सकें कि वे भी शब्दकोश, साहित्यकोश, संदर्भग्रथ की लगातार मदद ले रहे हैं। इसमे विद्यार्थियों मे इनमे इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता बढ़ेगी। अनुमान के आधार पर निकटमत अर्थ तक पहुँचकर संतुष्ट होने की जगह वहे अधिकतम अर्थ की खोज करने का अर्थ समझ जाएँगे। इससे शब्दों की अलग-अलग रंगत का पता चलेगा, वे शब्दों के बारीक और अंतर के प्रति और सजग हो पाएंगे।

व्याकरण बिंदु

विद्यार्थियों को मातृभाषा के संदर्भ में व्याकरण के विभिन्न पक्षों का परिचय कक्षा III से ही मिलने लगता है। हिंदी भाषा में इन पक्षों और हिन्दी की अपनी भाषागत विशिष्टाओं की चर्चा पाठ्यक्रम और अन्य शिक्षण-सामग्री के समृद्ध संदर्भ में की जानी चाहिए1 नीचे कक्षा VI से X के लिए कुछ व्याकरणिक बिंदु किए गए हैं जिन्हें कक्षा या विभिन्न चरणों के क्रम में नहीं रखा गया है।

सरंचना और अर्थ के स्तर पर भाषा की विशिष्टताओं की परिधि इन व्याकरणिक बिंदुओं से कहीं अधिक विस्तृत है। वे बिंदु इन विशिष्टताओं का संकेत भर हैं जिनकी चर्चा पाठ के सहज संदर्भ में और बच्चों के आसपास उपलब्ध भाषायी परिवेश को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

कक्षा **VI** से **X** तक के लिए कुछ व्याकरण बिंदु

- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण
- लिंग, वचन, काल
- पदबंध में लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव
- वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का क्रिया पर प्रभाव
- परसर्ग 'ने' का क्रिया पर प्रभाव
- अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्ररणार्थक क्रिया
- सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य
- कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य
- समुच्चयबोधक शब्द और अन्य.अविकारी शब्द
- पर्यायवाची, विलोम, समास, अनेकार्थी, श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे

1. हिंदी पाठ्यक्रम - 'ए'

(कोड सं. - 002)

कक्षा - 9

एक प्रश्नपत्र : **समय - 3 घंटे** **पूर्णांक 100**

(क)	**अपठित गद्यांश**	**20**
(ख)	**रचना**	**15**
(ग)	**व्यावहारिक-व्याकरण**	**15**
(घ)	**पाठ्य-पुस्तक : क्षितिज भाग-1**	**30**
	पूरक-पुस्तक : कृतिका भाग-1	**10**
(ङ.)	**मौखिक-अभिव्यक्ति**	**10**

खण्ड क - अपठित गद्यांश **20 अंक**

1. दो गद्यांश : (i) साहित्यिक गद्यांश (300 से 400 शब्द) 12

2. (ii) काव्यांश (250 से 300 शब्द) दो में से एक काव्यांश करना होगा। 8

उपर्युक्त गद्यांशों में से शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु/ संरचना आदि पर अति लघूत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएँगे।

खण्ड ख - रचना

3. (i) संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध-लेखन। 10

4. (ii) संवाद- लेखन/ पत्र-लेखन 5

खण्ड ग - व्यावहारिक व्याकरण **15**

5. (i) शब्द-निर्माण (उपसर्ग-प्रत्यय), विशेषण, लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव
तथा परसर्ग 'ने' का क्रिया पर प्रभाव
संज्ञा, सर्वनाम तथा (लिंग, वचन, कारक) (2 + 2 + 2) 6
समास

6. (ii) वाक्य रचना - वाक्य के अंग, अर्थ के अनुसार वाक्य भेंद 3

7. (ii) पर्यायवाची, विलोम, श्रुतिसमभिन्नार्थक शब्द 3

8. (iv) मुहावरे - वाक्य प्रयोग 3

खण्ड घ - पाठ्य-पुस्तक एवं पूरक-पुस्तक **40 अंक**

क्षितिज (15+15) **30 अंक**

9.	(i)	दो में से किसी एक काव्यांश पर अर्थ-ग्रहण संबंधी चार या पाँच प्रश्न	6
10.	(ii)	निर्धारित कविताओं में से चार बोधात्मक प्रश्नों में से तीन प्रश्न	3 + 3 + 3 = 9
11.	(iii)	दो में से किसी एक गद्यांश पर आधारित अर्थ-ग्रहण संबंधी चार या पाँच प्रश्न	6
12.	(iv)	गद्य पाठों पर आधारित चार में से तीन बोधात्मक प्रश्न	3 + 3 + 3 = 9

पूरक पुस्तक : कृतिका भाग 1 **10**

13.	(i)	दो में से एक निबंधात्मक प्रश्न	4
14.	(ii)	चार में से तीन लघूत्तरात्मक प्रश्न	2 + 2 + 2 = 6

खंड (ड.) मौखिक अभिव्यक्ति **10 अंक**

सुनना

वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर अर्थग्रहण करना वर्तालाप, वाद-विवाद, भाषण, कविता पाठ आदि को सुनकर समझना, मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को जानना 5

बोलना **5**

(i) भाषण, वाद-विवाद

(ii) गति, लय, आरोह-अवरोह सहित सस्वर कविता-वाचन

(iii) वार्तालाप और उसकी औपचारिकताएँ

(iv) कार्यक्रम-प्रस्तुति

(v) कथा-कहानी अथवा घटना सुनाना

(vi) परिचय देना, परिचय प्राप्त करना

(vi) भावानुकूल संवाद-वाचन

वार्तालाप की दक्षताएं

टिप्पणी : वार्तालाप की दक्षताओं का मूल्यांकन निरंतरता के आधार पर परीक्षा के समय होगा। निर्धारित 10 अंकों में से 5 श्रवण (सुनना) के मूल्यांकन के लिए और 5 वाचन (बोलना) के मूल्यांकन के लिए होंगे।

श्रवण (सुनना) का मूल्यांकन

परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का स्पष्ट वचन करेगा। अनुच्छेद तथ्यात्मक या सुझावात्मक हो सकता है। अनुच्छेद लगभग 200 शब्दों का होना चाहिए। परीक्षक को सुनते-सुनते परीक्षार्थी अलग कागज़ पर दिए हुए श्रवण बोध ान के अभ्यासों को हल कर सकेंगे। अभ्यास रिक्त स्थान पूर्ति, बहुविकल्पी अथवा सत्य/असत्य का चुनाव आदि विधाओं मे हो सकते हैं। प्रत्येक आधे अंक के लिए 10 परीक्षण प्रश्न होंगे।

वाचन (बोलना) का परीक्षण

1. चित्रों के क्रम पर आधारित वर्णन : इस भाग में अपेक्षा की जाएगी कि परीक्षार्थी विवरणात्मक भाषा का प्रयोग करें।

2. किसी चित्र का वर्णन : (चित्र लोगों के या स्थानों के हो सकते हैं।)

3. किसी निर्धारित विषय पर बोलना जिससे वह अपने व्यक्तिगत अनुभव का प्रत्यास्मरण कर सके।

4. कोई कहानी सुनाना या किसी घटना का वर्णन करना।

टिप्पणी :

1. परीक्षण से पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाए।

2. विवरणात्मक भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग अपेक्षित है।

3. निर्धारित विषय परीक्षार्थी के अनुभव संसार के हों जैसे : कोई चुटकुला या हास्य-प्रसंग सुनाना, हाल में पढ़ी पुस्तक या देखे गए सिनेमा की कहानी सुनाना।

4. जब परीक्षार्थी बोलना प्रारंभ कर दे तो परीक्षक कम से कम हस्तक्षेप करें।

कौशलों के अंतरण का मूल्यांकन

श्रवण (सुनना)	**बाचन (बोलना)**
1. विद्यार्थी में परिचित संदर्भो में प्रयुक्त शब्दों और पदों को समझनें की सामान्य योग्यता है, किन्तु सुसंबद्ध आशय को नहीं समझ पाता।	1. शिक्षार्थी केवल अलग-अलग शब्दों और पदों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है किन्तु एक सुसंबद्ध स्तर पर नहीं बोल सकता।
3. छोटे संबद्ध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की योग्यता है।	3. परिचित संदर्भों में केवल छोटे संबद्ध कथनों को सीमित शुद्धता से प्रयोग करता है।
5. परिचित या अपरिचित दोनों संदर्भों मे कथित सूचना को स्पष्ट समझने की योग्यता है। अशुद्धियाँ करता है जिससे प्रेषण में रूकावट आती है।	5. अपेक्षाकृत दीर्घ भाषण में अधिक जटिल कथनों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है, अभी भी कुछ अशुद्धियाँ करता है। जिससे प्रेषण में रूकावट आती है।
7. दीर्घ कथनों की श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता से समझता है और निष्कर्ष निकाल सकता है।	7. अपरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से संगठित कर धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी गलतियाँ करता है जिनसे प्रेषण में रूकावट नहीं आती।
9. जटिल कथनों के विचार-बिंदुओं को समझने की योग्यता प्रदर्शित करता है, उद्देश्य के अनुकूल सुनने की कुशलता प्रदर्शित करता है।	9. उद्देश्य और श्रोता के लिए उपयुक्त शैली को अपना सकता है, केवल मामूली गलतियाँ करता है।

निर्धारित पुस्तकें :

1. **क्षितिज-भाग 1** - एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित

2. **कृतिका भाग 1** - एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित

हिंदी पाठ्यक्रम - 'ए'

(कोड सं. - 002)

कक्षा - 10

एक प्रश्नपत्र : **समय - 3 घंटे** **पूर्णांक 100**

(क)	**अपठित गद्यांश**	**20**
(ख)	**रचना**	**15**
(ग)	**व्यावहारिक-व्याकरण**	**15**
(घ)	**पाठ्य-पुस्तक : क्षितिज भाग 2**	**40**
	पूरक-पुस्तक : कृतिका भाग 2	**10**

खण्ड - क - अपठित गद्यांश बोध **20**

1. (i) साहित्यिक गद्यांश (300 से 400 शब्द) 12

2. (ii) काव्यांश (250 से 300 शब्द) दो में से एक काव्यांश करना होगा। 8

उपर्युक्त दोनों गंद्याशों में से शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध, भाषिक बिदुओ /विशेषताओं आदि पर अति लघूत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे।

खण्ड - ख- रचना : **15**

3. (i) संकेत - बिंदुओं पर आधारित किसी आधुनिक विषय पर निंबध-लेखन 10

4. (ii) पत्र-लेखन (औपचारिक/अनौपचारिक पत्र) 5

खण्ड ग - व्यावहारिक - व्याकरण **15**

5. (i) क्रिया भेद : अकर्मक / सकर्मक, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया 2

(ii) विशेषण और क्रियाविशेषण 2

6. (iii) पद-परिचय 2

7. (iv) वाक्य-भेद : रचना के अनुसार, रचनान्तरण 3

8. (v) मुहावरे और लोकोक्तियाँ - पाठ्य पुस्तक के आधार पर 3

9. (vi) अलंकार : अनुप्रास, यमक, श्लेष, उषमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण 3

खण्ड घ . पाठ्य-पुस्तक एवं पूरक पुस्तक			**50**
		क्षितिज	20 + 20 **40**
10.	(i)	दो में से किसी एक काव्यांश पर अर्थ-ग्रहण संबंधी तीन प्रश्न	6
11.	(ii)	कविताओं पर आधारित विषय-वस्तु/संदेश/जीवन-मूल्यो संबंधी चार में से तीन प्रश्न	3 + 3 + 3 = 9
12.	(iii)	कविताओ पर सराहना-संबधी पाँच लघूत्तरात्मक प्रश्न	1 x 5 = 5
13.	(iv)	दो में से एक गद्यांश पर अर्थ ग्रहण संबंधी तीन प्रश्न	6
14.	(v)	गद्य पाठों पर आधारित विषय-वस्तु संबंधी चार में से तीन प्रश्न	3 + 3 + 3 = 9
15.	(vi)	गद्य पाठों के विचार / संदेश से संबंधित दो लघूत्तरात्मक प्रश्न	3 + 2 = 5
पूरक -पुस्तक : कृतिका			**10**
16.	(i)	पाठों पर आधारित दो में से एक निंबधात्मक प्रश्न	4
17.	(ii)	पाठों पर आधारित चार में से तीन लघूत्तरात्मक प्रश्न	2 + 2 + 2 = 6

निर्धारित पुस्तकें :

1. क्षितिज - भाग 2 एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
2. कृतिका भाग 2 - एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित

द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी

कक्षा IX-X

भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें बहुत-सी क्षेत्रीय भाषाएँ रची-बसी हैं। भाषिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न होने के बावजूद भारतीय परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो एक दूसरे को जोड़ता है। यही कारण है कि मातृभाषा के रूप म में अलग भाषा को पढ़ने वाला विद्यार्थी जब दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का चुनाव करता है तो उसके पास अभिव्यक्ति का एक दृढ़ आधार पहली भाषा के रूप में पहले से ही मौजूद होता है। इसीलिए छठी से आठवीं कक्षा में सीखी हुई हिंदी का विकास भी वह तेजी से करने लगता है। आठवीं कक्षा तक वह हिंदी भाषा में सुनने, पढ़ने, लिखने और कुछ-कुछ बोलने का अभ्यास कर चुका होता है। हिंदी की बाल पत्रिकाएँ और छिटपुट रचनाएँ पढ़ना भी अब उसे आ गया है। इसीलिए जब वह नवीं, दसवीं कक्षा में हिंदी पढ़ेगा तो जहाँ तक एक और हिंदी भाषा के माध्यम से सारे देश से जुड़ेगा वहीं दूसरी ओर अपने क्षेत्र और परिवेश को हिंदी भाषा के माध्यम से जानने की कोशिश भी करेगा क्योंकि किशोर वय के इन बच्चों के मानसिक धरातल का विकास विश्व-स्तर तक पहुँच चुका होता है।

शिक्षण उद्देश्य

- दैनिक जीवन में हिंदी में समझने-बोलने के साथ-साथ लिखने की क्षमता का विकास करना।
- हिंदी के किशोर-साहित्य, अखबार व पत्रिकाओं को पढ़कर समझ पाना और उसका आनंद उठाने की क्षमता का विकास करना।
- औपचारिक विषयों और संदर्भों मे बातचीत में भाग ले पाने की क्षमता का विकास करना।
- हिंदी के ज़रिये अपने अनुभव संसार को लिखकर सहज अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम बनाना।
- संचार के विभिन्न माध्यमों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रयुक्त हिंदी के विभिन्न रूपों को समझने की योग्यता का विकास करना।
- कक्षा में बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सदर्भों के प्रति संवेदनशील सकारात्मक सोच बनाना।
- अपनी मातृभाषा और परिवेशगत भाषा को साथ रखकर हिंदी की संरचनाओं की समझ बनाना।

शिक्षण युक्तियाँ :

- द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही हिंदी भाषा का स्तर पढ़ने दोनों ही दृष्टियों से मातृभाषा सीखने की तुलना मे कुछ मंथर गति से चलेगा। यह गति धीरे-धीरे बढ़ सके, इसके लिए हिंदी अध्यापकों को बड़े ध ीरज से अपने अध्यापन कार्यक्रमों को नियोजित करना होगा। किसी भी द्वितीय भाषा में निपणुता प्राप्त करने-करने का एक ही उपाय है- उस भाषा का लगातार रोचक अभ्यास करना-कराना। ये अभ्यास जितने अधिक रोचक, सक्रिय एवं प्रासंगिक होने विद्यार्थियों की भाषिक उपलब्धि भी उतनी ही तेज़ी से हो सकेगी। मुखर भाषिक अभ्यास के लिए वार्तालाप, रोचक कहानी सुनना-सुनाना, घटना वर्णन, चित्र-वर्णन, संवाद, वाद-विवाद, अभिनय, भाषण प्रतियोगिताएँ, कविता पाठ और अंत्याक्षरी जैसी गतिविधियों का सहारा लिया जा सकता है।

- मध्यकालीन काव्य की भाषा के मर्म से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए ज़रूरी होगा कि किताबों में आए काव्याशों की संगीतबद्ध प्रस्तुतियों के ऑडियो-वीडियो कैसेट तैयार किए जाएँ। अगर आसानी से कोई गायक/गायिका मिले तो कक्षा में मध्यकालीन साहित्य के अध्यापन-शिक्षण में उससे मदद ली जानी चाहिए।

- वृत्तचित्रों और फ़ीचर फ़िल्मों को शिक्षण-सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इनके प्रदर्शन के क्रम में इन पर लगातार बातचीत के ज़रिए सिनेमा के माध्यम से भाषा के प्रयोग की विशिष्टता की पहचान कराई जा सकती है और हिंदी की अलग-अलग छटा दिखाई जा सकती है।

- कक्षा मे सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक की भौतिक उपस्थिति से बेहतर यह है शिक्षक के हाथ में तरह-तरह की पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी देख सकें और शिक्षक उनका कक्षा में अलग-अलग मौको पर इस्तेमाल पर सकें।

- भाषा लगातारा ग्रहण करने की क्रिया में बनती है, इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद यह सिखा सकें कि वे भी शब्दकोश, साहित्यकांश, संदर्भग्रंथ की लगातार मदद ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में इनके इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता बढ़ेगी। अनुमान के आधार पर निकटतम अर्थ तक पहुँचकर संतुष्ट होने की जगह वे अधिकतम अर्थ की खोज करने का अर्थ समझ जाएँगे। इससे शब्दों का अलग-अलग रंगत का पता चलेगा और उनमें संवदेनशीलता भी बढ़ेगी। वे शब्दों के बारीक अंतर के प्रति और सजग हो पाएँगे।

व्याकरण के बिंदु

कक्षा IX

- वर्ण-विच्छेद, वर्तनी : र् ने विभिन्न रूप, बिंदु-चंद्रबिंदु, अर्धचंद्राकार, नुक्ता
- तरह-तरह के पाठों के संदर्भ में शब्दों के अवलोकन द्वारा उपसर्ग, प्रत्यय और समान शब्दों की पहचान।
- वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्दों का सुचिंतित प्रयोग
- मुहावरो का वाक्यों में प्रयोग और उनके लिए उचित संदर्भ स्थितियों का वर्णन

कक्षा X

- शब्द, पद और पदबंध में अंतर
- मिश्र और संयुक्त वाक्यों की संरचना और अर्थ, वाक्य रूपांतरण
- शब्दों के अवलोकन द्वारा संधि की पहचान, कुछ और उपसर्गों, प्रत्ययों और समास शब्दों की पहचान और उनके अर्थ का अनुमान
- मुहावरों और लोकोक्तियों का अंतर और उनका प्रयोग
- वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्दों का सुचिंतित प्रयोग

हिंदी पाठ्यक्रम - 'बी'

(कोड सं. - 085)

कक्षा - 9

एक प्रश्नपत्र : **समय - 3 घंटे** **पूर्णांक 100**

(क)	**अपठित गद्यांश**	**20**
(ख)	**रचना**	**10**
(ग)	**व्यावहारिक-व्याकरण**	**20**
(घ)	**स्पर्श भाग - 1**	**30**
	संयचन भाग - 1	**10**
(ङ)	**मौखिक-अभिव्यक्ति**	**10**

खण्ड क - अपठित गद्यांश **20**

1. (i) 300 से 400 शब्दों का एक गद्यांश 12

2. (ii) 200 से 300 शब्दों का एक काव्यांश 8

उपर्युक्त गद्यांशों में से शीर्षक का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध और भाषिक बिंदुओं/विशेषताओं पर अति लघूत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएँगे।

खण्ड ख - रचना **10**

3. (i) पत्र-लेखन (अनौपचारिक) माता-पिता, मित्र या संबंधी आदि को 5

4. (ii) अनुच्छेद-लेखन : सम-सामयिक विषयों पर संकेत बिंदुओं पर आधारित 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद 5

खण्ड ग - व्यावहारिक व्याकरण **20**

5. (i) वर्ण-विच्छेद, वर्तनी : 'र' के विभिन्न रूप, अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता (आगत ध्वनियाँ) 4

6. (ii) पाठों के संदर्भ में उपसर्ग, प्रत्यय से शब्द-निर्माण 3

(iii) पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द, वाक्याशों के लिए एक शब्द 4

7. (iv) वाक्य के अंग, सरल वाक्य 3

8. (v) विराम चिन्हों का प्रयोग 3

9. (vi) मुहावरे - वाक्य प्रयोग 3

खण्ड घ - पाठ्य-पुस्तक एवं पूरक पुस्तक

•	**पाठ्य पुस्तक : स्पर्श भाग-1**		**15 + 15 = 30**
10.	(i)	दो में से एक काव्यांश पर आधारित तीन/चार अर्थ-ग्रहण के प्रश्न	6
11.	(ii)	कविताओं के विषय-बोध और सराहना पर आधारित चार में से तीन प्रश्न	3 + 3 + 3 = 9
12.	(iii)	दो में से एक गद्यांश पर अर्ध-ग्रहण संबंधी तीन या चार प्रश्न	6
13.	(iv)	गद्य-पाठों के विषय-बोध पर आधारित चार में से तीन प्रश्न	3 + 3 + 3 = 9
•	**पूरक-पुस्तक : संचयन भाग-1**		**10**
14.	(v)	दो में से एक निबधात्मक प्रश्न	4
15.	(vi)	चार में से तीन लघूत्तरात्मक प्रश्न	2 + 2 + 2 = 6

खण्ड ड॰ - मौखिक-अभिव्यक्ति **10**

1 सुनना **5**

वर्णित या पठित सामग्री को सुनकर अर्थग्रहण करना

वार्तालाप, वाद-विवाद, भाषण, कविता-पाठ आदि को सुनकर समझना, मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को जानना।

2 बोलना **5**

(i) भाषण, वाद-विवाद

(ii) गति, लय, आरोह-अवरोह सहित सस्वर कविता-वाचन,

(iii) वार्तालाप और उसकी औपचारिकताएँ

(iv) कार्यक्रम-प्रस्तुति

(v) कथा-कहानी अथवा घटना सुनना

(vi) परिचय देना, परिचय प्राप्त करना

(vii) भावानुकूल संवाद-वाचन

वार्तालाप की दक्षताएँ

टिप्पणी : वार्तालाप की दक्षताओं का मूल्यांकन निरंतरता के आधार पर परीक्षा के समय होगा। निर्धारित 10 अंकों में 5 श्रवण (सुनना) के मूल्यांकन के लिए और 5 वाचन (बोलना) के मूल्यांकन के लिए होंगे।

श्रवण (सुनना) का मूल्यांकन

परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा। अनुच्छेद तथ्यात्मक या सुझावात्मक हो सकता

है। अनुच्छेद लगभग 200 शब्दों का होना चाहिए। परीक्षक को सुनते-सुनते परीक्षार्थी अलग कागज़ पर दिए हुए श्रवण बोधन के अभ्यासों को हल कर सकेंगे। अभ्यास रिक्त स्थान पूर्ति, बहुविकल्पी अथवा समय/असत्य का चुनाव आदि विधाओं मे हो सकते हैं। प्रत्येक आधे अंक के 10 परीक्षण प्रश्न होंगे।

वाचन (बोलना) का परीक्षण

1. **चित्रों के क्रम पर आधारित वर्णन :** इस भाग मे अपेक्षा की जाएगी कि परीक्षार्थी विवरणात्मक भाषा का प्रयोग करें।
2. **किसी चित्र का वर्णन :** (चित्र लोगों या स्थानों के हो सकते हैं)।
3. किसी निर्धारित विषय पर बोलना, जिससे वह अपने व्यक्तिगत अनुभव का प्रत्यास्मरण कर सके।
4. कोई कहानी सुनाना या किसी घटना का वर्णन करना।

टिप्पणी :

1. परीक्षण से पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाए।
2. विवरणात्मक भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग अपेक्षित है।
3. निर्धारित विषय परीक्षार्थी के अनुभव संसार के हों, जैसे : कोई चुटकूला या हास्य-प्रसंग सुनाना, हाल में पढ़ी पस्तक या देखे गए सिनेमा की कहानी सुनाना।
4. जब परीक्षार्थी बोलना प्रारंभ कर दे तो परीक्षक कम से कम हस्तक्षेप करें।

कौशलों के अंतरण का मूल्यांकन

श्रवण (सुनना)
विद्यार्थी में

1. परिचित संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों और पदों को समझने की सामान्य योग्यता है, किंतु सुसंबद्ध आशय को नहीं समझ पाता।
3. छोटे संबद्ध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की योग्यता है।
5. परिचित या अपरिचित दोनों संदर्भों में कथित सूचना को स्पष्ट समझने की योग्यता है। अशुद्धियाँ करता है जिससे प्रेषण में रूकावट आती है।
7. दीर्घ कथनों की श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता को समझता है और निष्कर्ष निकाल सकता है।

वाचन (बोलना)
विद्यार्थी में

9. जटिल कथनों के विचार-बिंदुओं को समझने की योग्यता प्रदर्शित करता है, उद्देश्य के अनुकूल सुनने की कुशलता प्रदर्शित करता है।
1. केवल अलग-अलग शब्दों और पदों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है किंतु एक सुंसबद्ध स्तर पर नहीं बोल सकता।
3. परिचित संदर्भों में केवल छोटे संबद्ध कथनों का सीमित शुद्धता से प्रयोग करता है।
5. अपेक्षाकृत दीर्घ भाषण में अधिक जटिल कथनों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है; अभी भी कुछ अशुद्धियाँ करता है, जिससे प्रेषण में रूकावट आती है।

7. अपरिचित स्थितियों मे विचारों को तार्किक ढंग से संगठित कर धारा-प्रवाह प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी गलतियाँ करता है जिनसे प्रेषण में रूकावट नहीं आती।

9. उद्देश्य और श्रोता के लिए उपयुक्त शैली को अपना सकता है, केवल मामूली गलतियाँ करता है।

निर्धारित पुस्तकें :

1. **स्पर्श - भाग 1** एन.सी.ई.आर.टी द्वारा प्रकाशित
2. **संचयन भाग 1** - एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित

हिंदी पाठ्यक्रम - 'बी'

(कोड सं. - 002)

कक्षा - 10

एक प्रश्नपत्र : **समय - 3 घंटे** **पूर्णांक 100**

(क)	**अपठित गद्यांश**	**20**
(ख)	**रचना**	**10**
(ग)	**व्यावहारिक-व्याकरण**	**20**
(घ)	**पाठ्य-पुस्तक : स्पर्श भाग 2**	**40**
	पूरक-पुस्तक : (संचयन भाग 2)	**10**

खण्ड - क - अपठित गद्यांश बोध **20**

1. (i) लगभग 300 से 400 शब्दों का एक गद्यांश 12

2. (ii) लगभग 200 से 300 शब्दों का एक काव्यांश 8

उपर्युक्त गद्यांशों पर शीर्षकों का चुनाव, विषय-वस्तु का बोध और भाषिक विशेषताओं पर अति लघूत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएँगे।

खण्ड - ख - रचना **10**

3. (i) पत्र-लेखन (औपचारिक पत्र) 5

4. (ii) अनुच्छेद-लेखन : संकेत बिन्दुओं पर आधारित सम-सामयिक विषयों पर 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद 5

खण्ड ग - व्यावहारिक - व्याकरण **20**

5. (i) शब्द, पद और पदबंध में अंतर, पद परिचय 4

6. (ii) मिश्र और संयुक्त वाक्यों का रूपांतरण 4

7. (iii) स्वर संधि, तत्पुरूष और कर्मधारय समास (2 + 2) 4

8. (iv) मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग-पाठ्य पुस्तक पर आधारित (2 + 2) 4

9. (v) अशुद्ध वाक्यों का शोधन 4

- ने की अशुद्धियाँ

- क्रम की अशुद्धियाँ

खण्ड घ - पाठ्य-पुस्तक एवं पूरक पुस्तक **50**

•		पाठ्य-पुस्तक : स्पर्श भाग-2	20 + 20 = 40
10.	(i)	दो में से एक काव्यांश पर आधारित तीन/चार अर्थ-ग्रहण के प्रश्न	6
11.	(ii)	कविताओं के विषय-बोध और सराहना पर आधारित चार में से तीन प्रश्न	3 + 3 + 3 = 9
12.	(iii)	कविता के प्रतिपाद्य/ संदेश से संबंधित दो लघूत्तरात्मक प्रश्न	3 + 2 = 5
13.	(iv)	दो में से एक गद्यांश पर अर्थ-ग्रहण संबंधी तीन या चार प्रश्न	6
14.	(v)	गद्य-पाठों के विषय-बोध पर आधारित चार में से तीन प्रश्न	3 + 3 + 3 = 9
15.	(vi)	गद्य पाठों के विचार/संदेश से संबंधित दो लघूत्तरात्मक प्रश्न	3 + 2 = 5
		पूरक - पुस्तक, संचयन भाग 2	**10**
16.	(i)	दो में से एक निबंधात्मक प्रश्न	4
17.	(ii)	चार में से तीन लघूत्तरात्मक प्रश्न	2 + 2 + 2 = 6

निर्धारित पुस्तकें :

1. **स्पर्श - भाग 2** एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
2. **पूरक पुस्तक, संचयन भाग 2** - एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित

2. ENGLISH-COMMUNICATIVE
(CODE NO. 101)

This is two-year syllabus for classes IX and X. The CBSE has prepared a package for this syllabus called **Interact in English.** It includes the following:

For Students	**For teachers**
1. Main course book	1. Teacher's book
2. Literature Reader	2. Audio cassettes
3. Work book	

Interact in English has been designed to develop the student's communicative competence in 'English. Therefore. content selection is determined by the student's present and future academic. social and professional needs.

The overall aims of the course are:

(a) to enable the learner to communicate effectively and appropriately in real-life situations.

(b) to use English effectively for study purpose across the curriculum.

(c) to develop and integrate the use of the four language skills, i.e. listening, Speaking, reading and writing.

(d) to develop interest in and appreciation of literature.

(e) to revise and reinforce structures already learnt.

(f) to develop interest in the appreciation of literature.

Teachers may kindly keep the following in mind to develop these competencies:

Creativity : Students should be encouraged to think on their own and express their ideas using their experience, knowledge and imagination, rather than being text or teacher dependent.

Self-monitoring Students should be encouraged to monitor their progress, space out their learning, so students should be encouraged to see language not just as a functional too1. hut as an important part of personal development and inculation of values.

Teaching/Testing Objectives

READING

By the end of the course, students should be able to :

1. read silently at varying speed depending on the purpose of reading; *
2. adopt different strategies for different types of text, both literary and non-literary;
3. recognise the organization of a text;
4. identify the main points of a text;
5. understand relations between different parts of a text through lexical and grammatical cohesion devices.

** Objectives which will not be tested in a formal examination*

6. anticipate and predict what will come next in a text;*
7. deduce the meaning of unfamiliar lexical items in a given context;
8. consult a dictionary to obtain information on the meaning and use of lexical items;*
9. analyse, interpret, infer (and evaluate*) the ideas in the text;
10. select and extract from a text information required for a specific purpose (and record it in note form.)
11. transcode information from verbal to diagrammatic form; ,
12. retrieve and synthesise information from a range of reference material using study skills such as skimming and scanning;*
13. interpret texts by relating them to other material on the same theme (and to their own experience and knowledge*); and . .
14. read extensively on their own.

WRITING

By the end of the course, students should be able to :

1. express ideas in clear and grammatically correct English, using appropriate punctuation and cohesion devices;
2. write in a style appropriate for communicative purposes;
3. plan, organise and present ideas coherently by introducing, developing and concluding a topic;
4. write a clear description (e.g. of a place, a person, an object or a system);
5. write a clear account of events (e.g. a process, a narrative, a trend ()r a cause-effect relationship);
6. compare and' contrast ideas and arrive at conclusions;
7. present an argument, supporting it with appropriate examples;
8. use an appropriate style and format to write letters (formal and informal), postcards, telegrams, notices, messages, reports, articles and diary entries;
9. monitor. check and revise written work;
10. expand notes into a piece of writing;
11. summarise or make notes from a given text; and
12. recode information from one text type to another (e.g. diary entry to letter, advertisement to report, diagram to verbal form)

****LISTENING**

By tire end of the course, tire students should be able to :

1. adopt different strategies according to the purpose of listening (e.g. for pleasure, for general interest. for specific information);
2. use linguistic and non-linguistic features of the context as clues to understanding and interpreting what is heard (e.g. cohesion devices, key words, intonation, gesture, background noises);
3. listen to a talk or conversation and understand the topic and main points;
4. listen for information required for a specific purpose, e.g. in radio broadcast, commentaries, airport and

---

Objectives which will* **not be tested *in a formal examnation.*

* * *These objectives will* **not be tested** *in a formal examination, but will be included for Continuous Assessl11ent in Class IX*

railway station announcements;

5. distinguish main points from supporting details, and relevant from irrelevant information;
6. understand and interpret messages conveyed in person or by telephone;
7. understand and respond appropriately to directive language, e.g. instruction, advice, requests and warning; and
8. understand and interpret spontaneous spoken discourse in familiar social situations.

****SPEAKING**

By tile end of the course, students should be able to :

1. speak intelligibly using appropriate word stress, sentence stress and intonation patterns;
2. adopt different strategies to convey ideas effectively according to purpoe, topic and audience (including the appropriate use of polite expressions);
3. narrate incidents and events, real or imaginary' in a logical sequence;
4. present oral reports or summaries; make announcements clearly and confidently;
5. express and argue a point of view clearly and effectively;
6. take active part in group discussions, showing ability to .express agreement or disagreement, to summarise ideas, to elicit the views of others, and to present own ideas;
7. express and respond to personal feelings, opinions and attitudes;
8. convey messages effectively in person or by telephone;
9. frame questions so as to elicit the desired response, and respond appropriately to questions; and
10. participate in spontaneous spoken discourse in familar social situations.

GRAMMAR

By the end of the course, students should be able to use the following accurately and appropriately in context

1. Verbs

Tenses:

present/past forms

simple/continuous forms

perfect forms

future time reference

Modals

Active and Passive voice

Subject-verb concord

**non-finite verb forms (infintives and participles)*

2. Sentence Structure

Connectors

---

* Objective which will not be tested at Class 1)(level. They will, however, form the part of testing in Class X.

** These objectives will not be tested in a formal examiantion, but will be included for Continuous Assessment in Class IX

Types of sentences:

affirmative/interrogative sentences
negation
exclamations
*Types of Phrases and Clauses
finite and non-finite subordinate clauses: noun clauses
and phrases
adjective clauses and phrases
adverb clauses and phrases
Indirect speech
**Comparison*
** Nominalisation*

3. **Other Areas,**

Determiners
Pronouns
Prepositions

LITERATURE

By the end of the course., students should be able to understand, interpret, evaluate and respond to the following features in a literary text:

1. **Character, as revealed through**
   appearance and distinguishing features,
   socio-economic background
   action/events.
   expression offeeli!1gs,
   speech and dialogues

2. **Plot/Story/Theme,** emerging through main events,
   progression of events and links between them;
   sequence of events denoting theme.

3. **Setting,** as seen through
   time and place,
   socio-economic and cultural background, people, beliefs and attitudes.

4. Form
   rhyme
   rhythm
   simile
   metaphor. alliteration
   pun
   repetition

EXAlVDNATIONíSPECIFICATIONS

English (Communicative)

(Code No. 101)

LCLASS-IX

SEPARATE QUESTION PAPERANO ANSWER SHEET FORMAT REPLACES COMBINED BOOKLET FORMAT FROM MARCH, 2005 EXAMINATION.

One Paper	3 Hours	100 Marks

SECTION A READING **20 Marks** **40 Periods**

Two unseen passages with a variety of comprehension questions including 04 marks for word-attack skills such as word formation and inferring meaning.

1. 250-350 words in length – 08 marks
2. 400-450 words in length - 12 marks

The total length of the two passages will be between 650 and 800 words.

1. Will have a factual passage (e.g. instruction description, report etc.) or a literary passage (e.g., extract from fiction, drama, poetry, easy or biography).
2. Will have a factual passage or a discursive passage involving opinion, (argumentative, persuasive or interpretative text).

Only 2 will have questions on word-attack skills for 04 marks

SECTION B : WRITING **30 Marks** **63 Periods**

Four writing tasks as indicated below.

3 and 4 short composition of not more than 50 wards each - e.g., notice, message, postcard 5+5 10

Important note on format and word limit:

Notice: Word limit. 50 words for body of the notice. Notice must be placed in a box. Message: Word limit: 50 words for body of the message.

Message must be placed in a box.

Postcard: Word limit: 50 ‘’ words for body of the letter. Format of postcard has to be printed in the question paper for candidates to copy whi1e writing the answer.

5. Composition based on a verbal stimulus such as an advertisement, notice, newspaper clipping tabular data, diary extract notes. letter or other forms of correspondence.

   Word limit : 150-175 words (For letter: 150 words only for body of the letter) 10

6. Composition based on a visual stimulus such us a diagram, picture, graph, map, cartoon or flow chart.

Word limit: 150-175 words 10

One of the longer (10 marks) compositions will draw on the thematic content of the Main Course book.

SECTION C : GRAMMAR 20 Marks 42 Periods

Question No. 7-11

A variety of short questions involving the use of particular structures within a context (i.e., not in isolated sentences). Test types used will include gap-filling, doze (gap filling exercise with blanks at regular intervals), sentence completion, reordering word groups in sentences, editing, dialogue completion and sentence transformation.

The grarmmar syllabus will be sampled each year, with marks allotted for:

Verb forms

Sentence structures

Other areas

Note: Jumbled words in reordering exercise to test syntax will involve sentences in a context. Each sentence will be split into sense groups (not necessarily into single words) and jumbled

SECTION D : LITERATURE 30 Marks (Prose-12/Plays-8/Poetry-1 0) **65 Periods**

12 and 13 : Two extracts out of three from different poems from the prescribed reader, each followed by two or three questions to test local and global comprehension of the set text. Each extract will carry 4 marks.

Word limit: one or two lines for each answer. 4+4 8

14. One out of two questions (with or without an extract) testing appreciation and local and global' comprehension of a poem from the prescribed Reader,

    Word limit: 50-75 words 05

15. Two questions based on one of the drama texts from the prescribed Reader to test local and global ' comprehension of the set text.

    Word limit: one or two lines for each question if an extract is given. If an extract is not given. the word limit will be roughly 75 words.

16. One out of two questions from The drama texts based on the plot, theme, characters. 04

17. One out of two questions based on one of the prose texts from the prescribed reader t6 test global comprehension and extrapolation beyond the set text. Word limit: 50-75 words 04

18. One out of two questions based on the prose texts from the prescribed Reader to test global comprehension and extrapolation beyond the set text.

comprehension and extrapolation beyond the set text.

Word limit: 150-175 words 08

Questions will test comprehel1sion at different levels: literal, inferential and evaluative.

Prescribed Books/Materials

1.	Interact in English - IX Main Course Book	Revised edition	Published by CBSE
2.	Interact in English IX Literature Reader	Revised edition	Delhi-l 10092
3.	Interact in English—IX Work Book	Revised edition	
4.	Interact in English-IX Audio Cassette	Revised edition	Produced by CBSE Delhi

Support Material:

5. Interact in English-Teacher's Book

(including Continuous Assessment) .

The English curriculum aims at the harmonious development of the four language skills, and thus of the learners" communicative capacity. Teaching/testing objectives have been set for each of these skills, indicating the level of achievement expected of the learners. However, although it is possible to assess these skills and sub-skills, it is not possible to test all of them through a formal, time-bound examination. It is, therefore, essential to measure the level of attainment in these skills through continuous assessinent in addition to the formal examination.

The overall pattern of the two modes of assessment at Class IX is as follows:

1.	Coninuous Assessment		60%
	(a) Conversation skills	20%	
	(b) Assignments	20%	
	(c) Formal testing	20%	
2.	Filial Examination		40%

Promotion

In order to pass at Class IX level, a student must secure at least33% marks in continuous assessment as well as in the final examination i.e. a student must secure at least 20 out of the 60 that represents continuous assessment, and at least 13 out of the 40 that represents the final examination. One has to pass in continuous assessment and final exam separately.

Continuous Assessment 60%

Continous assessment is essential to measure students' progress in the acquisition of skills, particularly in listening and speaking. Unless 'listening and speaking skills are assessed, they will tend to be neglected. These skins should be brought under continuous assessment.

Continuous assessment refers to the assessment of student's achievement through-out the year, through a variety of activities carried out within each school. Such activities may be formal, but in order to assess listening and speaking skil1s, it is important that a large proportion of the marks allotted should be derived from informal procedures. It is, therefore, recommended that marks should be allotted as follows:

Conversation skills	20%
Assignments	20%
Formal testing	20%
Total	60%

Further details are given as under:

(a) **Conversation Skills-20%**

Conversation skills- both listening and speaking- Assessment in this area relates to the teaching/testing objectives for these two skills. In the skill-based approach to language learning, the importance of conversation skills cannot be underestimated.

20 marks have been allotted for conversation skills, which may be evaluated either through informal assessment (20 marks), or through a combination of informal assessment (10 marks) and formal assessment (interviews) (10 marks).

(i) Informal Assessment-20% or 10%

At the end of each term, the teacher should be able to assess the level of each student's converstion skills,

based on observation of their participation in the English classes. Whenever in the coursework the students are required to discuss, role play; simulate, express a point of view etc., the teacher should monitor the activities and quietly observe each student's participation. It is important to stress that informal assessment for conversation skills should be a regular, ongoing activity throughout the term. A Conversation Skill A ssessment Scale is given below. For each skill, students may be awarded marks from 0 to 10, but specifications are given only for bands 1,3,5,7 and 9. Using this scale. a teacher can place a student at a particular band; for example, a student falling between bands 3 and 5 would be awarded 4 marks. and particularly deserving students could be awarded 10 marks. Students should be informed at the beginning of the year that their class participation will be assessed in this way.

Conversation Skills Assessment Scale

Listening	**Speaking**
1. The learner:	**1. The learner:**
shows general ability to understand words and phrases in a familiar context but cannot follow connected speech;	shows ability to use only isolated words and phrases but cannot operate at connected speech level;
3. has ability to follow short connected utterances in a familiar context;	3. in familiar situation, uses only short connected utterances with limited accuracy;
5. has ability to understand explicitly stated information in both familiar and unfamiliar contexts;	5. shows ability to use more complex- , utterances with some fluency in longer discourse; still makes some errors which impede communication;
7. understands a range of longer spoken texts with reasonable accuracy, and is able to draw inferences;	7. organises and presents thoughts in a reasonably logical and fluent. manner in unfamiliar situations; makes errors which do not interfere with communication;
9. shows ability to interpret complex discourse in terms of points of view; adapts istening strategies to suit different purposes. .	9. can spontaneously adopt style appropriate to purpose and audience; makes only negligible errors.

(ii) Formal assessment (interview)-10%

Conversation skills may be assessed through informal assessment only, but each school may, if it wishes, reserve 10 of the 20 marks for formal assessment (interviews). These should be held towards the end of the year, and it is recommended that in order to allow for assessment of all the relevent skills, they should be conducted as group interviews. Students should be organised in groups of4 or 5, and each group in turn should engage in a discussion on a topic notified to them only ten minutes before the interview takes place. This is to prevent rote learning of a speech by each student. During the discussion, the teacher (preferably together with a colleague) observes the student's performance and awards each one a mark out of 1 0 according to the assessment scale. A school may opt for individual interviews if the procedure suggested above is not feasible.

(b) Assignments 20%

During the year, students will engage in a variety of activities based on the course material. In many a

case these will involve written work which may be carried out either in class or as homework. A number of these activities are identified as suitable for continuous assessment assignments, .where the student's performance is recorded and counts towards his final mark for the year. 20 marks have been allotted for these assignments.

The overall assessment policy for Class IX seeks to measure the four skills. Speaking hrs been covered under conversation ski1ls, and is clearly not assessable through a written assignement. Listening ati1d reading, however, can be assessed in this way, through course book activities which lead to a written product such as notes, a table or a summary. This type of assessment, however should not be a test of writing skins. Students should be awarded marks as objectively as possible according to the extent to which they have understood, whether through reading or through listening. They should not be penalised in such assignments for errors in punctuation meting or grammar. Marking of these assignments will be based on the content expected to demonstrate comprehension and for this reason assessment scales will not be necessary.

Other assignments, however, will focus on writing skills and involve extended writing. This takes place in writing skills activities in the Main Course Book, and in certain activities in the Literature Reader. Assessment of written work forms an important and integral part of the overall assessment of the student's ability in the use of the English language. It is in this area very often that subjectivity creeps in and mars the judgement in evaluation because of a lack of clear-cut guidelines for the teachers.

In the new curriculum for English, each student's written work has to be assessed throughtout the year in an informal manner. For this, it becomes essential to provide a rating scale to help teachers to make continuous assessment objective and uniform.

It is recommended the 12 activities from the Main Course Book and Literature Reader should count as assignments towards continuous assessment. These should be four per term-one each reading, writing and listening; and fro Literature (sustained writing activities). The chosen assignments should vary each year, and students should not be told-(before or after) that the marks of certain assignments wit] count towards continuous assessment.

Throughout the year, the teacher should keep a record of marks awarded for assignments carried out either in class or as homework, and these marks should be aggregated to provide each student's final marks out of20 for this component of the continuous assessment.

Final Examination at the end Class IX carries 40% marks.

EXAMINATION SPECIFICATIONS

English (Communicative)

(Code No. 101)

CLASS-X

SEPARATE QUESTION PAPER AND ANSWER SHEET FORMAT REPLACES COMBINED BOOKLET FORMAT FROM MARCH, 2005 EXAMINATION.

One Paper	3 Hours	100 Marks

SECTION A READING **20 Marks** **40 Periods**

Two unseen passages with a variety of comprehension questions including 04 marks for word-attack skills such as word formation and inferring meaning.

1. 250-350 words in length - 08 marks
2. 400-450 words in length - 12 marks

The total length of the two passages will be between 650 and 800 words.

1. Will have a factual passage (e.g., instruction, description, report etc.) or a literary passage (e.g., extract from fiction, drama, poetry, essay or biography).
2. Will have a factual passage or a discursive passage involving opinion, (argumentative, persuasive or interpretative text).

Only 2 will have questions on word-attack skills for 04 marks.

SECTION B : WRITING **30 Marks** **63 Periods**

Four writing tasks as indicated below:

3 and 4 Short composition of not more than 50 words each - e.g., notice, message, 5 + 5 10

Postcard

Important note on format and word limit:

Notice: Word limit: 50 words for body of the notice. Notice must be placed in a box.

Message: Word limit: 50 words for body of the message. Message must be placed in a box.

Post Card: Word limit: 50 words for the body ‘of the letter. Formt of postcard has to be printed in the question paper for candidates to copy while writing the answer.

5. Composition based on a verbal stimulus such as an advertisement, notice, newspaper clipping, tabular data, diary extract. notes, letter or other forms of correspondence.

   Word limit: 150-175 words (For letter : 150 words only for body ot the letter) 10

6. Composition based on a visual stimulus such as a diagram, picture, graph, map, cartoon or flow chart.

Word limit: 150-175 words 10

One of the longer (10 marks) compositions will draw on the thematic content of the Main Course book.

SECTION C: GRAMMAR **20 Marks** **42 Periods**

Question No. 7-11

A variety of short questions involving the use of particular structures within at context (i.e., not in isolated sentences). Test types used will include gap-filling, cloze (gap filling exercise with blanks at regular intervals), sentence completion, reordering word groups in sentences, editing, dialogue completion and sentence transformation.

The grammar syllabus will be sampled each year, with marks allotted for:

Verb forms

Sentence structures

Other areas

Note: Jumbled words in reordering exercise to test syntax will involve sentences in a context. Each sentence will be split into sense groups (not necessarily into single words) and jumbled up.

SECTIOND: LITERATURE **30 Marks** (Prose-12/Plays-8/Poetry-10) **65 Periods**

12 and 13 : Two extracts out of three from different poems from the prescribed reader, each followed by two or three questions to test local and global comprehension of the set text. Each extract, will carry 4 marks.

Word limit: one or two lines for each answer. 4 + 4 8

14. One out of two questions (with or without an extract) testing appreciation of global or local comprehension of a poem from the prescribed reader.

    Word limit: 50-75 words 05

15. Two questions based on one of the drama texts from the prescribed reader to test local and global comprehension of the set text.

    Word limit: one or two lines for each question if an exrtract is given. If an extract is not given. the word limit will be roughly 75 words.

16. One out of two questions from the drama tests based on theme, character, plot. (50-75 words) 04

17. One out of two questions based on one of the prose texts from 1 be prescribed reader to test global comprehension and extrapolation beyond the set text.

    Word limit: 50-75 words 04

18. One out of two questions based on the prose texts from. the prescribed reader to test global . comprehension and extrapolation beyond the set text.

Word limit: 150-175 words 08

Questions will test comprehension at different levels: literal, inferential and evaluative.

Prescribed Books/Materials

1.	Interact in English - IX Main Course Book	Revised edition	Published by CBSE
2.	Interact in English IX Literature Reader	Revised edition	Delhi-l 10092
3.	Interact in English—IX Work Book	Revised edition	
4.	Interact in English-IX Audio Cassette	Revised edition	Produced by CBSE Delhi

Support Material:

5. Interact in English-Teacher's Book

.

ENGLISH - LANGUAGE AND LITERATURE

(Code No. 184)

SECONDARY (CLASSES IX-X)

Background

Traditionally, language learning materials beyond the initial stages have been sourced from literature: prose fiction and poetry. While there is a trend for inclusion of a wider range of contemporary and authentic texts, accessible and culturally appropriate pieces of literature should playa pivotal role at the secondary stage of education. The English class should not be seen as a place merely to read poems and stories in, but an area of activities to develop the learner's imagination as a major aim of language study, and to equip the learner with commlli1icative skills to perform various language functions through speech and writing.

Objectives

The general objectives at this stage are:

- to build greater confidence and proficiency in oral and written communication
- to develop the ability and knowledge required in order to engage in independent reflection and inquiry
- to use appropriate English to commlli1icate in various social settings
- equip learner with essential language skills to question and to articulate their point of view.
- to build competence in the different registers of English
- to develop sensitivity to, and. appreciation of, other varieties. of English, Indian Englishes, and the culture they reflect.
- to enable the learner to access knowledge and infQrn1ation through reference skills (consulting a diction nary / thesaurus, library, internet etc.) to develop curiosity and creativity through extensive reading
- to facilitate self-learning to enable them to become independent learners
- to review, organise and edit their own work and work done by the peers

At the end of this stage learners will be able to do the following:

- give a brief oral description of events / incidents of topical interest.
- retell the contents of authentic audio texts (weather reports, public announcements, simple advertise ments, short interviews, etc.)
- participate in conversations, discussions, etc. on topics of mutual interest in non-classroom situations
- narrate the story depicted pictorially or in any other non-verbal mode
- respond in writing to business letters, official communications

- read and identify the main points / significant details of texts like scripts of audio-video interviews, discussions, debates etc.
- write without prior preparation on a given topic and be able to defend or explain the position taken views expressed
- write a summary of short lectures on familiar topics by making / taking notes
- write an assessment of different points of view expressed in a discussion / debate
- read poems effectively (with proper rhythm and intonation)
- to transcode information from a graph / chart to a description / report

Language I terns

In addition to consolidating the grammatical items practised earlier, the courses at secondary level will seek to reinforce the following explicitly:

- sequence of tenses
- reported speech in extended texts
- modal auxiliaries (those not covered at upper primary) . non-finites (infinitives, gerunds, participles)
- conditional clauses
- complex and compound sentences
- phrasal verbs and prepositional phrases
- cohesive devices
- punctuation (semicolon, colon, dash, hyphen, parenthesis or use of brackets and exclamation mark)

Methods and Techniques

The methodology will be based on a multi-skill, activity based, learner centred approach. Care would be taken to fulfill the functional (communicative), literary (aesthetic) and cultural (sociological) needs of the learner. In this situation the teacher is the facilitator of learning, s(he) presents language items, contrives situations which motivates the child to use English for the purposes of communication and expression. Aural-oral teaching and testing is an integral feature of the teaching-learning process. The electronic and print media could be used extensively. The evaluation procedure should be continuous and comprehensive. A few suggested activities are :

- Role playing
- Simulating real-to-life situations
- Dramatising and miming
- Problem solving and decision making
- Interpreting information given in tabular form and schedule

- Using newspaper clippings
- Borrowing situations from the world around the learners, from books and from) other disciplines
- Using language games, riddles, puzzles and jokes
- Interpreting pictures / sketches / cartoons
- Debating and discussing
- Narrating and discussing stories, anecdotes, etc.
- Reciting poems
- Working in pairs and groups
- Using media inputs - computer, television, video cassettes, tapes, software packages.

ENGLISH - LANGUAGE AND LITERATURE

(Code No. 184)

Examination Specifications

CLASS IX

One Paper	3 Hours	100 Marks

SECTION A : READING **20 Marks** **30 Periods**

1 & 2 Two unseen passages oftotal500 words with a variety of questions including 4 marks for vocabulary. Only prose passages will be used. One will be factual and the other will be literary.

Passage 1 - 200 words (8 marks) - Four or five comprehension questions

Passage 2 - 300 words (12 marks) - Four or five compehension questions and two questions Oil vocabulary: Marks for vocabulary 'will not exceed 4.

SECTION B : WRITING **20 Marks** **40 Periods**

3. Letter Writing - One letter in not more than 80 words based on provided verbal stimulus and context. types of letter : Informal; Personal such as to family and friends. Formal: Letters of complaint, enquiry, request & application — 8 Marks
4. Writing a short paragraph on a given outline/topic in about 60 words — 4 Marks
5. Writing a Short writing task based on a verbal and! or visual stimulus. (diagram, picture, graph, map, chm1, flow chart etc.) Maximum words 80 — 8 Marks

SECTION C : GRAMMAR **15 Marks** **45 Periods**

Question No. 6-11

A variety of short questions involving the use of particular structures within a context. Text types used will include gap-filling, sentence-completion, sentence-reordering, dialogue-completion and sentence-transformation (including combining sentences). The Grammar syllabus will ii1cludethe following areas in class IX:

1. Tenses (present with extension)
2. Modals (have to / had to, must, should, need, ought to and their negative forms)
3. Use of passive voice
4. Subject-verb concord
5. Reporting

(i) Commands and requests

(ii) Statements

(ii) Questions

6. Clauses:

(i) Noun clauses

(ii) Adverb Clauses of condition and time

(iii) Relative Clauses

7. Determiners, and

8. Prepositions

Note: No separate l1la~-ks allotted for any of grammatical items listed above.

SECTION D : TEXT BOOKS **45 Marks** **95 Periods**

Beehive - NCERT Textbook for Class IX

prose **20 Marks**

12 & 13 Two extracts froIl1 different prose lessons included in Textbook (Approximately 100 words each) 10 Marks 5X2

These extracts chosen from different lessons will be literary and discursive in nature

Each extract will be of 5 marks. One mark in each extract will be for vocabulary. 4 marks in each passage will he used for testing local and global comprehension besides a question on interpretation.

14. **One out of two questions** extrapolative in nature based on anyone of the prose lessons from Textbook to be answered in about 80 words. **6 Marks**

15. One question on Drama Text (local and global comprehension question) (30-40 words) 4 Marks

Poetry **10 Marks**

16. One extract from a poem from the prescribed reader followed by two or three questions to test the local and global comprehension of the set text. The extract will carry four marks. 4 Marks

17. Two out of three short answer type questions on interpretation of themes and ideas 6 Marks

Moments - NCERT Supplementary Reader for Class IX` **15 Marks**

18. One out of two questions from Supplementary Reader to interpret, evaluate and analayse character, plot or situations occurring in the lessons to be answered in about 100 words 8 Marks

19. One out of two very short answer type questions based on factual aspects of the lessons to be answered in 20-30 words 3 Marks

20. One out two short answer type questions of interpretative and evaluative nature based on lessons to be answered in 30-40 words 4 Marks

To the teachers

NOTE: Teachers are advised to :

(i) encourage classroom interaction among peers, students and teachers through activities such as role play, group work etc.

(ii) reduce teacher-talking time to the minimum.

(iii) The up questions for discussion to encourage pupils to participate; and to marshal their ideas and express and defend their views, and

(iv) Use scale of assessment for conversation skills for testing thy students far continuous assessment.

Besides measuring attainment" tests serve the dual purpose of diagnosing mistakes and areas of non learning To make evaluation a true index of learners ' attainment each langupge ablity is to 'be tested through l1judicious mixture of different types qf questions. In addition to the formal examination. continuous .and comprehensive assessment is essential to measure the level-of attainment in the four language skills and the learners' communicative capability. Continuous evaluation will be done through tests,' assignments and projects.

Prescribed Books

1. Beehive - Textbook for Class IX
2. Moments - Supplementary Reader for Class IX

} Published by NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi.

Examination Specifications
Class X

One Paper	3 Hours	100 Marks

SECTION A : READING **20 Marks** **30 Periods**

1 & 2 two unseen passages oftotal500 words with a variety of questions including 4 marks for vocabulary.

Only prose passages ,will be used. One will be factual and the other will be literary.

Passage 1 – 2000 words (8 marks) - Four or five comprehension questions

Passage 2 - 300 words (12 marks)-Four or five comprehension questions and two questions on vocabulary

Marks for vacabularv will not exceed 4 marks.

SECTION B : WRITING **20 Marks** **40 Periods**

3. Letter Writing - One letter-based on provided verbal stimulus and context. 8 Marks

   Type of letter : Informal Personal stich as to family and friends. Formal: Letter of complaints, enquiries; Requests applications.

4. Writing a Short paragraph on a given outline/topic in about 60 words 4 Marks

5. Composition : A short writing task based on a verbal and / or visual stimulus. (diagram, picture; graph, map, chart. table. flow chart etc.) Maximum words 80 ‘ 8 Marks

SECTION A: READING **15 Marks** **45 Periods**

Question No. 6-11

A variety of Short questions involving the use of particular structures within a context. Test types used will include doze. gap-filling, sentence-completion, sentence-reordering, dialogue-completion and sentence-transformation (including combining sentences). The Grammar syllabus will include the following areas for teaching:

1. Use of non-finites.
2. Sentence connectors: as, since, while, then, just because, just, until.
3. Clauses with what, where and how.
4. Past Tense.
5. Modals : can. could, may, must, might.

Note: All other area3 covered in Class IX will also be tested in Class X as this is an integrated course for this area of learning.

SECTION D : TEXT BOOKS **45 Marks** **95 Periods**

First Flight - NCERT Textbook for Class X

Prose **20 Marks**

12 & 13 Two extracts from different prose lessons included in Textbook (Approximately 100 words each) 5 x 2 = 10 Marks

These extracts chosen from different lessons will be literary and discursive in nature

Each extract will be of 5 marks. One mark in each extract will be for vocabulary. 4 marks in each passage will be used for testing local and global comprehension besides a question on interpretation.

14. One out of two questions extrapolative in nature based on anyone of the prose lessons from Textbook to be answered in about 80 words. 6 Marks

15. One out of two questions on Drama Text (local and global comprehension question) (30-40 words) 4 Marks

Poetry 16 **10 Marks**

16. One extract from a poem from the prescribed reader followed by two or three questions to test the local and global comprehension of the set text. The extract will cary four marks. 4 Marks

17. Two out of three short answer type questions on interpretation of themes and ideas contained in the poems to be answered in 30-40 words each. 6 Marks

Foot Prints without Feet - NCERT Supplementary Reader for Class X **15 Marks**

18. One out of two questions from Supplementary Reader to interpret, evaluate and analyse character, plot or situations occurring in the lessons to be answered in about 100 words. 8 Marks

19. One out of MO short answer type questions of interpretative and evaluative nature based on lessons to be answered in 30-40 words 4 Marks

20. One out of two short answer type questions based on factual aspects of the lessons to be answered in 20-30 words. 3 Marks

Prescribed Books

1. First Flight - Textbook for Class X
2. Foot Prints without Feet-Supplementary Reader for Class X

} Published by NCERT, Sri Aurobindo Marg, New Delhi.

3. गणित (कोड संख्या 041)

गणित के पाठ्यक्रम में समय-समय पर विषय के विकास तथा समाज की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान संशोधित पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF)–2005 के आधार पर तथा गणित शिक्षण पर बने फोकस समूह (Focus Group) के निर्देशानुसार बनाया गया है जिससे यह अपेक्षित है कि यह प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। दैनिक जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर तथा अन्य विषयों की आवश्यकताओं से प्रेरणा लेकर संकल्पनाओं के अनुप्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है।

माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन की समस्या (प्रश्न) को हल करने की क्षमता बढ़ाना तथा विषय को एक पृथक विद्या के रूप में पढ़ना है। ऐसी आशा की जाती है कि विद्यार्थी बीजीय विधियों का उपयोग कर प्रश्नों को हल करने की क्षमता प्राप्त कर पाएगा तथा त्रिकोणमिति के प्रयोग से ऊँचाई तथा दूरी के प्रश्न हल कर पाएगा। संख्याओं तथा ज्यामिति के रूपों का प्रयोग करता हुआ परिकल्पनाएँ बनाएगा तथा इनको इस स्तर के ज्ञान वर्धन से प्रमाणित करेगा। प्रस्तावित पाठ्यक्रम में संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, आलेख तथा निर्देशांक ज्यामिति इत्यादि को सम्मिलित किया गया है।

गणित का शिक्षण गतिविधियों द्वारा कराना चाहिए। इन गतिविधियों में वस्तुएं, माडल, पैट्रन, चार्ट, चित्र पोस्टर, खेल, पहेली तथा प्रयोगों को सम्मिलित करें।

उद्देश्य :

माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्न कौशल/योग्यताओं को प्राप्त कराने में सहायक हैं

- उत्तर प्राईमरी के गणित ज्ञान तथा कौशलों को दृढ़ करना।
- प्रेरणा तथा अवलोकन करके गणित की मूल संकल्पनाओं, पदों, नियमों तथा संकेतों (Symbols) तथा इसमें निहित तरीकों तथा कौशलों द्वारा ज्ञान तथा समझ प्राप्त करना।
- मूल बीजीय कौशलों का वर्धन करना।
- किसी तथ्य की उत्पत्ति तथा किसी प्रश्न (समस्या) को हल करने के अन्तर्गत तर्कों के प्रवाह का अनुभव करना।
- रचना (Drawing) कौशलों का वर्धन।
- प्राप्त ज्ञान तथा कौशलों का प्रयोग, जहां तक हो सके, एक से अधिक तरीके के प्रयोग से, प्रश्नों को हल करना।
- सोचने, निर्णय करने, विश्लेषण करने तथा स्पष्ट तर्क करने के लिए धनात्मक योग्यता को विकसित करना।
- राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण रक्षा, छोटे परिवार सामाजिक बुराइयों को हटाना, लिंग दुर्भावना को हटाने के लिए ज्ञान वर्धन।

- आधुनिक वैज्ञानिक जैसे कैलकुलेटर, कम्प्यूटर इत्यादि से कार्य करने का कौशल वर्धन।
- विभिन्न क्षेत्रों में प्रश्नों का हल करने के औजार रूप में सुन्दर संरचनाओं तथा पैटर्न के लिए गणित में रुचि वर्धन।
- गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए महान गणितज्ञों के प्रति आदर तथा सम्मान भाव बढ़ाना।
- विषय से सम्बन्धित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विषय रूचि विकसित (जागृत) करना।
- विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में प्रयुक्त गणित के विभिन्न रूपों तथा पहलुओं की जानकारी देना।
- विद्यार्थियों में गणित को एक विषय विशेष की तरह पढ़ने में रूचि जागृत करना।

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा IX

एक प्रश्न पत्र	समय : 3 घण्टे	अंक : 80
इकाई		**अंक**
I. संख्या पद्धति		06
II. बीजगणित		20
III. निर्देशांक ज्यामिति		06
IV. ज्यामिति		22
V. क्षेत्रमिति		14
VI. सांख्यिकी तथा प्रायिकता		12
	योग	**80**

ईकाई-I : संख्या पद्धति **(पीरियड 20)**

संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याओं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं को निरूपित करने की पुनरावृत्ति, सांत/असांत आवर्ती दशमलवों का संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा निरूपण, परिमेय संख्याएं अनवसानी आवर्ती/सांत दशमलव रूप में।

$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ इत्यादि के उदाहरण अनवसानी अनावर्ती दशमलव में। अपरिमेय संख्याएं जैसे का अस्तित्व तथा उनका संख्या रेखा पर निरूपण समझाना कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिन्दु से निरूपित किया जाता है। विलोमता, संख्या रेखा का प्रत्येक बिन्दु एक और केवल एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है।

एक दिए गए धनात्मक वास्तविक संख्या x के लिए का अस्तित्व (दृष्ट प्रमाण पर बल) एक वास्तविक संख्या के nवें मूल की परिभाषा। पूर्णांक घातांक वाले घातांक-नियमों का पुनःस्मरण। धनात्मक वास्तविक आधार के साथ परिमेय घातांक (विशेष परिस्थितियों के लिए वरना, शिक्षार्थी को सामान्य नियम सीखने का समय देना)

तथा $\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ जहां x तथा y प्राकृत संख्याएं हैं तथा a, b पूर्णांक हैं, प्रकार की वास्तविक

संख्याएं तथा तथा इनसे संबंधित वास्तविक संख्याओं का परिमेयीकरण।

इकाई-II : बीजगणित (पीरियड 25)

1. बहुपद

एक चर वाले बहुपद की परिभाषा, इसके गुणांक, उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण सहित, इसके पद, शुन्य बहुपद की परिभाषा, एक बहुपद की घात, अचर, रैखिक, द्विघात, त्रिघाती बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, गुणनखंड तथा गुणज बहुपद/समीकरण के शून्यक मूल/शेषफल प्रमेय को कथन की प्रेरणा तथा उदाहरण सहित पूर्णांकों पर आधारित शेषफल प्रमेय पर ज्ञान बढ़ाना। गुणनखण्ड प्रमेय का कथन तथा प्रमाण। $ax^2 + bx + c, a^1\ o$ के गुणनखण्ड जबकि a, b, c वास्तविक संख्याएं हों तथा गुणनखण्ड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद के गुणखण्ड। बीजीय व्यंजकों तथा सर्व समिकाओं का स्मरण (Recall). $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx, (x \pm y)^3 = x^3 + y^3 \pm 3xy\ x \pm y)$ तथा $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)\ (x^2 + y^2 + z^2 - y + zx)$ इस प्रकार की सर्वसमिकाओं का अध्ययन तथा गुणखण्ड करने में इनका उपयोग। सामान्य व्यंजक जिनको इन बहुपदों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

2. दो चरों के रैखिक समीकरण (12 पीरियड)

एक चर वाले रैखिक समीकरणों की पुनरावृत्ति। दो चर वाले समीकरण से परिचय। सिद्ध करना कि दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के अनन्त हल होते हैं तथा इसको वास्तविक क्रमित युग्म के रूप में लेखन की तर्किकता, इनको आलेखित करना तथा दर्शाना कि यह एक रेखा पर आते दिखते हैं। अनुपात तथा क्रमानुपात पर आधारित तथा वास्तविक जीवन से संबन्धित सवाल तथा उनका सामान्य समीकरणों का बीजीय तथा आलेख विधि द्वारा हल।

इकाई-III : निर्देशांक ज्यामिति (पीरियड 9)

1. निर्देशांक ज्यामिति

कार्तीय तल, एक बिन्दु के निर्देशांक, कार्तीय तल से संबंधित नाम तथा पद, संकेतन (Notation) एक तल में बिन्दुओं का आलेख, उदाहरण स्वरूप रैखिक समीकरणों का आलेख, समीकरण $ax+by+c=o$ को $y = mx+c$ रूप में लिखकर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अध्याय से जोड़ना।

इकाई-IV : ज्यामिति (पीरियड 6)

1. यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय

इतिहास युक्लिड तथा भारत में ज्यामिति, देखे गये प्रक्रियाओं को ठोस गणितीय रूपांतर परिभाषाओं, सामान्य/स्पष्ट अवधारणायें, अभिगृहीत/अभिधारणाएं तथा प्रमेय। युक्लिड की पांच अभिधारणाएं। पांचवें अधि ाधारणा के तुल्य कथन। अभिगृहित तथा प्रमेय के सम्बन्ध को प्रर्दशित करना।

(i) दो दिए गए विभिन्न बिन्दुओं से एक और केवल एक रेखा होकर जाती है।

(ii) (सिद्ध कीजिए) दो विभिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिन्दु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता।

2. रेखाएं तथा कोण **(पीरियड 10)**

(i) (प्रेरित कीजिए) यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180^{o} होता है तथा इसका विलोम,

(ii) (सिद्ध कीजिए) यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं;

(iii) (प्रेरित कीजिए) जब एक तिर्यक रेखा दो समान्तर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो संगत कोणों, एकान्तर कोणों, अतः कोणों पर परिणाम।

(iv) (प्रेरित कीजिए) दी गई एक रेखा के समान्तर रेखाएं, समान्तर होती हैं।

(v) (सिद्ध कीजिए) त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180^{o} है।

(vi) (प्रेरित कीजिए) एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, इस प्रकार बना बाह्यकोण अन्तः सम्मुख कोणों के योग के समान है।

3. त्रिभुजें **(पीरियड 20)**

(i) (प्रेरित कीजिए) यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनका आन्तरित कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके आन्तरिक कोण के समान हों, दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं।

(भु. को. भु. सर्वांगसमता)

(ii) (सिद्ध कीजिए) दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी आन्तरित भुजा दूसरी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों तथा उनकी आन्तरित भुजा के बराबर हों।

(को. मु. को. सर्वांगसमता)

(iii) (प्रेरित करना) दो त्रिभुजें सर्वांगसम होती है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो।

(भु. भु. भु. सर्वांगसमता)

(iv) (प्रेरित करना) दो समकोण त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के क्रमशः बराबर हों।

(v) (सिद्ध कीजिए) एक त्रिभुज की दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।

(vi) (प्रेरित कीजिए) यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं।

(vii) (प्रेरित कीजिए) त्रिभुज की असमानताएं तथा इनके कोण तथा सम्मुख भुजा में संबंध।

4. चतुर्भुज **(पीरियड 10)**

(i) (सिद्ध कीजिए) एक समान्तर चतुर्भुज को विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है।

(ii) (प्रेरित करना) एक समान्तर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा विलोम।

(iii) (प्रेरित करना) एक समान्तर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं तथा विलोम।

(iv) (प्रेरित करना) एक चतुर्भुज एक समान्तर चतुर्भुज है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समान्तर हो।

(v) (प्रेरित करना) एक समान्तर चतुर्भुज के दो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा विलोम।

(vi) (प्रेरित करना) एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने वाला रेखाखण्ड तीसरी भुजा के समान्तर होता है तथा इसका विलोम

5. क्षेत्रफल **(पीरियड 4)**

क्षेत्रफल की धारणा का पुनर्वलोकन, आयत के क्षेत्रफल का पुनः स्मरण

(i) (सिद्ध कीजिए) एक ही आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच बने समान्तर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं।

(vi) (प्रेरित कीजिए) एक ही आधार तथा समान समान्तर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं तथा विलोम

6. वृत्त **(पीरियड 15)**

उदाहरणों द्वारा वृत्त की परिभाषा तथा वृत्त सम्बन्धी सकल्पनाएं त्रिज्या, परिधि, व्यास, जीवा, चाप, आन्तरित कोण परिभाषा बताना।

(i) (सिद्ध कीजिए) एक वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केन्द्र पर समान कोण आंतरित करती हैं तथा (प्रेरित कीजिए) इसका विलोम

(ii) (प्रेरित कीजिए) वृत्त के केन्द्र से जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाग करता है तथा विलोम, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए वृत्त के केन्द्र से खींची गई रेखा जीवा पर लम्ब होती है।

(iii) (प्रेरित कीजिए) दिए गए तीन सरेख बिन्दुओं में से जाता हुआ एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है।

(iv) (प्रेरित कीजिए) एक वृत्त की (अथवा सर्वांगसम वृत्तों की) समान जीवाएं केन्द्रों से समदूरस्थ होती हैं।

(vi) (सिद्ध कीजिए) एक वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के किसी अन्य बिन्दु पर उस चाप द्वारा बने कोण के अंशमाप का दुगुना होता है।

(vii) (प्रेरित कीजिए) वृत्त के एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं।

(viii) (प्रेरित कीजिए) यदि दो बिन्दुओं को मिलाने वाला एक रेखाखण्ड, रेखा के उस ओर जिस पर खंड स्थित है रेखा पर स्थित अन्य दो बिन्दुओं पर बाराबर कोण आन्तरित करता है तो ये चारों बिन्दु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं।

(viii) (प्रेरित कीजिए) एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी युग्म का योगफल 180° होता है।

7. रचनायें **(पीरियड 10)**

(i) रेखाखंडों तथा कोणों के समद्विभाजक तथा 60°, 90°, 45° कोणें इत्यादि की रचना, समबाहु त्रिभुजें।

(ii) त्रिभुज की रचना जबकि आधार, अन्य दो भुजाओं का योग अन्तर तथा एक आधार कोण दिया हो।

(iii) त्रिभुज की रचना जब उसका परिमाप तथा आधार के कोण दिए हों।

इकाई-V : क्षेत्रमिति (मैन्सूरेशन) **(पीरियड 4)**

(i) क्षेत्रफल

हीरो के सूत्र (बिना प्रमाण) का उपयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तथा एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में इसका प्रयोग।

(ii) पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन **(10 पीरियड)**

घन, घनाभ, गोला (अर्ध गोला सहित) तथा लम्बवृत्तीय बेलन/शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करना।

इकाई-VI : सांख्यिकी तथा प्रायिकता **(पीरियड 13)**

1. सांख्यिकी

सांख्यिकी का परिचय : आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण-सारणीबद्ध आंकड़े, अवर्गीकृत/वर्गकृत, दंड आलेख, आयतचित्र (परिवर्ती चौड़ाइयों वाले), बारम्बारता बहुभुज, एकत्रित आंकड़ों को उचित प्रकार से प्रस्तुत करने हेतु आंकड़ों का विशिष्ट विश्लेषन अवर्गीकृत आँकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक।

2. प्रायिकता **(पीरियड 12)**

इतिहास, प्रयोग को दोहराना तथा दृष्ट बारम्बारता के माध्यम द्वारा प्रायिकता, आनुभाविक प्रायिकता पर बल (एकत्रित तथा एकेलिए गतिविधियों द्वारा ज्ञान को प्रेरित करने पर अधिक समय लगाना जीवन सम्बन्धी स्थितियों तथा सांख्यिकी के अध्याय में प्रयोग किए गए उदाहरणों से)

आन्तरिक मूल्यांकन	**20 अंक**
गतिविधियों का आंकलन	10 अंक
प्रोजेक्ट कार्य	05 अंक
सतत आंकलन	05 अंक

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा X

एक प्रश्न पत्र	**समय : 3 घण्टे**	**अंक : 80**
इकाई		**अंक**
I. संख्या पद्धति		04
II. बीजगणित		20
IIII. त्रिकोणमिति		12
IV. निर्देशांक ज्यामिति		08
V. ज्यामिति		16
VI. क्षेत्रमिति		10
VII. सांख्यिकी तथा प्रायिकता		10
	योग	**80**

इकाई-I : संख्या पद्धति (पीरियड 15)

युक्लिड विभाजक प्रमेयिका, गणित के मूलभूत प्रमेय का कथन/पिछले कार्य की पुनरावृत्ति तथा उदाहरणों द्वारा दृष्टांत, $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6},$ के अपरिमेयता के प्रमाण, सांत/अनवसानी आवर्ति में परिमेय संख्याओं का प्रसार।

इकाई-II : बीजगणित (पीरियड 16)

1. बहुपद

बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में सम्बन्ध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर भाग विधि विशेष पर कथन तथा सामान्य प्रश्न।

2. दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म

दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और उनके आलेखीय हल/हल की विभिन्न सम्भावनाओं को दर्शाते आलेखीय निरूपन/असंगतता।

हलों की संख्याओं के लिए बीजीय प्रतिबंध दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का बीजीय हल, प्रतिस्थापन निराकरण तथा तिरछी गुणा विधि द्वारा सामान्य स्थितियों से संबंधित कथनों वाले प्रश्न, समीकरणों पर आधारित प्रश्न जो कि रैखिक समीकरण में परिवर्तनीय को सम्मिलित करें।

3. द्विघात समीकरण (पीरियड 15)

द्विघात समीकरण का मानक रूप $ax^2 + bx + c = o\ (a \neq o)$ । द्विघात समीकरण का हल (वास्तविक मूल) गुणनखण्ड विधि से, वर्ग पूर्ण करने की विधि से तथा द्विघाती सूत्र प्रयोग करने से। विविक्तकर तथा मूलों की प्रकृति का सम्बन्ध।

दैनिक गतिविधियों से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित किये जाएं।

4. समान्तर श्रेणी

समान्तर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा। पद तथा प्रथम पदों के योग के मानक परिणाम को निकालने की विधि।

इकाई-III : त्रिकोणमिति

1. त्रिकोणमितीय अनुपात

एक समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। उनके अस्तित्व का प्रमाण (अच्छी प्रकार से परिभाषित) 10^o तथा 90^o पर परिभाषित अनुपातों की प्रेरणा। 30^o, 45^o, 60^o के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान (प्रमाण सहित)। अनुपातों में सम्बन्ध।

2. त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं

सर्वसमिका $\text{Sin}^2A+\text{Cos}^2A=1$ का प्रमाण तथा उपयोग (केवल साधारण सर्वसमिकाएं ही ली जाएँ)। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।

3. ऊँचाई और दूरी

ऊँचाई और दूरी पर साधारण तथा विश्वसनीय प्रश्न। प्रश्नों में दो से अधिक समकोण त्रिभुज न हों तथा उन्नयन कोण/अवनमन कोण केवल 30^o, 45^o, 60^o के हों।

इकाई-IV : निर्देशांक ज्यामिति

1. रेखाएं (द्विविमितीय में)

निर्देशांक ज्यामिति की पूर्व में की गई अवधारणाओं रैखिक समीकरण के आलेख सहित, का पुनः अवलोकन, द्विघात बहुपद के रेखागणितय दृष्टांत की जानकारी। दो बिन्दुओं के बीच की दूरी तथा आंतरिक विभाजन सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल।

इकाई-V : ज्यामिति

1. त्रिभुजें

समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण तथा विपरीत उदाहरण

1. (सिद्ध कीजिए) यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समान्तर एक रेखाखण्ड खींचा जाता है तो यह रेखाखण्ड अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है।
2. (प्रेरित कीजिए) यदि एक रेखाखण्ड त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो यह रेखाखण्ड तीसरी भुजा के समान्तर होता है।
3. (प्रेरित कीजिए) यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा दोनों त्रिभुजें समरूप होती हैं।
4. (प्रेरित करें) यदि हो त्रिभुजों की संगत भुजायें समानुपाती हों तो संगतकोण समान होते हैं तथा दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।
5. (प्रेरित करें) यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तथा आंतरिक कोण बराबर हों तो त्रिभुजें समरूप होती हैं।
6. (प्रेरित करें) यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं।
7. (सिद्ध कीजिए) समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है।
8. (सिद्ध कीजिए) एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर वर्गों के योगफल के बराबर होता है।
9. **(सिद्ध कीजिए)** एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर वर्गों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है।

2. वृत्त

बिन्दुओं से खींची गई जीवाएं बिन्दु को निकटतर, निकटतर तथा निकटतर आने पर वृत्त की स्पर्श रेखा बनाना।

(i) (सिद्ध कीजिए) वृत्त के किसी बिन्दु पर स्पर्श रेखा, स्पर्शबिन्दु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लम्ब होती है।

(ii) (सिद्ध कीजिए) वृत्त के बाह्य बिन्दु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाइयां बराबर होती हैं।

3. रचनाएं

(i) एक रेखा खण्ड का दिये गए अनुपात (आन्तरिक) में विभाजन।

(ii) वृत्त के बाह्य बिन्दु से वृत्त पर स्पर्श रेखा।

(iii) दी गई त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना।

इकाई-VI : क्षेत्रमिति (मैन्सुरेशन)

1. तलीय आकृतियों का क्षेत्रफल

वृत्त के क्षेत्रफल के ज्ञान की प्रेरणा, वृत्त खण्ड तथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ऊपरोक्त तलीय आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। परिधि पर आधारित प्रश्न (वृत्त खण्ड का क्षेत्रफल निकालते हुए प्रश्नों में केन्द्रीय कोण केवल 60^o, 90^o, 120^o का हो। समतलीय आकृतियों त्रिभुज, सामान्य चतुर्भुज तथा वृत्त से संबंधित प्रश्न लिये जाएं)

2. पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन

निम्न में किन्हीं दो को मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोले, अर्धगोला तथा लम्बवृत्तीय बेलन/शंकु, शंकु का छिन्नक। एक प्रकार के धातु के ठोस को दूसरे में बदलना तथा अन्य मिश्र प्रश्न (दो से अधिक ठोस मिश्रण के प्रश्न नहीं)

इकाई-VII : सांख्यिकी तथा प्रायिकता

1. सांख्यिकी

वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, बहुलक तथा माध्यिका (दो बहुलक के प्रश्न न हों)। संचयी बारम्बारता आलेख।

2. प्रायिकता

प्रायिकता की चिरप्रतिष्ठित परिभाषा, कक्षा IX में प्रायिकता से संबंध एक घटना पर आधारित प्रश्न (समुच्चय चिन्हों का प्रयोग नहीं)।

आंतरिक मूल्यांकन — 20 अंक

गतिविधियों का आंकलन	10 अंक
प्रोजेक्ट कार्य	05 अंक
सतत आंकलन	05 अंक

प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकें

1. गणित कक्षा IX की पाठ्यपुस्तक एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन
2. गणित कक्षा X की पाठ्यपुस्तक एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन
3. Guidelines for Mathematics Laboratory in Schools, Class IX, CBSE Publication.
4. Guidelines for Mathematics Laboratory in Schools, Class X, CBSE Publication.

4. विज्ञान (कोड संख्या 086/090)

विज्ञान की विषय वस्तु की विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक, एवं क्रियात्मक प्रभाव क्षेत्रों की सुपरिभाषित योग्यताओं को विकसित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक, विषयनिष्ठता एवं सौन्दर्यबोध संवेदनशीलता की प्रवृत्ति में वृद्धि करती है।

जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों को प्रेक्षण करने प्रेक्षणों को सूचीबद्ध करने, आरेख खींचने, तालिकाएं बनाने, ग्राफ खींचने आदि के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, सेकण्डरी स्तर पर यह अपेक्षित है कि विज्ञान के सीखने तथा शिक्षण में अमूर्तिकरण तथा मात्रात्मक विवेचना को शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार यह संकल्पना कि परमाणु तथा अणु द्रव्य के इमारती खंड हैं जिनसे मिलकर द्रव्य का उद्‌भव होता है, उसी प्रकार समस्त विश्व के उद्‌भव का कारण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है।

प्रस्तुत पाठयक्रम की अभिकल्पना छः व्यापक मूल विषयों, अर्थात् भोजन, सामग्री, सजीव जगत, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, गतिशील वस्तुएं, लोग एवं धारणाएं, प्राकृतिक परिघटनाएं तथा प्राकृतिक संसाधन। बहुत सी संकल्पनाओं के समावेश के मोह को छोड़ते हुए यह विशेष सावधानी बरती गई है कि उतनी ही संकल्पनाएं रखी जाएं जिन्हें दिए गए समय-फ्रेम में आसानी से सीखा जा सके। व्यापकता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।

इस स्तर पर जबकि विज्ञान कभी भी एक सामान्य विषय है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, तथा जीव विज्ञान के विषयों का आविर्भाव होने लगता है। विद्यार्थियों को उनके अनुभवों के साथ-साथ विवेकों की विधाओं, जो कि इस विषय के प्ररूपी है, से प्रतिपादित कराया जाना चाहिए।

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा X (सैद्धांतिक)

एक प्रश्न पत्र	**समय : 2 घण्टे**	**अंक : 60**
इकाई		**अंक**
I भोजन		05
II द्रव्य इसकी प्रकृति तथा व्यवहार		15
III सजीव जगत की व्यवस्था		13
IV गति, बल तथा कार्य		20
V हमारा पर्यावरण		07
	कुल	**60**

मूल विषय : विज्ञान **(50 पीरियड)**

इकाई-I : भोजन (10 पीरियड)

गुणात्मक सुधार तथा प्रबन्धन के लिए पादपों एवं जन्तुओं का जनन एवं चयन, उर्वरकों का उपयोग, पीड़कों तथा रोगों से मानव की सुरक्षा; कार्बनिक खेती।

इकाई-II : द्रव्य-प्रकृति एवं व्यवहार **(50 पीरियड)**

द्रव्य की परिभाषा; ठोस, द्रव एवं गैस; अभिलक्षण-आकृति, आयतन, घनत्व; अवस्था परिवर्तन-संग्लन (ऊष्मा का अवशोषण), हिमीकरण, वाष्पन (वाष्पन द्वारा शीतलन), संघनन, ऊर्ध्वपतन।

द्रव्य की प्रकृति : तत्व, यौगिक तथा मिश्रण, विषमांगी एवं समांगी मिश्रण, कोलाइड तथा निलंबन।

कणात्मक प्रकृति, मूल इकाइयाँ : परमाणु तथा अणु, स्थिर अनुपात का नियम, परमाणु तथा अणु द्रव्यमान।

मोल संकल्पना : मोल का कणों के द्रव्यमानों तथा संख्याओं से संबंध, संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र।

परमाणु की संरचना : इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन; समस्थानिक एवं समभारिक।

इकाई-III : सजीव जगत में संघटन **(45 पीरियड)**

जैव विविधता : पादपों एवं जन्तुओं में विविधता-वैज्ञानिक नामकरण में मूल समस्याएं; वर्गीकरण का आधार, वर्गों/समूहों का पदानुक्रमण, पादपों के प्रमुख समूह (प्रमुख लक्षण) (बैक्टीरिया, थैलोफ्राइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफ्राइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म), जन्तुओं के प्रमुख समूह (प्रमुख लक्षण) (अरज्जुकी संघ Non-chordates) फाइलम तक तथा रज्जुकी संघ (chordates) वर्गों (classes) तक।

कोशिका जीवन की मूल इकाई : जीवन की मूल-भूत इकाई के रूप में कोशिका, प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी कोशिकाएं, बहुकोशिक जीव, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति, कोशिका अंगक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया रसधानियां, अंतर्दव्यी जालिका (ER), गाल्जी उपकरण, केन्द्रक, क्रोमोसोम (गूणसूत्र) मूल संरचना संख्या।

ऊतक, अंग-तंत्र जीव जन्तु तथा पादप ऊतकों (जन्तुओं में चार प्रकारों, पादपों में विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक) की संरचना तथा कार्य :

स्वास्थ्य एवं रोग : स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग, इनके कारण तथा अभिव्यक्ति। सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाले रोग (वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ) तथा इनसे बचाव, उपचार तथा बचाव के नियम, पल्स पोलियो कार्यक्रम।

इकाई-IV : गति, बल तथा कार्य **(60 पीरियड)**

गति : दूरी तथा विस्थापन, वेग; सरल रेखा के अनुदिश एक समान तथा असमान गति, त्वरण, एकसमान गति तथा एकसमान त्वरित गतियों के लिए दूरी-समय तथा वेग-समय ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, एकसमान वर्तुल गति की आरम्भिक संकल्पना।

बल तथा न्यूटन के नियम : बल एवं गति, नयूटन का गति का पहला नियम, किसी पिण्ड का जड़त्व, जड़त्व एवं द्रव्यमान, संवेग, बल एवं त्वरण। संवेग संरक्षण नियम की आरंभिक धारणा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल।

गुरुत्वाकर्षण : गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल (गुरुत्व), गुरुत्वीय-त्वरण, द्रव्यमान एवं भार, मुक्त पतन।

प्लवन : प्रणोद एवं दाब, आर्किमडीज का सिद्धांत, उत्प्लावनता, आपेक्षिक घनत्व की आरंभिक धारणा।

कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति : बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण नियम।

ध्वनि, ध्वनि की प्रकृति तथा विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण, ध्वनि की चाल, मनुष्यों में श्रृव्यता का परिसर, पराध्वनि, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि तथा सोनार

मानव कर्ण की संरचना (केवल श्रवण पक्ष)

इकाई-V : हमारा पर्यावरण **(15 पीरियड)**

भौतिक सम्पदा : वायु, जल तथा मृदा

श्वसन, दहन तथा ताप को संयत रखने के लिए वायु, वायु की गति तथा भारत के भू-भाग में वर्षा लाने में इसकी भूमिका।

वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण (संक्षिप्त प्रस्तावना), आजोन परत में छिद्र तथा इसके कारण संभावित क्षतियां।

प्रकृति में जैव-भू रासायनिक चक्रण : जल, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन।

प्रायोगिक कार्य

प्रयोगों की सूची **(पीरियड 40)**

1. (a) साधारण नमक, चीनी तथा फिटकरी का जल में वास्तविक विलयन बनाना।

   (b) मृदा, चाक पाउडर तथा बारीक रेत का जल में निलम्बन बनाना।

   (c) स्टार्च का जल में तथा अंडे की सफेदी का जल में कोलॉइड बनाकर इनके बीच विभेदन

   (i) पारदर्शिता, (ii) फिल्टर संबंधी मानदण्ड, (iii) स्थायित्व के आधार पर करना।

2. लोह रेतन तथा सल्फर पाउडर का उपयोग करके (a) मिश्रण, (b) यौगिक बनाना तथा इनके बीच विभेदन (i) दिखावट अर्थात् समांगी एवं विषमांगी, (ii) चुम्बक से व्यवहार, (iii) कार्बन डाइ सल्फाइड (एक विलायक) से व्यवहार, (iv) ऊष्मा का व्यवहार के आधार पर करना।

3 निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं कार्यान्वित करके उनके प्रेक्षण रिकार्ड करना। प्रत्येक प्रकरण में सम्मिलित अभिक्रिया के प्रकार को भी पहचानना।

   (i) कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ लोहे की।

   (ii) वायु में मैग्नीशियम का दहन।

   (iii) तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की।

   (iv) लैड नाइट्रेट को गरम करने पर।

   (v) जलीय विलयन के रूप में सोडियम सल्फेट तथा बोरियम क्लोराइड के बीच।

4. ध्वनि के परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना।

5. कमानीदार तुला तथा मापक सिलिण्डर द्वारा किसी ठोस (जल से सघन) का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना।

6. किसी ठोस को पूर्णतः

   (a) साधारण जल

   (b) अतिलवणीय जल में पूर्णतः डुबोने पर भार में हुई आभासी कभी तथा ठोस द्वारा विस्थापित जल के भार के बीच संबंध ज्ञात करना (कम से कम दो भिन्न ठोसों के द्वारा)।

7. शीतलन के समय गरम जल का ताप मापना तथा ताप-समय ग्राफ खींचना।

8. तानित डोरी/स्लिंकी से संचरित किसी स्पन्द का वेग ज्ञात करना।

9. (a) प्याज की झिल्ली, (b) मानव कपोल कोशिकाओं के अभिरंजित अस्थायी आरोह बनाना तथा अपने प्रेक्षणों को रिकार्ड करके इनके नामांकित आरेख खींचना।

10. तैयार स्लाइडों का प्रेक्षण करके पादपों में मृदूतक तथा दृढ़ोतक; जन्तुओं में पेशी तन्तुओं तथा तंत्रिका कोशिकाओं की पहचान करना तथा इनके नामांकित आरेख खींचना।

11. ऊर्ध्वपातन द्वारा बालू, साधारण नमक तथा अमोनियम क्लोराइड (या कपूर) के मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करना।

12. बर्फ का गलनांक तथा जल का क्वथनांक ज्ञात करना।

13. (a) दिए गए खाद्य पदार्थ के नमूने में स्टार्च, (b) दाल के नमूने में अपमिश्रक मेटैनिल दालों की उपस्थिति का परीक्षण करना।

14. स्पाइरोगाइरा/ऐगौरिकस, मॉस/फर्न, पाइनस (या तो नरशंकु अथवा मादा शंकु) तथा किसी आवृतबीजी पादप के अभिलक्षणों का अध्ययन करना। इनके आरेख खींचना तथा इनके संबंधित वर्गों की पहचान के दो लक्षण लिखना।

15. केंचुआ, कॉकरोच, अस्थिल मछली तथा पक्षी के दिए गए प्रतिदर्श का प्रेक्षण करके आरेख खींचना तथा प्रत्येक प्रतिदर्श के लिए (a) इसके फाइलम (संघ) का एक विशिष्ट लक्षण (b) इसके आवास के संदर्भ में इसका एक अनुकूलित लक्षण रिकार्ड कीजिए।

मूल्यांकन पद्धति

बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों की लिखित परीक्षा (विद्यालय आधारित) : **20 अंक**

प्रयोगिक परीक्षा (विद्यालय आधारित) : **20 अंक**

पाठ्यक्रम संरचना

कक्षा X (सैद्धान्तिक)

एक प्रश्न पत्र	समय : 2 घण्टे	अंक
इकाई		**अंक**
I रासायनिक पदार्थ		18
II सजीव जगत		16
III विद्युतधारा के प्रभाव		10
IV प्रकाश		08
V प्राकृतिक संसाधन		08
	कुल	**60**

इकाई-I : रासायनिक पदार्थ प्रकृति तथा व्यवहार **(55 पीरियड)**

अम्ल, क्षार तथा लवण : H^{+} एवं pH अध्ययन प्रदान करने के पदों में इसकी परिभाषाएं सामान्य गुण, उदाहरण तथा उपयोग, pH स्केल की संकल्पना, (लॉगोहाय से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं) दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाना एवं उपयोग, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा तथा पेरिस प्लास्टर।

रासायनिक अभिक्रियाएं : रासायनिक समीकरण, समुकेत रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण से तात्पर्य रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार : संयोजन, वियोजन (अपघटन), विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीकरण, अपचयन तथा अपचयन (ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ह्रास के पदों में)।

धातुएं तथा अधातुएं : धातुओं एवं आधातुओं के सामान्य गुण, सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों का बनना एवं गुण, मूलभूत धातुकर्मीय प्रक्रियाएं, संक्षारण तथा इससे बचाव।

कार्बन-यौगिक : कार्बन के यौगिकों में सहसंयोजी आबन्ध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, की समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूहों (हेजोजन, ऐल्कोहॉल, ऐल्डिहाइड, कीटोन, कार्वोक्सिलिक अमल ऐल्रीन, ऐल्काइन) वाले कार्बन के यौगिकों नाम पद्धति, प्रकार्यात्मक समूह, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अन्तर, एथानॉल तथा एथानॉइक अम्ल (केवल गुण तथा उपयोग), साबुन तथा अपमार्जक।

तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण : कार्बन के यौगिको के रासायनिक गुणधर्म (दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं) आधुनिक आवर्त सारणी, गुणधर्मो में श्रेणीकरण (संयोजक्ता, परमाणु साइज, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म)

इकाई-II : सजीव जगत **(50 पीरियड)**

जैव प्रक्रियाएं : सजीव प्राणी, पोषण की मूल संकल्पना, श्वसन, पादपों तथा जन्तुओं में वहन एवं उत्सर्जन

पादपों तथा जन्तुओं में नियंत्रण एवं समन्वय : पादपों में अनुवर्तनी गतियाँ, पादप हॉर्मोनों की प्रस्तावना, जन्तुओं में नियंत्रण एवं समन्वयः तंत्रिका तंत्र, एच्छिक-अनैच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जन्तु हॉर्मोन।

जनन : पादप तथा जन्तुओं में जनन (अलैंगिक तथा लैंगिक), जनन स्वास्थ्य परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियां, सुरक्षित यौन संबंध बनाम HIV/AIDS गर्भधारण तथा महिलाओं का स्वास्थ्य।

आनुवंशिकता एवं विकास : आनुवंशिकता, मंडल का योगदान-लक्षणों की वंशागति के नियम लिंग निर्धारण संक्षिप्त परिचय, विकास की मूल अवधारणा तथा प्रमाण।

इकाई-3 : विद्युत धारा के प्रभाव **(35 पीरियड)**

विभवान्तर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन, प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन; धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तथा इसके दौरान दैनिक जीवन में अनुप्रयोग शक्ति, P, V, I तथा R में अर्न्तसंबंध।

विद्युतधारा के चुम्बकीय प्रभाव : चुम्बकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, धारावाही तार के कारण चुम्बकीय क्षेत्र, धारावाही कुण्डली अथवा परिनालिका के कारण चुम्बकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित विभवान्तर, प्रेरित धारा, फ्लेमिंग का दक्षिण नियम, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, AC की आवृत्ति, DC की तुलना में AC के लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ।

इकाई-IV : प्रकाश

वक्रित पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, पद वक्रता केन्द्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। दर्पण सूत्र (व्युत्पत्ति नहीं चाहिए), आवर्धन।

अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक

गोलीय लैंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस सूत्र (व्युत्पत्ति नहीं चाहिए) आवर्धन, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण, गोलीय दर्पणों तथा लेंसों के अनुप्रयोग।

प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विश्लेषण, प्रकाश का प्रकीर्णन दैनिक जीवन में अनुप्रयोग

इकाई-V प्राकृतिक संसाधन

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधनः प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग एवं संरक्षण, वन तथा वन्य जीवन, कोयले तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी के उदाहरण।

क्षेत्रीय पर्यावरण : बड़े बांध : लाभ तथा सीमाएं, विकल्प यदि कोई है तो, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण।

ऊर्जा के स्रोत : ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक स्रोतों की ओर संकेतन; जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवनें, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत।

हमारा पर्यावरण : पारितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं ओजोन श्रय, अपशिष्टों का उत्पादन इनका हल, जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, पदार्थ।

प्रायोगिक कार्य

प्रयोगों की सूची **अंक : 40 (20 + 20) (पीरियड 40)**

1. pH पत्र/सार्वजनिक संसूचक द्वारा निम्नलिखित नमूनों के pH ज्ञात करना
   (i) तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
   (ii) तनु NaoH विलयन
   (iii) तनु एथानोइक अम्ल विलयन

(iv) नींबू का रस

(v) जल

(vi) तनु सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन

2. (i) लिटमस विलयन (नीला/लाल)

(ii) जिंक धातु

(iii) ठोस सोडियम कार्बोनेट के साथ अम्लों तथा क्षारों (जैसे HCl तथा NaOH) की अभिक्रियाओं द्वारा इनके गुणों का अध्ययन करना।

3. (a) अवतल दर्पण

(b) उत्तल लेंस की फोकस दूरी इनके द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु के प्रतिबिंब प्राप्त करके ज्ञात करना।

4. कांच की आयताकार पट्टिका से होकर गमन करने वाली किसी प्रकाश किरण का गमन पथ खींचना। आपतन कोण तथा निर्गत कोण मापना एवं प्राप्त परिणाम की व्याख्या करना।

5. किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवान्तर (V) की इससे प्रवाहित विद्युत धारा (I) पर निर्भरता का अध्ययन करना तथा इसका प्रतिरोध ज्ञात करना। V तथा I के बीच ग्राफ भी खींचना।

6. श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना।

7. पार्श्व क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना।

8. रंध्रों को दर्शाने के लिए किसी पत्ते की झिल्ली का अस्थायी आरोहण बनाना।

9. प्रयोगात्मक रूप में यह दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है।

10. प्रयोगात्मक रूप में यह दर्शाना कि श्वसन क्रिया में कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जित होती है।

11. तैयार स्लाइडों की सहायता से (a) अमीबा में द्विखण्डन तथा (b) यीस्ट में मुकुलन दर्शाना।

12. किशमिशों द्वारा जल अवशोषण प्रतिशतता ज्ञात करना।

13. निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण

(क) संयोजन अभिक्रिया

(ख) वियोजन अभिक्रिया

(ग) विस्थापन अभिक्रिया

(घ) द्वि विस्थापन अभिक्रिया में करना।

(a) जल की बिना बुझे चूने पर क्रिया।

(b) फेरस सल्फेट क्रिस्टलों पर ऊष्मा की क्रिया।

(c) कॉपर सल्फेट विलयन में रखी लोहे की कीलें।

(d) सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड विलयन के बीच अभिक्रिया।

14. (क) निम्नलिखित विलयनों पर Zn, Fe, Cu तथा Ac धातुओं की क्रिया का अध्ययन करना

(i) $ZnSO_4$ (जलीय) (ii) $FeSO_4$ (जलीय)

(iii) $CuSO_4$ (जलीय) (iv) $Al_2(SO_4)_3$ (जलीय)

(ख) उपरोक्त परिणाम के आधार पर Zn, Fe, Cu तथा Al धातुओं को इनकी घटती सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित करना।

15. ऐसीटिक अम्ल (एथानोइक एसिड) के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना

(i) गंध (ii) जल में विलेयता

(iii) लिटमस पर प्रभाव (iv) सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया

मूल्यांकन पद्धति

बाह्य परीक्षा (बोर्ड द्वारा आयोजित बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों की लिखित परीक्षा) **20 अंक**

विद्यालय आधारित प्रायोगिक परीक्षा **20 अंक**

प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकें

1. विज्ञान कक्षा IX के लिए पाठ्यपुस्तक एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन
2. विज्ञान कक्षा X के लिए पाठ्यपुस्तक एन.सी.ई.आर.टी. प्रकाशन
3. Assessment of Practical Skills in Science–Class IX–CBSE Publication.
4. Assessment of Practical Skills in Science–Class X–CBSE Publication.

5. सामाजिक विज्ञान (कोड संख्या 087)

तर्काधार

सामाजिक विज्ञान विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक एक अनिवार्य विषय है। यह सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है। यह पर्यावरण को समग्र रूप से समझने में छात्रों को मदद देता है और व्यापक परिदृश्य तथा अनुभव आधारित उचित मानवीय दृष्टिकोण को विकसित करता है। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सुशिक्षित व जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में मदद देता है, ताकि वे राष्ट्र निर्माण और विकास की प्रक्रिया में प्रभावित ढंग से योगदान दे सकें।

सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की विषयवस्तु मुख्यतः भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से ली गई है। कुछ अंश समाजशास्त्र और वाणिज्य विषयों से भी लिए गए हैं। ये सभी विषय एक-दूसरे से जुड़े होने के साथ समाज के बारे में काल और स्थान के संदर्भ में व्यापक झाँकी प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक विषय की अपनी-अपनी विशिष्टताएँ समाज को अलग-अलग दृष्टिकोण और समग्र रूप से समझने में छात्रों को मदद देती हैं।

उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं :

- काल और स्थान के संदर्भ में मानवीय समाजों में आए परिवर्तनों और विकास की प्रक्रियाओं को समझना।
- छात्रों को अनुभूति कराना कि परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है और कोई भी घटना या समस्या एकाकी नहीं होती वरन् वह काल और स्थान के संदर्भ में व्यापक होती है।
- इतिहास, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य और नीतियों तथा संसार में हो रहे विकास से जुड़ी परिवर्तनों की प्रक्रिया के संदर्भ में समकालीन भारत की समझ विकसित करना।
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम, इसके आदर्श, मूल्यों और देश के सभी वर्गों तथा प्रदेशों के लोगों द्वारा इसमें किए गए योगदान की जानकारी कराना।
- भारतीय संविधान में दी गई मान्यताओं का सम्मान करना और लोकतांत्रिक समाज में प्रभावी नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी से निभाना।
- भारत के समग्र पर्यावरण, इसके साथ की जा रही पारस्परिक क्रिया और उसका लोगों के भावी जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव की गहन जानकारी कराना।
- भारत की भूमि और लोगों के बीच विविधता तथा इसमें निहित एकता को समझना और उसका सम्मान करना।
- भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की विशालता और विविधता का सम्मान करना एवं उसके संरक्षण की आवश्यकता को समझना।
- समकालीन भारत की विकास संबंधी विविध प्रक्रियाओं से जुड़ी पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं एवं चुनौतियों की समझ को बढ़ावा देना।

- छात्रों के ज्ञान, बोध और दक्षताओं को विकसित करने में सहयोग देना जिससे वे व्यक्तिगत और समूह में समकालीन समाज की विविध चुनौतियों का सामना कर सकें और समुदाय में प्रभावी ढंग से भाग लेते हुए आत्मविश्वास के साथ तनावमुक्त जीवन जीने की कला सीख सकें।
- व्याख्याओं, विचारों, सूचनाओं और आँकड़ों के तर्कपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और मूल्यांकन द्वारा जाँच-पड़ताल की आदत डालना जिससे छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो सके।
- आलोचनात्मक चिंतन, मौखिक एवं दृश्य रूप दोनों में प्रभावी अभिव्यक्ति, दूसरों के साथ सहयोग, पहल करना और दूसरों की समस्याओं के निदान हेतु नेतृत्व प्रदान करना जैसी शैक्षिक एवं सामाजिक दक्षताओं का विकास करना।
- वैयक्तिक, सामाजिक, नैतिक, राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक मूल्य जैसे सभी गुणों का विकास करना, जो एक व्यक्ति को प्रभावी रूप से मनोवांछित एवं मिलनसार बनाते हैं।

पाठ्यक्रम संरचना
कक्षा-IX

समय : 3 घण्टा		**अंक : 80+20**
इकाई	**अंक**	**पीरियड**
I. भारत तथा समकालीन विश्व-I	18	40
II. भारत-भूमि और लोग	20	45
III. लोकतांत्रिक राजनीति-I	18	40
IV. अर्थशास्त्र का ज्ञान	16	40
V. आपदा प्रबंधन	8	25
आंतरिक मूल्यांकन	**80**	
I. परीक्षा (रचनात्मक तथा समाकलित)	10	
II. नियत कार्य (कक्षा का गृह)	05	
III. प्रोजेक्ट कार्य	05	

इकाई-1 : भारत एवं समकालीन विश्व-I **(40 पीरियड)**

विषय	**उद्देश्य**
पहले दो उपखण्डों में प्रत्येक से कोई दो विषय तथा तीसरे उपखण्ड में से किसी एक विषय का अध्ययन कर सकते हैं। **उपखण्ड 1.1 : घटनाएँ और प्रक्रियाएँ** इस इकाई का केन्द्र बिन्दु उन तीन घटनाओं और प्रक्रियाओं पर है जिनसे आधुनिक विश्व की पहचान है। प्रत्येक एक भिन्न प्रकार की राजनीति का प्रतिनिधित्व	• इस खण्ड के प्रत्येक विषय (थीम) में विद्यार्थियों को भाषणों के उद्धरण, राजनीतिक घोषणाओं एवं व्यंग्य चित्रों की राजनीति से, पोस्टर पत्र एवं उत्कीर्णन से परिचित कराना और इन प्रकार के साक्ष्यों से अर्थ निकालना सीखना।

विषय	उद्देश्य
करता है और एक विशेष प्रकार की शक्तियों के संयोजन का भी। पहली घटना का संबंध उदारवाद तथा प्रजातंत्र के विकास से है, एक का समाजवाद से और एक का दोनों प्रजातंत्र तथा समाजवाद के नकार (खण्डन) से है।	• विद्यार्थियों को सम्बन्धित व्यक्तियों के नामों से विभिन्न प्रकार के विचारों से जिन्होंने क्रान्ति को प्रोत्साहित किया, और विस्तृत शक्तियों से, जिन्होंने इसे रूपान्तरित किया, उनसे परिचित कराना।
1. फ्रांसिसी क्रांति : (क) प्राचीन राजतंत्र और उसके संकट। (ख) सामाजिक शक्तियाँ जो क्रांति के लिए उत्तरदायी थीं। (ग) विभिन्न क्रांतिकारी समूह और समय के विचार। (घ) विरासत	• क्रान्तियों के इतिहास की खोज में लिखित, मौखिक व दृश्य सामग्री का प्रयोग किस प्रकार हो सकता है, स्पष्ट करना।
2. रूसी क्रान्ति : (क) जार का संकट (ख) 1905 से 1917 के बीच सामाजिक आन्दोलनों की प्रकृति, (ग) प्रथम विश्वयुद्ध तथा सोवियत राज्य की नींव, (घ) विरासत	• रूसी क्रान्ति के अध्ययन से समाजवाद के इतिहास को खोजना। • इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के नामों से परिचय कराना तथा उन विभिन्न प्रकार के विचारों से विद्यार्थियों को परिचित कराना जिनसे क्रान्ति की प्रेरणा मिली।
3. नाजीवाद का उदय (क) सामाजिक लोकतंत्र का उदय, (ख) जर्मनी में संकट, (ग) हिटलर का शक्ति प्राप्त करने का आधार, (घ) नाजीवाद के सिद्धान्त (विचारधारा), (च) नाजीवाद का प्रभाव	• आधुनिक विश्व की राजनीति को नया रूप देने में नाजीवाद को तर्कसंगत महत्व पर चर्चा करना। • नाजी नेताओं के भाषणों व लेखों से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
उपखण्ड 1.2 अर्थव्यवस्थाएँ तथा जीविकाएँ इस खण्डों के विषयों में हमारा केन्द्र बिन्दु इस बात पर होगा कि विभिन्न सामाजिक समूहों ने समकालीन विश्व में होनेवाले परिवर्तनों का सामना किस प्रकार किया और उनके जीवन के ऊपर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ा।	• आधुनिक राज्यों के गठन से, सीमांकन से, स्थानबद्धता की प्रक्रिया से, चारागाहों के सिकुड़ने से तथा बाजारों के प्रसार से यह सोचना कि आधुनिक विश्व में पशुचारण एवं पशुचारक समाज का क्या होता है।
4. आधुनिक विश्व में पशुचारक (क) पशुचारण जीवन की एक राह, (ख) पशुचारण के विभिन्न प्रकार (ग) उपनिवेशवाद एवं आधुनिक राज्यों में पशुचारण की क्या स्थिति है। **केस अध्ययन** : एक अमरीका और एक अफ्रीका के पशुचारक समूहों पर विशेष रूप से।	• विभिन्न स्थानों पर पशुचारण समाजों के भीतर होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास को इंगित करना। • उपनिवेशीकरण का विभिन्न स्थानों में वन्य समाज पर तथा वैज्ञानिक कृषि के पड़े प्रभाव को समझना। • विशेष विद्रोहों के अध्ययन से वन्य समाजों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की चर्चा करना।

विषय	उद्देश्य
5. वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद : (क) वन तथा जीविकाओं में आपसी सम्बन्ध (ख) उपनिवेशवाद के अन्तर्गत वन्य समाज में परिवर्तन **केस अध्ययन :** दो वन्य-आन्दोलनों पर केन्द्रित : एक उपनिवेशक भारत में (बस्तर) और एक इंडोनेशिया में।	• मौखिक परंपराएँ किस प्रकार जनजातियों के विद्रोहों के अनुसंधान में प्रयुक्त हो सकी हैं, इन्हें समझना।
6. कृषि और खेतिहर समाज (क) विभिन्न प्रकार की कृषि और खेतिहर समाज के प्रादुर्भाव का इतिहास (ख) आधुनिक विश्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन	• विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में बताना जिनसे आधुनिक विश्व में कृषि-रूपान्तरण हो जाए। • समझना कि कि किस प्रकार भारत में कृषि व्यवस्था दूसरे देशों से भिन्न है।
केस अध्ययन : केन्द्र बिन्दु-ग्रामीण परिवर्तनों और ग्रामीण समाजों के रूपों में वैषम्य (अमरीका में बड़े स्तर पर गेहूँ तथा कपास की कृषि का विस्तार, इंग्लैंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि क्रान्ति और औपनिवेशिक भारत में निम्न स्तर पर खेतिहर उत्पादन)	• विद्यार्थियों को अवगत कराना कि बड़े स्तर पर कृषि छोटे स्तर पर उत्पादन, झूम खेती विविध सिद्धान्तों पर कार्य करते हैं और उनके भिन्न-भिन्न इतिहास हैं।
उपखण्ड 1.3 संस्कृति, अस्तित्व तथा समाज इस इकाई के अन्तर्गत विभिन्न विषय विचार करेंगे कि कैसे संस्कृति के मुद्दों को समकालीन विश्व निर्माण से जोड़ा जा सकता है।	• यह सुझाना कि खेलों का भी इतिहास है और वह राजनीतिक शक्ति और वर्चस्व से जुड़ा हुआ है।
7. खेल और राजनीति : क्रिकेट की कहानी, (क) क्रिकेट का अंग्रेजी खेल के रूप में उदय। (ख) क्रिकेट एवं उपनिवेशवाद। (ग) क्रिकेट राष्ट्रीयता तथा उपनिवेशन की समाप्ति।	• विद्यार्थियों को क्रिकेट की कुछ ऐसी कहानियाँ बताना जिनका ऐतिहासिक महत्व है।
8. वस्त्र (पहनावे) और संस्कृतियाँ (क) पहनावे में परिवर्तनों की लघुकथा (ख) उपनिवेशक भारत में पहनावे पर वाद-विवाद (ग) स्वदेशी व खादी आन्दोलन।	• यह बताना कि वस्त्रों (पहनावों) का भी इतिहास है और यह किस प्रकार सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है।
उपखण्ड 1.4 मानचित्र कार्य (2 अंक)	• स्पष्ट कराना कि पहनावा किस प्रकार गहन सामाजिक लड़ाइयों का केन्द्र बिन्दु रहा है।

इकाई-2 : भारत–भूमि और लोग (पीरियड 45)

विषय-वस्तु	उद्देश्य
1. भारत : स्थिति, उचावच, संरचना, प्रमुख भू-आकृतिक इकाइयाँ।	• प्रमुख स्थल रूपों के लक्षण एवं उनमें निहित भूवैज्ञानिक संरचना; उनका विविध शैलों और खनिजों से सम्बन्ध तथा मृदा प्रकारों की प्रकृति समझना।
2. जलवायु : जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक; मानसून इसकी विशेषताएँ, वर्षा और तापमान का	• जलवायु को प्रभावित करने वाले विविध कारकों को पहचानना और अपने देश में जलवायु की विविधता

विषय-वस्तु	उद्देश्य
वितरण, ऋतुएँ, जलवायु एवं मानव जीवन	और उसका लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करना। • मानसून के महत्व और उसकी एकताकारी भूमिका की व्याख्या करना।
3. **अपवाह तंत्र :** प्रमुख नदियाँ एवं सहायक नदियाँ, झीलें एवं समुद्र, देश की अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका, नदियों का प्रदूषण एवं नदी-प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय।	• देश के नदी तंत्रों की जानकारी करना और मानव समाज के विकास में नदियों की भूमिका की व्याख्या करना।
4. **प्राकृतिक वनस्पति :** वनस्पति के प्रकार, वितरण, ऊँचाई के अनुसार बदलाव, संरक्षण की आवश्यकता एवं उसके विविध उपाय।	• देश में विविध प्रकार के पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं की विशेषताओं तथा वितरण की जानकारी करना।
5. **वन्य प्राणी :** प्रमुख जातियाँ, उनका वितरण, संरक्षण की आवश्यकता एवं उसके विविध उपाय।	• अपने देश की जैव-विविधता में दिलचस्पी लेना और उसके संरक्षण की आवश्यकता को समझना।
6. **जनसंख्या :** आकार, वितरण, आयु-लिंग संघटन, जनसंख्या परिवर्तन और इसमें प्रवास की निर्धारक भूमिका, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यावसायिक संरचना और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति; जनसंख्या के उपेक्षित किशोर वर्ग की विशेष आवश्यकताएँ।	• जनसंख्या के असमान वितरण का विश्लेषण करना और देश की अत्यधिक जनसंख्या के लिए चिन्ता करना। • लोगों के विविध व्यवसायों को जानना और जनसंख्या परिवर्तन के विविध कारकों की व्याख्या करना। • राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के विविध आयामों की व्याख्या करना और उपेक्षित किशोर वर्ग की विशेष आवश्यकताओं को स्पष्ट करना।
7. **मानचित्र कार्य (4 अंक)**	

परियोजना कार्य/क्रियाकलाप

(i) छात्र अपने-अपने प्रदेश के ऋतुओं से संबंधित गीत, नृत्य , त्योहार, भोजन आदि की जानकारी कर सकते हैं और यह भी मालूम कर सकते हैं कि भारत के अन्य प्रदेशों की इन सबमें क्या समानता है।

(ii) अपने क्षेत्र के पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं से सम्बन्धित सामग्री एकत्र कर सकते हैं। इसमें क्षेत्र की संकटापन्न जातियों की सूची होनी चाहिए और उन्हें बचाने के उपाय से जुड़ी सूचना होनी चाहिए।

(iii) पोस्टर : नदी प्रदूषण, वनों के क्षरण और पारिस्थितिकी असन्तुलन पर पोस्टर बनाना।

इकाई-3 : लोकतांत्रिक राजनीति-I (पीरियड 40)

विषय-वस्तु	अधिगम-उद्देश्य
1. **लोकतन्त्र क्या है? लोकतन्त्र क्यों?** लोकतन्त्र को परिभाषित करने हेतु विभिन्न तरीके कौन से हैं? आधुनिक युग में लोकतन्त्र ही सबसे	• लोकतन्त्र को परिभाषित करने हेतु संकल्पनात्मक कौशल को विकसित करना। • किन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं एवं शक्तियों द्वारा लोकतन्त्र

विषय-वस्तु	अधिगम-उद्देश्य
लोकप्रिय शासन क्यों बन गया है? लोकतन्त्र के विकल्प क्या हैं? क्या लोकतन्त्र अन्य उपलब्ध विकल्पों से श्रेष्ठ है? क्या प्रत्येक लोकतन्त्र की एक जैसी संस्थाएँ एवं मान्यताएँ होती हैं?	विकसित हुआ; इसकी समझ रखना। • लोकतन्त्र के सामान्य पूर्वाग्रहों के विरुद्ध लोकतंत्र के रक्षा कवच को विकसित करना। • भारत में लोकतंत्र की प्रकृति तथा चयन के ऐतिहासिक अनुभूति को विकसित करना।
2. भारत में लोकतन्त्र का निर्माण भारत एक लोकतन्त्र क्यों तथा कैसे बना? भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? भारत में लोकतन्त्र के लगातार रूपांकन एवं पुनःरूपांकन के निर्माण की प्रक्रिया कैसे जारी है?	• संविधान निर्माण की प्रक्रिया से अवगत होना। • संविधान के लिए आदर तथा संवैधानिक मान्यताओं के लिए प्रशंसा का विकास करना। • संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें परिवर्तन आते हैं इस तथ्य को पहचानना। • तुलनात्मक दलीय राजनीति के माध्यम से प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्त्र के विचार से परिचित होना।
3. लोकतन्त्र में चुनावी राजनीति हम प्रतिनिधियों का चुनाव क्यों तथा कैसे करते हैं? हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा क्यों है? चुनावी राजनीति में नागरिकों की भागेदारी में परिवर्तन कैसे आया है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किस प्रकार सुनिश्चित किए जा सकते हैं?	• हमारी निर्वाचन व्यवस्था से सुविदित होना तथा इसे चयन करने के कारणों को जानना। • चुनाव आयोग के महत्व को पहचानना। • केन्द्रीय सरकार की संरचनाओं का अवलोकन करना। • संसद तथा इसकी प्रक्रियाओं से सुग्राहित होना।
4. संसदीय लोकतन्त्र की संस्थाएँ देश किस प्रकार शासित होता है? हमारे लोकतन्त्र में संसद क्या करती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद् द्वारा क्या भूमिका निभाई जाती है? इनका पारस्परिक सम्बन्ध क्या है?	• नाममात्र की तथा वास्तविक कार्यकारिणी के कार्यों के बीच अन्तर करना। • कार्यकारिणी की संसदीय विधायिका के प्रति जवाबदेही की संसदीय व्यवस्था को समझना। • नागरिकों के अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास करना। • मौलिक अधिकारों से अवगत होना व उनके प्रति प्रशंसा का भाव रखना।
5. लोकतन्त्र के नागरिकों के अधिकार संविधान में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? भारतीय संविधान के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा कौन से मौलिक अधिकारों का उपयोग किया जाता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका द्वारा किस प्रकार की जाती है? न्यायपालिका की स्वतन्त्रता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है?	• इन अधिकारों को क्रियान्वित करने, तथा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से वंचित किए जाने के तरीकों की पहचान करना। • न्यायिक व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से परिचित होना।

इकाई-4 : अर्थशास्त्र का ज्ञान-I

(पीरियड 40)

विषय-वस्तु	उद्देश्य
1. **पालमपुर की आर्थिक कहानी :** पालमपुर के आर्थिक लेन-देन और शेष विश्व के साथ इसकी परस्पर क्रियाएँ, जिनके द्वारा उत्पादन की संकल्पना (उत्पादन के तीन कारकों, भूमि, श्रम और पूँजी सहित) से परिचित कराया जा सकता है।	• एक गाँव की काल्पनिक कहानी के द्वारा बच्चों को कुछ मूलभूत आर्थिक संकल्पनाओं से परिचित कराना।
2. **संसाधन के रूप में मानव** : मानव किस प्रकार संसाधन/परिसम्पत्ति बनते हैं; पुरुषों व स्त्रियों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएँ, स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले अदत्त कार्य, मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका, मानवीय संसाधन के अनुपयोग के रूप में बेरोजगारी, साधारण रूप में इसके सामाजिक व राजनैतिक प्रभाव।	• जनसंख्या सम्बन्धी कुछ संकल्पनाओं से परिचय और राष्ट्रीय निर्माण में परिसम्पत्ति के रूप में लोगों की भूमिका के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना।
3. **भारत में गरीबी एक चुनौती :** गरीब कौन है (एक ग्रामीण और एक शहरी उदाहरण का अध्ययन) सूचक, निरपेक्ष गरीबी (संकल्पना के रूप में नहीं बल्कि कुछ सरल उदाहरणों द्वारा) लोग गरीब क्यों होते हैं, संसाधनों का असमान वितरण, देशों की बीच तुलना, गरीबी दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय।	• गरीबी को एक चुनौती के रूप में समझना और इसके प्रति विद्यार्थी को संवेदनशील बनाना। • गरीबी दूर करने में सरकार द्वारा की गई पहल का महत्व।
4. **खाद्य सुरक्षा : खाद्यान्न के स्रोत** : देश में खाद्यान्नों की किस्म अतीत में अकाल आत्म-निर्भरता की आवश्यकता खाद्य सुरक्षा में सरकार की भूमिका खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति गोदामों में अनाज की बहुलता और भुखमरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका (खाद्यान्न, दूध और सब्जियों की राशन की दुकानें, सहकारी दुकानें, दो या तीन उदाहरणों का अध्ययन)	• जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को एक आर्थिक विषय के रूप में बच्चे के सन्मुख प्रस्तुत करना। • खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका का मूल्यांकन।

सुझावात्मक क्रियाएँ/अनुदेश

विषय वस्तु-1 : विभिन्न कामगारों और किसानों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के और उदाहरण दें। संख्यात्मक समस्याओं को भी शामिल किया जा सकता है।

गाँवों के विवरण के कुछ तरीके प्रेमचन्द, एम.एन. श्रीनिवास और आर.के.नारायण की रचनाओं में उपलब्ध हैं। इनका उल्लेख किया जा सकता है।

विषय-वस्तु-2 : बेरोजगारी के प्रभावों का विवेचन करें।

स्त्रियों द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं इस पर वाद-विवाद। क्या भीख माँगना आर्थिक क्रिया है? विवेचन करें। क्या जनसंख्या कम करना या परिवार का आकार छोटा करना आवश्यक है? विवेचन करें।

विषय-वस्तु : 4

कुछ खेतों में जाकर उनमें उगाए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा प्राप्त करें।
पास की राशन की दुकान से वहाँ उपलब्ध वस्तुओं का ब्यौरा प्राप्त करें।
एक नियमित बाजार के अहाते में जाकर वहाँ होने वाले सौदों का अवलोकन करें और वहाँ वस्तुएँ कहाँ से आती हैं और कहाँ जाती हैं, इसका ब्यौरा प्राप्त करें।

इकाई-5 : आपदा प्रबंधन (पीरियड 25)

(i) **मानव निर्मित आपदाएँ** : नाभिकीय, जैविक एवं रासायनिक

(ii) **सामान्य संकट** : रोकथाम एवं न्यूनीकरण

(iiii) **समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन**

प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकें

1. भारत एवं समकालीन विश्व इतिहास एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
2. समकालीन भारत-भूगोल एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
3. लोकतांत्रिक राजनीति एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
4. अर्थशास्त्र एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
5. आओ चलें एक सुरक्षित भारत की ओर, भाग-II, सी.बी.एस.ई. द्वारा आपदा प्रबंधन पर प्रकाशित पाठ्यपुस्तक

पाठ्यक्रम की संरचना
कक्षा-X (सैद्धान्तिक)

समय : 3 घण्टा		**अंक : 80+20 आंतरिक मूल्यांकन के**
इकाई	**अंक**	**पीरियड**
I. भारत तथा समकालीन विश्व-II	22	55
II. भारत-संसाधान एवं उनका विकास	22	50
III. लोकतांत्रिक राजनीति-II	18	40
IV. अर्थशास्त्र का ज्ञान-II	18	45
आंतरिक मूल्यांकन	**80**	
I. परीक्षा (रचनात्मक तथा समाकलित)	10	
II. नियत कार्य (कक्षा का गृह)	04	
III. प्रोजेक्ट कार्य	06	

विषय	उद्देश्य
विद्यार्थियों को पहले दो उपखण्डों में प्रत्येक से कोई दो दो थीम चुननी है तथा तीसरे उपखण्ड में से केवल एक थीम चुननी है। प्रथम उपखण्ड की तीसरी थीम सभी के लिए अनिवार्य है तथा शेष दो में से कोई एक थीम चुन सकते हैं। (कुल मिलाकर तीनों उपखण्डों में से केवल पाँच थीम चुननी है)	• इस विषय के अन्तर्गत 1830 के बाद के समय में राष्ट्रवाद के उदय के रूपों की चर्चा होगी।
उपखण्ड : 1.1 : घटनाएँ और प्रक्रियाएँ **1. यूरोप में राष्ट्रवाद :** (क) 1830 के दशक में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। (ख) ज्यूसेपे मैत्सिनी तथा अन्य के विचार। (ग) पोलेण्ड, हंगरी, इटली, जर्मनी तथा ग्रीस के आन्दोलनों की सामान्य विशेषताएँ।	• यूरोप राष्ट्रवाद तथा उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद में आपसी संबंध और अन्तर संबंधी चर्चा होगी। • यूरोप तथा अन्य देशों में राष्ट्र राज्यों का विचार किस प्रकार सामान्य हो गया, इसकी चर्चा।
2. इण्डो चाइना में राष्ट्रवादी आन्दोलन : भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के कारक (क) इण्डोचाइना में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। (ख) फ्रांस के विरुद्ध संघर्ष के चरण। (ग) फानदिन्ह फंग, फान बोई चाऊ, न्यून एक् क्योक के विचार। (घ) द्वितीय विश्वयुद्ध तथा मुक्ति संघर्ष (च) अमरीका और दूसरा इण्डोचाइना युद्ध।	• फ्रांसीसी उपनिवेशवाद एवं इन्डो चाइना तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद में अन्तर स्पष्ट करना। • इंडो चाइना में उपनिवेश विरोधी संघर्ष के विभिन्न चरणों की रूपरेखा बताना। • भारत और इंडो चाइना के राष्ट्रीय आन्दोलनों में अन्तर से विद्यार्थियों को परिचित कराइए।
3. भारत में राष्ट्रवाद : सविनय अवज्ञा आन्दोलन (क) प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत तथा असहयोग। (ख) नमक सत्याग्रह। (ग) किसानों, श्रमिकों तथा आदिवासियों के आन्दोलन। (घ) विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ।	• सविनय अवज्ञा आन्दोलन के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की विशेषताओं पर चर्चा। • विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों की प्रकृति का विश्लेषण करना। • विभिन्न राजनैतिक दलों के तथा अन्य व्यक्तियों के विशेषकर गांधीजी के विचारों से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
उपखण्ड 1.2 : अर्थव्यवस्थाएँ तथा जीविकाएँ **4. 1850 के दशक से 1950 के दशक के दौरान आद्योगिकीकरण** (क) ब्रिटेन व भारत के औद्योगीकरण के रूप में वैषम्य। (ख) हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादन तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में सम्बन्ध। (ग) श्रमिकों की जीविका, केस अध्ययन : ब्रिटेन एवं भारत	• औद्योगिकीकरण के भिन्न-भिन्न प्रतिरूपों (पैटर्न) की चर्चा कराना जिनमें से एक औपनिवेशिक देश में दूसरा उपनिवेश के भीतर हो। • उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों (सैक्टर) में आपसी सम्बन्धों पर प्रकाश डालना।

विषय	उद्देश्य
5. नगरीकरण तथा नागरिक जीवन (क) शहरीकरण के प्रकार (ख) प्रवसन एवं नगरों का विकास, (ग) सामाजिक परिवर्तन तथा शहरी जीवन, (घ) व्यापारी, मध्यवर्गी, श्रमिक तथा शहरी गरीब। **केस अध्ययन** : उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में लंदन तथा बम्बई (मुम्बई)	• दो भिन्न संदर्भों में शहरीकरण का अन्तर स्पष्ट करना, बम्बई और लंदन को केन्द्र बिन्दु रखकर शहरीकरण और औद्योगीकरण की एक-दूसरे के पूरक के रूप में चर्चा करना।
6. व्यापार तथा वैश्वीकरण : (क) उन्नीसवीं व प्रारंभिक बीसवीं शताब्दी में विश्व बाजार का प्रसार व संघटन, (ख) दो विश्वयुद्धों के बीच व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, (ग) 1950 के दशक के पश्चात् परिवर्तन, (घ) वैश्वीकरण से जीविका पद्धतियों में प्रभाव, **केस अध्ययन** : युद्धोपरान्त 1945 से 1960 के दशक तक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था।	• दर्शाना कि वैश्वीकरण का इतिहास बहुत लम्बा है और उसके प्रक्रिया में आए परिवर्तनों पर भी प्रकाश डालें। • स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्वीकरण के परिणामों का विश्लेषण करना। • विभिन्न सामाजिक वर्गों ने वैश्वीकरण का अनुभव किस प्रकार किया है; इस पर चर्चा।
उपखण्ड 1.3 संस्कृति, पहचान एवं समाज **7. मुद्रण संस्कृति तथा राष्ट्रीयता** (क) यूरोप में मुद्रण का इतिहास (ख) उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में प्रेस का विकास (ग) मुद्रण संस्कृति, लोकवाद विवाद एवं राजनीति	• मुद्रण संस्कृति एवं विचारों के प्रसार के सम्बन्ध पर चर्चा। • विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण घटनाओं और मुद्दों से सम्बन्धित चित्र, कार्टून, प्रचार साहित्य और समाचारों पत्रों में आए वाद-विवादों से परिचय कराना।
8. उपन्यास का इतिहास : (क) पश्चिम में उपन्यास का एक शैली के रूप में आविर्भाव (ख) उपन्यास एवं आधुनिक समाज में परिवर्तनों में आपसी सम्बन्ध, (ग) उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में प्रारंभिक उपन्यास, (घ) दो या तीन लेखकों का अध्ययन।	• स्पष्टीकरण करना कि लेखों के स्वरूपों का विशेष इतिहास है और वे समाज में ऐतिहासिक परिवर्तनों को तथा उन परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करते हैं। • ऐसे लेखकों के विचारों से जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा हो, विद्यार्थियों को परिचित कराना।
उपखण्ड 1.4 मानचित्र कार्य (2 अंक)	

इकाई-2 : भारत-संसाधन एवं उनका विकास (पीरियड 40)

विषय-वस्तु	उद्देश्य
1. संसाधन : प्रकार-प्राकृतिक एवं मानवीय, संसाधन नियोजन की आवश्यकता। **2. प्राकृतिक संसाधन :** भू-संसाधन, मृदा के प्रकार और वितरण, भूमि उपयोग का बदलता प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय।	• संसाधनों के महत्व और उनके विवेकपूर्ण उपयोग तथा संरक्षण की आवश्यकता को समझना।

विषय-वस्तु	उद्देश्य
3. वन एवं वन्य जीव संसाधन : प्रकार और वितरण, पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं का क्षरण, वनों एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा बचाव।	• अपने पर्यावरण में वनों और वन्य जीवों के महत्व को समझने के साथ-साथ संसाधनों के अवक्षय के प्रति जागरूक होना।
4. कृषि : कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, शस्य प्रारूप, प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, रोजगार एवं उत्पादन।	• कृषि के विभिन्न प्रकारों को पहचानना और खेती की विविध विधियों पर चर्चा करना, प्रमुख फसलों का क्षेत्रीय वितरण बताना और साथ ही वर्षा की प्रवृत्ति और शस्य प्रारूप के बीच संबंध समझाना। • कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार से संबंधित बनाई गई सरकार की नीतियों को स्पष्ट करना। • राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को स्पष्ट करना।
5. जल संसाधन : स्रोत, वितरण, उपयोग, बहु-उद्देशीय परियोजनाएँ, जल दुर्लभता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संग्रहण (एक केस अध्ययन सहित प्रस्तुत करना)	• संसाधन के रूप में जल के महत्व को समझना और साथ ही उसके विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण की जानकारी विकसित करना।
6. खनिज संसाधन : खनिजों के प्रकार, वितरण, उपयोग और खनिजों का आर्थिक महत्व और संरक्षण।	• खनिजों के विविध प्रकार, उनका असमान वितरण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को स्पष्ट करना।
7. ऊर्जा संसाधन : ऊर्जा संसाधनों के प्रकार-परंपरागत और गैर-परंपरागत, वितरण उपयोग और संरक्षण।	• विभिन्न प्रकार के परंपरागत और गैर-परंपरागत संसाधनों और उनके उपयोग पर चर्चा करना।
8. विनिर्माण उद्योग : प्रकार, स्थानिक वितरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, निम्नीकरण की रोकथाम के उपाय। (एक केस अध्ययन सहित प्रस्तुत करना)	• राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के महत्व और सीमित क्षेत्रों में ही उद्योगों के संकेन्द्रण परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानता को स्पष्ट करना। • योजनाबद्ध औद्योगिक विकास की आवश्यकता और सतत् पोषणीय विकास में सरकार की भूमिका को समझना।
9. परिवहन, संचार और व्यापार	• निरन्तर सिकुड़ते विश्व में परिवहन एवं संचार के महत्व को स्पष्ट करना।
10. मानचित्र कार्य (4 अंक)	• देश के आर्थिक विकास में व्यापार की भूमिका और उसके बदलते स्वरूप की व्याख्या करना।

परियोजना कार्य/क्रियाकलाप

1. भारत के विभिन्न प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों के विशिष्ट मकानों और लोगों के कपड़ों के चित्र छात्र एकत्र करें और जाँचें कि उनका क्षेत्र की जलवायु दशाओं और उच्चावच लक्षणों से क्या संबंध है।

2. गाँवों में अपनाई जाने वाली सिंचाई की विभिन्न विधियों और गत दस वर्षों में आए शस्य प्रारूप में परिवर्तन पर छात्र संक्षिप्त रिपोर्ट विवरण तैयार करें।

3. इश्तहार : (i) स्थानीय जल प्रदूषण, (ii) वनों का निम्नीकरण, (iii) ग्रीन हाउस प्रभाव पर पोस्टर एकत्र करना या बनाना।

नोट : इसी तरह कोई और क्रियाकलाप लिया जा सकता है।

इकाई-3 : लोकतांत्रिक राजनीति-II

विषय-वस्तु	उद्देश्य
1. लोकतन्त्र में सत्ता की साझेदारी की यंत्रावलियाँ : लोकतन्त्र में सत्ता की क्यों तथा कैसे साझेदारी की जाती है? संघात्मक पद्धति में शक्ति विभाजन, भारत में, किस प्रकार राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है? विकेन्द्रीकरण ने किस सीमा तक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है? लोकतन्त्र कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है।	• भारतीय परिदृश्य में राजनीतिक प्रतियोगिता तथा सामाजिक मतभेदों के सम्बन्धों का विश्लेषण करना। • भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष सम्प्रदायवाद द्वारा रखी गई चुनौतियों को समझना तथा विश्लेषण करना। • राजनीति में जाति और नृजातीय पर पड़ने वाले योग्य तथा निर्योग प्रभावों को समझना।
2. लोकतन्त्र की कार्य-प्रणाली : क्या लोकतंत्र की कार्य-शैली में विभाजन अन्तर्निहित है? जाति का राजनीति पर तथा राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव रहा है? लिंग विभाजन ने राजनीति को किस प्रकार के सांचे में ढाला है? साम्प्रदायिक विभाजन किस प्रकार लोकतन्त्र को प्रभावित करते हैं?	• राजनीति पर लिंग परिपेक्ष का विकास। • विद्यार्थियों को लोकतन्त्र में केन्द्रीकृत शक्ति की साझेदारी से अवगत कराना। • व्यापक तथा सामाजिक शक्ति की साझेदारी के यन्त्रों की कार्य-प्रणाली को समझना। • संघात्मक प्रावधानों तथा संस्थाओं का विश्लेषण। • ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में नई पंचायती राज सम्बन्धी संस्थाओं को समझना।
3. लोकतन्त्र में प्रतियोगिता तथा संघर्ष : किस प्रकार संघर्ष, लोकतन्त्र को सामान्य लोगों के पक्ष में ढालते हैं? राजनीतिक दल प्रतियोगिता तथा विवादों में क्या भूमिका निभाते हैं? भारत में कौन-कौन से प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल हैं? राजनीति में सामाजिक जन-आन्दोलन महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाते हैं?	• लोकतन्त्र की व्यापकता में संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना। • लोकतन्त्रों में दलीय व्यवस्था का विश्लेषण। • देश में प्रमुख राजनीतिक दलों से अवगत कराना। • सामाजिक जन आन्दोलनों तथा गैर-राजनीतिक दलीय संगठनों का विश्लेषण। • लोकतन्त्रों की कार्य-पद्धति से सम्बन्धित कठिन प्रश्नों के मूल्यांकन से अवगत होना।

विषय-वस्तु	उद्देश्य
4. **लोकतन्त्र के परिणाम :** क्या लोकतन्त्र को उसके परिणामों के आधार पर आंका जा सकता है? क्या लोकतन्त्रों के सामान्यतया परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है? क्या भारत में लोकतन्त्र से ऐसे परिणामों की अपेक्षा हैं? क्या लोकतन्त्र भारत की जनता के लिए विकास, सुरक्षा तथा आत्म-सम्मान ला पाया हे? भारत में लोकतन्त्र को बनाए रखने में किसका योगदान है?	• भारतीय लोकतन्त्र के किन्हीं मुख्य आयामों के कौशल को समझना जैसे विकास सुरक्षा, तथा जनता का आत्मसम्मान। • भारत में लोकतन्त्र के निरन्तर बने रहने के कारणों को जानना। • भारतीय लोकतन्त्र के सशक्त एवं निर्बल स्रोतों में अन्तर करना।
5. **लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियाँ :** क्या लोकतन्त्र का विचार कमजोर पड़ रहा है? भारत में लोकतन्त्र के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं? लोकतन्त्र को किस प्रकार सुधारा तथा गहराई में उतारा जा सकता है? भारतीय लोकतन्त्र को सशक्त बनाने में आम नागरिकों की क्या भूमिका अपेक्षित है?	• लोकतन्त्र को सशक्त बनाने में विभिन्न साधनों का अनुचिन्तन। • सक्रिय तथा सांझी नागरिकता को प्रोत्साहित करना।

इकाई-4 : अर्थशास्त्र का ज्ञान-II

(पीरियड 40)

विषय-वस्तु	उद्देश्य
1. **विकास की कहानी** : विकास की परम्परागत धारणा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की संवृद्धि, विकास के वर्तमान सूचकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन (प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर, लिंग दर और आय व स्वास्थ्य के अन्य सूचक) स्वास्थ्य व शैक्षिक विकास की आवश्यकता, मानवीय विकास के सूचक (सरल व संक्षिप्त रूप में) इस विषय वस्तु के अध्ययन हेतु तीन राज्यों (केरल, पंजाब और बिहार) के केस अध्ययन का प्रयोग करें या इसके लिए कुछ देश चुनें (भारत, चीन, श्रीलंका और एक विकसित देश)	• कुछ समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित संकल्पनाओं से परिचय करना। • बच्चे को हमारे देश में व्यापक मानवीय विकास के मूलाधार के प्रति संवेदनशील बनाना। व्यापक मानवीय विकास के अन्तर्गत आय में वृद्धि, आय की बजाय स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार आते हैं। • बच्चों के मन में यह प्रश्न उठाना कि क्या एक राष्ट्र के लिए केवल आय में वृद्धि ही पर्याप्त है। • लोगों को शिक्षा कैसे प्रदान की जाए और वे क्यों और कैसे स्वस्थ रहें।
2. **भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्रक की भूमिका** : सेवा क्षेत्रक क्या होता है? (उदाहरण) : देश में आय व रोजगार का सृजन करने में सेवा क्षेत्रक का महत्व (कुछ केस अध्ययनों की सहायता से), भारत में सेवा क्षेत्रक की वृद्धि, विश्व को सेवा प्रदान करने में मुख्य स्रोत के रूप में भारत, सार्वजनिक निवेश की	• रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले मुख्य क्षेत्रक के बारे में अवगत कराना। • सरकार क्यों और कैसे ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक में निवेश करती है, इसके प्रति पाठकों को संवेदनशील बनाना।

विषय-वस्तु	उद्देश्य
आवश्यकता, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं की भूमिका।	
3. **मुद्रा और वित्तीय प्रणाली** : अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, ऐतिहासिक उद्गम, बचत और साख के लिए औपचारिक व अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएँ-सामान्य परिचय, राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक जैसी एक औपचारिक संस्था और कुछ अनौपचारिक संस्थाएँ चुनें, स्थानीय महाजन, भू-स्वामी, स्व-सहायक समूह, चिट फंड और निजी वित्तीय कम्पनियाँ।	• मुद्रा की संकल्पना को एक आर्थिक संकल्पना के रूप में परिचय। • दैनिक जीवन में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के प्रति जागरूकता पैदा करना।
4. **भूमण्डलीकरण** : भूमण्डलीकरण क्या है? (कुल सरल उदाहरण) भारत को भूमण्डलीय कैसे और क्यों बनाया जा रहा है? 1991 से पहले की विकास-नीति, उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण : विस्तृत विवरण के लिए कपड़ा उद्योग का उदाहरण, आर्थिक सुधार 1991, सुधार के अन्तर्गत अपनाई गई नीति (पूँजी, प्रवाह सरल बनाना। प्रवास, निवेश प्रवाह; भूमण्डलीकरण पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य और इसके विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव, भूमण्डलीकरण के राजनीतिक प्रभाव।	• बच्चों को इस बारे में कुछ जानकारी दें कि एक विशेष आर्थिक तथ्य उनके वातावरण और दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है।
5. **उपभोक्ता जागरूकता** : उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है (एक या दो सरल केसों का अध्ययन) उपभोक्ता के शोषण के कारक, उपभोक्ता को अधिक जागरूक होना, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका।	• बच्चे को एक उपभोक्ता के रूप में उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। • बाजार में शोषण से बचने के कानूनी उपायों से परिचित कराना।

सुझावात्मक क्रियाएँ

विषय वस्तु 2 : सेवा क्षेत्रक की क्रियाओं के बहुत से उदाहरण देना। संख्यात्मक उदाहरणों व चित्रों आदि का प्रयोग करें

विषय-वस्तु 3 : बैंकों, महाजनों और आदि-व्यवसायियों से मिलना और उन विभिन्न क्रियाओं पर कक्षा में विचार-विमर्श करना जो आपने बैंकों में देखी हैं। सह-सहायक समूहों की सभाओं में भाग लेना और वहाँ विचार किए गए मुद्दों को सुनना।

विषय वस्तु 5 : विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपलब्धि मानकों के 'लोगो' Logo एकत्र करें। पास के उपभोक्ता न्यायालय में जाएँ और वहाँ की कार्यवाही पर कक्षा में विचार विमर्श करें। अखबारों और उपभोक्ता न्यायालयों से उपभोक्ता शोषण के मामले एकत्र करें।

1. सूनामी
2. सुरक्षित निर्माण की कार्य-पद्धतियाँ।
3. खतरे में जीवित रहने का कौशल।
4. आपदा के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियाँ।
5. उत्तरदायित्व में भागीदारी।

निर्धारित पाठ्यपुस्तकें

1. भारत एवं समकालीन विश्व-II (इतिहास) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
2. समकालीन भारत-II (भूगोल) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
3. लोकतांत्रिक राजनीति-II (राजनीति विज्ञान) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
4. आर्थिक विकास का ज्ञान-II (अर्थशास्त्र) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित
5. आओ मिलकर चलें एक सुरक्षित भारत की ओर भाग 3 सी.बी.एस.ई. द्वारा आपदा प्रबंधन पर प्रकाशित पाठ्यपुस्तक

6. अतिरिक्त विषय

(क) संगीत

निम्नलिखित में से किसी एक को लिया जा सकता है (हिन्दुस्तानी या कर्नाटक)

1. हिन्दुस्तानी संगीत गायन (बोकल)
2. हिन्दुस्तानी संगीत-रागात्मक वाद्य
3. हिन्दुस्तानी संगीत-ताल वाद्य
4. कर्नाटक संगीत-गायन (वोकल)
5. कर्नाटक संगीत-रागात्मक वाद्य
6. कर्नाटक संगीत-ताल वाद्य

(I) हिन्दुस्तानी संगीत गायन (वोकल) (कोड सं. 034)

कक्षा-9

2 घंटे

सिद्धान्त **25 अंक**
प्रयोग **75 अंक**

68 पीरियड

सिद्धांत

1. भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास।

   निम्नलिखित की परिभाषाएँ :

   संगीत, नाद, स्वर-शुद्ध विकृत (कोमल, तीव्र) स्थान (मन्द्र, मध्य, तार), आरोह, अवरोह, राग, लय, ताल, सम ताली, खाली, मात्रा, आवर्तन।

प्रायोगिक **(202 पीरियड)**

1. (क) राष्ट्र गान **75 अंक**
   (ख) चार लोक या जनजातीय गीत
   (ग) चार भक्ति गीत (भजन)
   (घ) तीन देश भक्ति गीत
   (ङ) सामुदायिक गायन (दो गीत)
   (च) मूल स्वरों की पहचान
2. निम्नलिखित रागों में आरोह, अवरोह, पकड़ और दुत ख्याल यमन, भैरव, भूपाली कुछ तानों के साथ।
3. हाथ द्वारा ताल देते हुए तीन ताल, कहरवा, दादरा झपताल के ठेकों का सस्वर पाठ।
4. विभिन्न तालों में बद्ध आठ ताल बद्ध अलंकार।

कक्षा–10

2 घंटे

सिद्धान्त	**25 अंक**
प्रयोग	**75 अंक**

सिद्धांत **(68 पीरियड)**

1. तानपुरा की बनावट और मिलाने की विधि का ज्ञान।
2. पं. विष्णु दिगम्बर और पं. वी.एन. भातखंडे द्वारा निर्धारित की गई स्वरलिपि पद्धति का ज्ञान।
3. वादी, समवादी, अनुवादी, विवादी, आलाप की परिभाषा।
4. नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण।

प्रायोगिक **(202 पीरियड)**

1. सामुदायिक गायन
   (क) विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में दो गीत

   (ख) एक टैगोर गीत
2. निम्नलिखित रागों में आरोह, अवरोह, पकड़ और दुत ख्याल : काफी, खमाज, सारंग और देश (साधारण प्रस्तुतीकरण कुछ तानों के साथ)

संदर्भ पुस्तकें:

1. पं. वी एन. भातखंडे द्वारा लिखित क्रमिक पुस्तक मालिका
2. पं. वी एन. पटवर्धन द्वारा लिखित राग-विज्ञान।

(II) हिन्दुस्तानी संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 035)

कक्षा–9

2 घंटे

सिद्धान्त	**25 अंक**
प्रयोग	**75 अंक**

68 पीरियड

सिद्धांत

1. भारतीय संगीत के इतिहास की रूपरेखा
2. निम्नलिखित की परिभाषाएं :

   संगीत, नाद, स्वर-शुद्ध विकृत (कोमल-तीव्र), स्थान (मन्द्र, मध्य, तार), आरोह, अवरोह, राग, लय, ताल, सम, ताली, खाली, मात्रा, अवर्तन।

प्रायोगिक **(202 पीरियड)**

1. निम्नलिखित वाद्यों में से एक में निपुणता :

   (i) सितार, (ii) सरोद, (iii) वायलिन (iv) दिलरूबा या इसराज, (v) बाँसुरी, (vi) मेन्डोलिन, (vii) गिटार।

2. (क) राष्ट्र गान की धुन।

   (ख) चार धुनें और विभिन्न क्षेत्रों की चार लोक धुनें।

3. निम्नलिखित रागों में आरोह, अवरोह, पकड़ और द्रुत गत : यमन, भैरव और भुपाली, कुछे तोड़ों के साथ

4. हाथ द्वारा बजाते हुए तीन ताल, कहरवा, दादरा और झपताल के ठेकों का प्रस्तुतीकरण।

सिद्धांत **कक्षा-10** **25 अंक**

प्रयोग **75 अंक**

68 पीरियड

सिद्धांत

1. निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसी एक की संरचना और मिलाने की विधि का ज्ञान।

   (i) सितार, (ii) सरोद ,(iii) वायलिन, (iv) दिलरूबा या इसराज, (v) बाँसुरी, (vi) मेन्डोलिन, (vii) गिटार।

2. पं. वी.डी. पलुस्कर और पं. वी.एन. भातखंडे द्वारा निर्धारित स्वरलिपि पद्धति का ज्ञान।

3. वादी, समवादी, अनुवादी, विवादी, आलाप।

4. नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण।

प्रायोगिक

1. विभिन्न तालों में आठ ताल-बद्ध अलंकार।

2. निम्नलिखित रागों में आरोह-अवरोह, पकड़ और द्रुत गत (रजाखानी गत) : साधारण प्रस्तुतीकरण और कुछेक तोड़ों के साथ काफी, खमाज, सारंग और देश।

सुझायी गई संदर्भ पुस्तकें :

1. 'संगीत मार्ग' (भाग-1) श्री एस बंदोपाध्याय, वाणी मंदिर, सब्जी मंडी दिल्ली-7

2. 'वितत् वाद्य शिक्षा' श्री एस. बन्दोपाध्याय, वाणी मंदिर, सब्जी मंडी, दिल्ली-7

3. प्रो. देबु चौधरी, एवन पब्लिशर्स, शाहदरा, दिल्ली द्वारा लिखित 'सितार तथा इसकी तकनीक'।

III हिन्दुस्तानी संगीत (ताल-वाद्य) (कोड सं. 036)

कक्षा-9

सिद्धांत **25 अंक**

प्रैक्टिकल **75 अंक**

68 पीरियड

सिद्धांत

1. भारतीय संगीत के इतिहास की रूपरेखा।
2. निम्नलिखित की परिभाषा :

   संगीत, नाद, स्वर-शुद्ध, विकृत (कोमल-तीव्र) राग, लय, ताल, मात्रा, विभाग, सम, ताली, आवर्तन, दुगुन, तिगुन, चौगुन।

प्रायोगिक **202 पीरियड**

संगत के विशेष संदर्भ के साथ चुनिंदा ताल वाद्य (तबला या पखावज) को बजाने में दक्षता प्राप्त करने के लिए।

1. हाथ की थापों के साथ और वाद्यों पर साधारण विस्तरण के साथ तीन ताल कहरवा, दादरा प्रस्तुत करने की योग्यता।
2. एकल संगीत के साथ संगत।

कक्षा-10
2 घंटे

सिद्धांत **25 अंक**

प्रयोग **75 अंक**

68 पीरियड

सिद्धांत

1. वाद्यों (तबला या पखावज) की संरचना और उसे स्वर में मिलाने की विधि का ज्ञान।
2. पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और पं. वी.एन. भातखंडे द्वारा निर्धारित तालिपि पद्धतियों का ज्ञान।
3. आवर्तन, ठेका, लहरा, आमद, मोहरा, तिहाई की परिभाषा।
4. नाट्यशास्त्र और संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त विवरण।

प्रायोगिक **202 पीरियड**

1. मूल बोल, ता, धा, तिन और धिन, धा कि ना ति, धि, धि ना और ति, ति, ना, धि, धि, गा, तिर, कित, तू, ना क त्ता आदि का सही उच्चारण।

2. वाद्यों पर बजाई जा रही या गाई जा रही गीतरचना की ताल को पहचान करने की योग्यता।

3. हाथ की थापों द्वारा ताल प्रस्तुत करने और वाद्यों पर विस्तार के साथ झपताल, रूपक और एकताल का ठेका बजाने की योग्यता।

सुझायी गई संदर्भ पुस्तकें

1. श्री भगवत शरण, संगीत हाथरस द्वारा 'ताल शास्त्र'।

2. पं. कृष्ण राव शंकर पंडित द्वारा लिखित 'तबला वादन शिक्षा।'

(IV) कर्नाटक संगीत गायन (कोड सं. 031)

कक्षा-9

2 घंटे

सैद्धांतिक **25 अंक**

प्रयोगिक **75 अंक**

68 पीरियड

सैद्धांतिक

1. निम्नलिखित परिभाषाओं का ज्ञान

   संगीत, नाद, स्वर, स्वर स्थानम, आरोह, अवरोह, श्रुति, ताल, लय, अलंकार, स्थायी, ग्रह, धातु, मातु, शुद्ध एवं विकृत स्वर, पूर्वागं, उत्तरांग, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, सम, अतित, अनागत, अन्य स्वर, राग।

2. निम्नलिखित रागलक्षणों की रूपरेखा
   मायामालवगौल, मोहनम्, कल्याणी, बिलहरी, मलहरी।

3. निम्नलिखित संगीतिक रूपों के लक्षण
   गीतम्, स्वरजाति

4. निम्नलिखित तालों का मूल ज्ञान
   आदि, रूपकम, चापु

5. पुरन्दरदास और त्यागराजा की जीवनी सहित भारतीय संगीत के इतिहास की रूपरेखा।

प्रायोगिक **202 पीरियड**

1. सामुदायकि गायन **75 अंक**

   (क) राष्ट्रीय गान

   (ख) किसी भी क्षेत्र के पांच लोक या जनजाति गीत जो वर्ष के समय और संबंधित अवसर को दर्शाते हों।

2. श्रुति शुद्धि और स्थान शुद्धि के लिए स्वर-संवर्धन अभ्यास, मायामालवगौल में सप्त ताल अलंकार।

3. संक्षिप्त रागलक्षण सहित निम्नलिखित रागों का आरोहण एवं अवरोहण- मायामालवगौल, मोहनम् मलहरी, बिलहरी, कल्याणी
4. तम्बुरे और मृदंगम के साथ सरल देवरनामा, गीतम्, स्वरजाति एवं सरल भजन गायन।
5. ताल - आदि, रूपकम एवं चापु।

कक्षा-10

कर्नाटक संगीत (गायन)

68 पीरियड

सैद्धांतिक **25 अंक**

प्रायोगिक **75 अंक**

सैद्धान्तिक

1. तम्बूरे की संरचना का मूल ज्ञान।
2. बहत्तर मेलकर्त्ता पद्धति का संक्षिप्त ज्ञान।
3. कर्नाटक संगीत की स्वरलिपि पद्धति के चिन्हों एवं प्रतीकों के प्रयोग का सामान्य ज्ञान।
4. निम्नलिखित रागों के संक्षिप्त राग लक्षण- हंसध्वनि, शंकराभरणम् काम्बोजी, हिंदोलम, आभोगी।
5. वर्णम् जतिस्वरम्, कृति के लक्षणों का अध्ययन।

प्रायोगिक **202 पीरियड**

75 अंक

1. सामुदायकि गायन

   चाार भक्ति गीत, सरल नामावालियाँ भारत के संत कवियों द्वारा रचित भजन
2. निम्नलिखत रागों के रागलक्षण-

   कल्याणी, काम्बोजी, शंकराभरणम् हिंदोलम्, आभोगी।
3. सप्ततात अलंकारों द्वारा स्वर और लय का उचित ज्ञान।

   मायामालवगौल में अलंकार एवं अन्य साधारण सप्तक।
4. तम्बूरे और मृदंगम् के साथ एक दिव्यनाम कीर्तन, एक जाति स्वरम् एवं कम से कम दो सरल कृतियाँ।
5. लय की दो अवस्थाओं में एक आदि ताल वर्णम्।
6. कर्नाटक संगीत की स्वरलिपि पद्धति के सिद्धांतों का उदाहरण सहित प्रदर्शन।

(V) कर्नाटक संगीत (रागात्मक वाद्य) (कोड सं. 32)

कक्षा-9

सिद्धांत **25 अंक**

प्रयोग **75 अंक**

68 पीरियड

सिद्धांत

1. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :
   संगीतम, नाद, स्वर, स्वरस्थान, आरोहन, अवरोहन, आवर्तन, श्रुति, स्थायी, ग्रह या एडुप्पु, धातु, मातु, सम, काल या लय की अवस्थाएं शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, संगति, पूर्वाग, उत्तांग, वादी, समवादी, विवादी, अनुवादी अतीत, अनागत, अन्य स्वर।
2. निम्नलिखित राग लक्षण रूपरेखा
   मायामालवगोल, शंकराभरनम, कल्याणी हम्सध्वनि।
3. संगीत के गीतम, स्वरजति, रूपों के लक्षण।
4. ताल : आदि, रूपकम और चापु।
5. पुरन्दरदास और त्यागराजा की जीवनी सहित भारतीय संगीत के इतिहास की रूपरेखा।

प्रायोगिक **202 पीरियड**

75 अंक

1. निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कोई एक :
   (क) वीणा, (ख) वायलिन, (ग) बांसुरी, (घ) गोटुवादयम
2. वाद्य यंत्रों के विद्यर्थियों को सामुदायिक गायन की स्वीकृति दी जाए अथवा पाठ्यक्रम के रागों पर आधारित सुगम एवं लोकधुनों के वादन की स्वीकृति दी जाएं।
3. मायामालवगौल में सप्त ताल अलंकार।
4. पाठ्यक्रम में निर्धारित रागों का विस्तृत वादन।
5. संगीत रचनाएं :
   दो गीतम, लय की दो अवस्थाओं में एक स्वरजति और एक आदि ताल वरणम।

कक्षा-10

2 घंटे

सिद्धांत **25 अंक**

प्रयोग **75 अंक**

सिद्धांत

1. चयन किए गए वाद्य यंत्र की संरचना और मिलाने की विधि (ट्यूनिंग) का मूल ज्ञान।
2. बहत्तर मेलकर्ता योजना की रूपरेखा।

3. कर्नाटक संगीत में स्वरांकण।

4. मोहनम, कल्याणी, कम्भौजी, भैरवी के राग लक्षण।

5. कीर्तनम और कृति, संगीत रूपों के लक्षण।

प्रायोगिक

1. सिद्धांत में निर्धारित रागों को बजाना।

2. वाद्य यंत्रों की ट्यूनिंग

3. संगीत रचनाएँ : स्वर की दो अवस्थाओं में अता-ताल वरणम।

4. साधारण कीरतनम और साधारण कृति।

सुझाई गई संदर्भ पुस्तकें :

प्रो. सम्बामूर्ति द्वारा फ्लूयट 'बांसुरी'

एस. कृष्णामूर्ति द्वारा लिखित म्यूजिकल इंस्ट्रयूमेंट्स ऑफ इंडिया (भारतीय संगीत वाद्य)

(VI) कर्नाटक संगीत (ताल-वाद्य) (कोड सं. 33)

कक्षा-9

सिद्धांत	**2 घंटे**	**25 अंक**
प्रयोग		**75 अंक**
		68 पीरियड

सिद्धांत

1. निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए :

   संगीत, नाद, स्वर, स्वरस्थान, अरोहन, अवरोहन, आवर्त, श्रुति, स्थायी, ग्रह या एडुप्पु, धात, मातु, सम, काल या लय की अवस्थाएं, शुद्ध स्वर, विकृत, स्वर, संगति, पूर्वाग, उत्तरंग, वादी, समवादी, अनुवादी, विवादी, अतीत, अनागत, अन्य स्वर।

2. निम्नलिखित के राग लक्षण की रूपरेखा :

   मायामालवगौल, शंकराभरनम, कल्याणी, हंसध्वनि।

3. गीतम, स्वरजति और वरणम संगीत रूपों के लक्षण।

4. ताल आदि, रूपकम और चापुताल।

5. पुरन्दरदास और त्यागराजा की जीवनी सहित भारतीय संगीत के इतिहास की रूपरेखा।

प्रायोगिक

एकल प्रदर्शन एवं संगत मृदंगम को बजाने में निपुणता प्राप्त करने। घटम, कन्जीरा और मोरसिंग जैसे अन्य कुछे ताल वाद्यों के रख-रखाव और बजाने का भी ज्ञान प्राप्त करना।

1. सामुदायिक गायन में भाग लेना।
2. लय को उचित ज्ञान एवं उसके विकास पर विशेष ध्यान देना
3. विभिन्न तालों के लिए सोलुकेट्टु प्रस्तुत करना।

कक्षा-10

2 घंटे

सिद्धांत **25 अंक**

प्रयोग **75 अंक**

68 पीरियड

सिद्धांत

1. वाद्य यंत्र की संरचना और मिलाने की विधि का ज्ञान
2. चयन किए गए वाद्य यंत्रों पर उनसे संबंधित प्रविधिकताओं के लिए सोलुकेट्टु को सही और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना।
3. कर्नाटक संगीत स्वरलिपि पद्धति के सिद्धांत।
4. कीर्तनम और कृति रूपों का विवरण मोहनम्, कल्याणी, कम्बौजी, रागों के लक्षण।
5. प्रस्तुत किये गये गायन एवं वादन संगीत के सिद्धांतों का मूल ज्ञान।

प्रायोगिक **(202 पीरियड)**

1. लय की विभिन्न अवस्थाओं में सोलुकोटुस को सही रूप में प्रस्तुत करना।
2. वाद्य यंत्र मिलाने की विधि
3. आदि ताल, रूपक ताल और चापु ताल में अंकों और मोहरों को बजाने की योग्यता।
4. सरल तालों में संक्षेप में तनी आर्वतनम् बजाना।

सुझायी गई संदर्भ पुस्तकें

1. प्रो. पी. साम्बामूर्ति द्वारा लिखितः 'परकशन इंस्ट्रयूमेंटस एंड लय वाद्य।'
2. एम आर दुरैराज द्वारा लिखित मृदंग स्वबोधिनी।

(ख) पेटिंग (कोड सं. 049)

कक्षा 9
3 घंटे

एक प्रश्न पत्र **100 अंक 270 पीरियड**

(i) वस्तु चित्रण 50

निश्चित दृष्टि बिन्दु से रंगों में दो या तीन वस्तुओं के समूह का अध्ययन करना।

इस समूह में सब्जियां, बेल-बूटे और प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं शामिल हो सकती है।

(ii) पेन्सिल और स्याही में जीवन तथा प्रकृति से द्रुत रेखा-चित्र (स्केचेज) तैयार कना। 20

(iii) वर्ष के दौरान किए गए पांच चुनिंदा कार्यों को शामिल करते हुए फाइल प्रस्तुत करना। 30

कक्षा 10

एक प्रश्न पत्र 3 घंटे **270 पीरियड** **100 अंक**

स्मृति से चित्रण

जीवन पर आधारित दिए गए विषयों पर (पानी/पोस्टर/पेस्टल) रंगों में साधारण चित्र संयोजन तैयार करना।

(ग) वाणिज्य

टिप्पणी : निम्नलिखित तीन विषय क्षेत्रों में से कोई एक विषय किया जा सकता है :

1. व्यापार के तत्व

या

2. पुस्तपालन (बुक कीपिंग) और लेखाशास्त्र के तत्व

या

3. टंकण अंग्रेजी या हिन्दी

1. व्यापार के तत्व (कोड सं. 154)

उद्देश्य : इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं का प्रारंभिक ज्ञान उपलब्ध कराना है।

कक्षा-9

एक प्रश्न पत्र	**3 घंटे**	**अंक 100 पीरियड 270**	
I. प्रस्तावना संबंधी :	व्यवसाय का अर्थ और क्षेत्र	05	12
II. वितरण के माध्यम :	थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के प्रकार और कार्य	20	54

III.	व्यावसायिक लेन-देन की क्रिया-विधि :	माल का क्रय एवं विक्रय, उपभोक्ताओं तक पहुंचने की विधियों, पूछताछ तथा भाव, मूल्यसूची, निविदाएं, अनुमान एवं प्रस्ताव, विक्रय की साधारण शर्तें, गुणवत्ता, मूल्य, पैकिंग, वस्तु सौंपना, स्वामित्व का अन्तरण और भुगतान, बीजक की तैयारी, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट।		
IV.	व्यावसायिक एजेंट	एजेंट के प्रकार और उनके कार्य, कमीशन एजेंट, आढ़तिया एवं दलाल, परिशोध (डेल-क्रेडर) एजेंट, क्रय पत्र एवं विक्रय पत्र, विक्रय विवरण की तैयारी।	20	54
V.	भंडारण एवं भंडार-संभालना :	अर्थ, प्रयोजन, कार्य एवं प्रकार	15	42
VI.	माल का परिवहन :	रेल, सड़क, समुद्र और वायु यातायात, तुलनात्मक गुण	20	54
			(यूनिट VI व VII)	
VII.	बीमा :	बीमे के सामान्य सिद्धांत : प्रारंभिक जानकारी		

कक्षा-10

एक प्रश्न पत्र 3 घंटे **100 अंक**

I.	कार्यालय का नियमित कार्यक्रम	स्थापित व्यवसाय के विभिन्न विभाग, आने वाली और बाहर जाने वाली डाक का व्यवहार, फाइल कार्य और सूची बनाने की विधियां, प्रतिलिपि और अनुलिपि तैयार करने की विधियां।	20	54
II.	व्यवसायिक पत्राचार	एक अच्छे व्यावसायिक पत्र की अनिवार्यताएं एवं प्रकार, पूछताछ करने, भाव प्राप्त करने, आदेश (आर्डर) देने, हवाला देने, सलाह एवं शिकायत संबंधी साधारण व्यावसायिक पत्र लिखना।	20	54
III.	बैंक	बैंक के कार्य, खातों के प्रकार व उनका संचालन, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चैक, डाकघर बचत बैंक।	20	54
IV.	विनिमय साध्य-पत्रक	प्रकृति, चैक के प्रकार, बेचान (पृष्ठांकन), रेखांकन, चैक का अस्वीकृत होना।	20	54
V.	विनिमय पत्र	प्रकार, संबंधित पक्ष, विनिमय-साध्यता, बेचान, अस्वीकृत होना, प्रतिज्ञा-पत्र एवं हुण्डियां।	20	54

या

2. पुस्त पालन (बुक कीपिंग) और लेखा शास्त्र के तत्व (कोड सं. 254)

एक प्रश्न पत्र **3 घंटे** **100 अंक पीरियड**

उद्देश्य : इस प्रश्नपत्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मौलिक सिद्धांतों को समझने में सक्षम बनाना और दिए गए आंकड़ों से साधारण लेखा बहियां और रिकार्ड तैयार करने और रखने की योग्यता का विकास करना है।

I.	प्रस्तावना	पुस्त पालन (बुक-कीपिंग) की आवश्यकता, पुस्तपालन के उद्देश्य व लाभ।	14	38
II.	आधारभूत अवधारणाएं	लेन-देन का द्विपक्षीय पहलू और लेखा समीकरण, लेखा समीकरण पर लेन-देन का प्रभाव, व्यापार अस्तित्व की अवधारणा।	14	38
III.	खातों का स्वरूप और डेबिट-क्रेडिट के नियम	खातों का वर्गीकरण, डेबिट और क्रेडिट के नियम प्रमाणक व उसके सहायक प्रलेखों की तैयारी।	14	38
IV.	रोजनामचा	रोजनामचे की आवश्यकता, रोजनामचा प्रविष्टियां, सहायक बहियां।	14	38
V.	खाता बही	परिभाषा एवं महत्व, रोजनामचा और खाताबही में संबंध, खतौनी का अर्थ, लेन-देनों की खतौनी के लिए मार्गदर्शी नियम, खातों का शेष निकालना।	14	38
VI.	नकद लेनदेन का लेखा व खतौनी	रोकड़ बही की आवश्यकता, रोकड़-बही के प्रकार लघु रोकड़-बही और पेशगी प्रणाली, जर्नल विशेष।	15	40
VII.	तलपट	उद्देश्य, विधियां व सीमाएं	15	40

कक्षा-10

एक प्रश्न पत्र **3 घंटे** **100 अंक पीरियड**

I.	अंतिम खाते	साधारण समायोजनों के साथ एकल व्यापारी का व्यापार खाता, लाभ-हानि खाता व स्थिति विवरण तैयार करना।	20	54
II.	बैंक समाधान विवरण	उपयोगिता और तैयार करना। (बैंक कॉलम तथा कटौती सहित रोकड़ बही तैयार करना)	20	54
III.	विनिमय पत्र	विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र की प्रकृति और उपयोग, विनिमय पत्र को बट्टे पर भुनाना, अवधि से पूर्व भुगतान करना, अस्वीकृत होना और नवीनीकरण संबंधी लेन देन का लेखा करना।	20	54
IV.	अशुद्धियों एवं शोधन	अशुद्धियों के प्रकार व उनके शोधन की प्रविष्टियां।	20	54
V.	मूल्यह्रास	उद्देश्य एवं विधियां स्थायी किश्त विधि एवं क्रमागत ह्रास विधि	20	54

3. टंकण (अंग्रेजी व हिन्दी) कोड सं. (354)

तीव्र औद्योगीकरण और संचार के शीघ्रगामी साधनों के कारण श्रम-बचत साधनों का उपयोग बढ़ रहा है। टंकण एक अत्यधिक सामान्य श्रम-बचत उपकरण के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला साधन है जिसे दूरस्थ नगरों में भी प्रयोग में लाया जाता है। विकासशील देशों में जहां पर श्रम बचत की अन्य अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं इसकी संगता और बढ़ जाती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 'टंकण अंग्रेजी या हिन्दी' के विषय को माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त (वैकल्पिक) विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस कदम से अध्ययन की योजना कार्योन्मुखी और आवश्यकता आधारित बन गई है।

उद्देश्य :

टंकण सीखने वालों को टंकक की रचनातंत्र को समझने में सहायता करना।

टंकण सीखने वालों के टंकण के तरीकों को समझने में सहायता करना।

प्रूफ-सुधार में प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्हों को जानने हेतु सीखने वाले की सहायता करना।

विषय के उचित प्रदर्शन के लिए मार्जिन, सैटिंग करना, कागज को मध्य में रखना और तालिका बनाने जैसे कार्यों से योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

तीव्रता और शुद्धता के साथ टंकण करने और स्टेन्सिल काटने का ज्ञान प्राप्त करने हेतु सीखने वाले की सहायता करना।

कक्षा-9

एक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र **2 घंटे** **अंक 25 68 पीरियड**

कुंजी पटल (की बोर्ड) का ज्ञान

टंकण की विधियां और सिद्धांत

टंकण की स्पर्श पद्धति

टंकक के रचनातंत्र व इसके विभिन्न पुर्जों की जानकारी

टंकक का अनुरक्षण।

एक प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र **10 मिनट** **अंक 30 202 पीरियड**

1. गति परीक्षा (15 शब्द प्रति मिनट)

(अंग्रेजी में लगभग 150 शब्दों या हिन्दी में 120 शब्दों का साधारण परिच्छेद। उसी परिच्छेद को दोहराया जाएगा यदि समय से पूर्व समाप्त हो जाता है।)

2. परिशुद्धता परीक्षा **अंक 45** **समय : 40 मिनट**

(अंग्रेजी और हिन्दी में 10 शब्द प्रति मिनट की दर से लगभग 400 शब्दों का एक साधारण परिच्छेद)

कक्षा-10

एक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र **2 घंटे** **अंक 25 68 पीरियड**

टंकण मशीन (टंकक) के महत्वपूर्ण पुर्जों के कार्य

पत्रों और तालिका के प्रस्तुतीकरण में मार्जिग सैट करने, कागज को मध्य में रखने, शीर्ष और उपशीर्ष आदि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान।

स्टेन्सिल काटने और फ्ल्यूड को सही ढंग से प्रयोग में लाने के बारे में

प्रूफ में गलतियां ठीक करने के चिन्ह

मानक संकेताक्षर

गति बढ़ाने संबंधी अभ्यास।

एक प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र **1 घंटा** **अंक 75 202 पीरियड**

(क) सतत् विषयवस्तु गति और परिशुद्धता परीक्षा **अंक 30 समय : 10 मिनट**

(अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की दर से 300 शब्दों का और हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की दर से 250 शब्दों का एक परिच्छेद। उसी परिच्छेद को दोहराया जाएगा यदि समय से पूर्व समाप्त हो जाता है।)

(ख) तालिका बनाने संबंधी परीक्षा **अंक 45** **समय : 40 मिनट**

(एक तालिकाबद्ध विवरण जिसमें क्षैतिज रूप में और उर्ध्वाधर रूप में 3-4 गुना से अधिक स्तंभ न हो। हिंदी टंकण के लिए भी यही लागू है।)

या

(ग) पत्र का टंकण **अंक 45** **समय : 40 मिनट**

(लगभग 200 शब्दों का अंग्रेजी या हिन्दी में एक साधारण पत्र का टंकण करना)

टिप्पणी : टंकण मशीन (टंकक) का ठीक करने और उपर्युकत कार्यों को आरंभ करने के बीच 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

(घ) गृह विज्ञान (कोड संख्या 064)

उद्देश्य :

- स्वयं के लिए एक कुशल प्रबंध हेतु किशोरों को आवश्यक ज्ञान और निपुणता प्रदान करना।
- घरेलू कार्यकलापों संबंधी सभी प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध कराना और आवश्यक कार्य कुशलता प्रदान करना।
- आत्मनिर्भरता के लिए अपेक्षित कुशलता प्राप्त करने हेतु किशोरों को अवसर प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा/विकसित प्रशिक्षण संबंधी भविष्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए अपेक्षित ज्ञान और निपुणता प्राप्त करने के लिए किशोरों को तैयार करना।

कक्षा-9

एक लिखित पत्र	**3 घंटे**	**75 अंक**
एक प्रयोगात्मक पत्र	**3 घंटे**	**25 अंक**

सैद्धान्तिक

इकाई-1 : गृह विज्ञान की संकल्पना तथा अध्ययन क्षेत्र **5**

इकाई-2 : परिवार-समाज की एक इकाई **10**

परिवार का आकार तथा प्रकार, परिवार के प्रकार में परिवर्तन के कारण, परिवार के आकार का सदस्यों के कल्याण पर प्रभाव, परिवार को निर्विघ्न चलाने में सदस्यों की भूमिका।

इकाई-3 : भोजन तथा स्वास्थ्य से उसका संबंध **10**

भोजन, स्वास्थ्य पोषण, पोषक तत्व तथा संतुलित भोजन की परिभाषा, भोजन के कार्य (i) ऊर्जा प्रदान करना, (ii) शरीर का विकास तथा पुनर्निर्माण, (iii) रोगों से रक्षा, (iv) शरीर के कार्यों पर नियंत्रण, (v) मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, (vi) सामाजिक कार्य, भोजन तथा स्वासयि में परस्पर संबंध।

इकाई-4 : भोजन पकाने की विधियां

उबालना, भाप से पकाना, प्रेशर कुकिंग, तलना, भूनना तथा सेकना सभी का संक्षिप्त वर्णन तथा भोजन के लिए उपयुक्तता।

इकाई-5 : घर के कार्य **10**

सुरक्षात्मक तथा सामाजिक कार्यात्मक घर की विशेषताएं सुरक्षा, रोशनी, वायु का आवागमन, शोर, स्वच्छता (कूड़े, गंदे पानी, मल का निपटान तथा आसपास की सफाई का संक्षिप्त) वर्णन।

इकाई-6 : घर में सुरक्षा **10**

रसोई घर तथा स्नानघर में दुर्घटनाओं से बचाव, कटना, गिरना, जलना, बिजली का झटका लगना, जहरीलापन ईंधन का सुरक्षित प्रयोग, कटने जलने, चोट लगने, झुलसने, झटका लगने, छिल जाने व किसी जीव द्वारा काटे जाने पर प्राथमिक चिकित्सा करना, जहरीलापन तथा जंतुओं का काटना।

इकाई-7 : बाजार में उपलब्ध वस्त्र **14**

सूत व तंतु की परिभाषा, लंबाई तथा उत्पत्ति के आधार पर सूतों का वर्गीकरण, धागा बनाना सम्मिश्रण वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया बुनना (विभिन्न प्रकार की बुनाई, सादी, बुनाई टबिल बुनाई तथा साटिन बुनाई), फैल्टिंग तथा निटिंग, तंतुओं की विशेषताएं लंबाई, मजबूती, नमी सोखने की क्षमता, तापकी संवाहकता, प्रत्यस्थता एवं लचक, ताप का प्रभाव, कीड़ों तथा फंफूदी का प्रभाव, अमल तथा क्षार का प्रभाव।

इकाई-8 : वस्त्रों का चयन **6**

वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक :

(i) **कपड़े से संबंधित कारक** (तंतुओं के गुण, कपड़े की संरचना)

(ii) **व्यक्ति संबंधित कारक** आयु, कार्य, अवसर, फैशन, आकार और आराम।

(iii) **अन्य कारक** मूल्य तथा जलवायु

प्रयोगात्मक कार्य

प्रयोगात्मक कार्य : 20+5 (सत्रीय कार्य) **25**

1. अपने परिवार के प्रकार, आकार तथा सदस्यों की भूमिका का निरीक्षण करो तथा सभी सदस्यों के किसी एक दिन के कार्यकलापों का विवरण तैयार करो।
2. विभिन्न विधियों से तैयार किए गए भोजन के स्वाद, रूप तथा रंग का अध्ययन करो।
3. विभिन्न विधियों का प्रयोग करके भोजन तैयार करो।
4. अपने घर में रोशनी के प्रबंध, वायु के आवागमन, आसपास के वातावरण तथा गंदे पानी के निपटान की विधि का निरीक्षण करो तथा उसका रिकार्ड तैयार करो।
5. सुरक्षा की दृष्टि से किसी दुर्घटना से बचाव की दृष्टि से अपने घर का अध्ययन करो तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव दो।
6. निम्न दुर्घटनाओं में प्राथमिक सहायता प्रदान करने का अभ्यास करो-कट जाना, छिल जाना, जल जाना, झुलसना तथा जानवरों (जीवों) का काटना।
7. बाजार में उपलब्ध कपड़ों के नमूने एकत्रित करो तथा कपड़ों की कीमत (वैकल्पिक) मजबूती, आकृति तथा उपयुक्त के आधार पर तुलनात्मक सारिणी बनाओ।
8. दहन परीक्षण तथा आकार की सहायता से तंतु की पहचान करो।

कक्षा-10

एक लिखित पत्र **3 घंटे** **75 अंक**

एक प्रयोगात्मक पत्र **3 घंटे** **25 अंक**

सैद्धांतिक

इकाई-1 :

बच्चों में विकास व वृद्धि के सिद्धान्त, जन्म से तीन वर्ष की आयु तक वृद्धि व विकास बच्चों में शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, भावात्मक तथा भाषायी विकास के महत्वपूर्ण चरणः बच्चों की शारीरिक, सामाजिक तथा भावनात्मक आवश्यकताएं। 10

इकाई-2 :

तीन वर्ष तक के बच्चों के जीवन में पुस्तकों, संगीत, कविताओं, खेलों, रेडियो, टेलीविजन तथा वीडियो की भूमिका 4

इकाई-3 : खेल

खेलों का अर्थ, जन्म से तीन वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए खेल की आवश्यकता तथा उसके प्रकार,

खेलों की विशेषताएं सक्रिय, निष्क्रिय, स्वाभाविक, गंभीर तथा अन्वेषणात्मक। 5

बच्चों के लिए खेल सामग्री खेल सामग्री की विशेषताएं

इकाई-4 : खाद्य तत्व (पोषकता)

कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण-लोहा, कैल्शियम तथा आयोडीन, विटामिन-विटामिन ए.बी.बी.बी, सी तथा डी के कार्य, प्राप्ति साधन एवं कमी के लक्षण, भोजन पकाते समय खाद्य तत्वों की हानि, खाद्य तत्वों को नष्ट होने से बचाना तथा खाद्य तत्वों में पौष्टिकता की वृद्धि करना। 7

इकाई-5 : आहार आयोजन

आहार आयोजन की संकल्पना आवश्यकता तथा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक आयु, लिंग, जलवायु, व्यवसाय, शारीरिक आवश्यकताएं, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार का आर्थिक स्तर, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, परिवार की परंपराएं, सदस्यों की रुचियां तथा अवसर।

खाद्य वर्ग (आई.सी.एम.आर. द्वारा प्रस्तावित पांच वर्ग) संतुलित भोजन के आयोजन में खाद्य वर्गों का प्रयोग, आई. सी.एम.आर. द्वारा प्रस्तावित खाद्य तत्वों की दैनिक आवश्यकता। 6

इकाई-6 : खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य भंडारण की विधियां :

खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय स्वच्छता के नियम तथा शीघ्र नष्ट होने वाले, धीरे नष्ट होने वाले तथा नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडारण की विधियां। 6

इकाई-7 : पारिवारिक संसाधन

संसाधनों के प्रकार मानवीय संसाधन (ऊर्जा, समय, ज्ञान तथा योग्यता), भौतिक संसाधन (धन, भौतिक वस्तुएं तथा सार्वजनिक संसाधन), सामान्य संसाधनों की विशेषताएं, संसाधनों का उचित उपयोग, व्यक्तिगत तथा सामूहिक।6

इकाई-8 : धन का प्रबंधन **6**

पारिवारिक आय, व्यय तथा बचत एवं निवेश का महत्व।

इकाई-9 : उपभोक्ता शिक्षा

उपभोक्ता के अधिकार व कर्तव्य, उपभोक्ता की समस्याऐं व्यापारियों की कुचालें मूल्यों में भिन्नता, निम्न गुणवत्ता मिलावट, नाप-तोल के दोषपूर्ण उपकरण, वस्तुओं का उपलब्ध न होना, गलत सूचनाएं, मानकीकृत वस्तुओं का अभाव, असत्य विज्ञापन,

उपभोक्ता सूचना के स्रोत मानकीकरण चिन्ह, लेबल, पैकेज, विज्ञापन, पर्चे। 6

इकाई-10 : वस्त्रों की देखभाल

घर में वस्त्रों की सफाई व परिसज्जा के लिए प्रतिदिन प्रयोग में लाये जाने वाले पदार्थ, घर में वस्त्रों की देखभाल-धब्बे छुड़ाना (विधि तथा ध्यान देने योग्य बातें), कपड़े धोना, तथा वस्त्रों (सूती, रेशमी, ऊनी तथा कृत्रिम तंतुओं से बने वस्त्र) का भंडारण। 14

इकाई-11 : वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच

सिले-सिलाए वस्त्रों की कारीगरी, दर्जी से सिलाए गए वस्त्र, वस्त्रों के लेबल पढ़ना। 5

कक्षा X

प्रयोगात्मक 20+5 (सत्रीय कार्य)=25

1. जन्म से तीन वर्ष की अवस्था के किसी बच्चे की शारीरिक व गत्यात्मक विशेषताओं का निरीक्षण करो तथा उसका विवरण लिखो।
2. 1-3 वर्ष के बच्चों की खेल क्रियाओं को देखो। उनकी रुचियों तथा खेल सामग्री की विशेषताओं की सूची बनाओ।
3. 0-3 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए एक खिलौना बनाओ।
4. पोषक तत्वों में वृद्धि के उपायों का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ तैयार करो।
5. बची पड़ी व्यर्थ वस्तुओं का प्रयोग करके कोई उपयोगी वस्तु बनाओ।
6. बाजार में देखी हुई किन्हीं पांच कुचालों की सूची बनाओ।
7. निम्न मूलभूतों टांकों तथा सीवनों का अभ्यास करो कच्चा, बखिया, तुरपाई तथा छोटा कच्चा सीवन।
8. साधारण धब्बे छुड़ाना सब्जी का धब्बा, पेंट, बाल पेन स्याही, लिपस्टिक, रक्त, जंग, चाय तथा काफी का धब्बा।
9. सूती, रेशमी, ऊनी तथा कृत्रिम तंतु से बने वस्त्रों की धुलाई व परिसज्जा करो।
10. एक सिले सिलाये वस्त्र की गुणवत्ता की जांच करो।
11. एक सिले-सिलाये वस्त्र का लेबल पढ़ो।

नोट : विद्यार्थी वर्ष भर के प्रायोगिक सत्रीय कार्य का रिकार्ड रखेंगे।

संदर्भ पुस्तकें

1. होम साइंस-लेडी इरविन कालिज के स्टाफ द्वारा प्रकाशक, लोंगमैन नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय बी-31 बी कैलाश कॉलोनी द्वारा सम्पादित तथा बिक्री हेतु प्रस्तुत गृह विज्ञान के 1-6 तक प्रेक्षण।

अतिरिक्त भाषाएँ

निम्नलिखित में से कोई एक भाषा, अनिवार्य वर्ग के अन्तर्गत चुनी गई भाषाओं के अतिरिक्त, अतिरिक्त जानकारी के लिए अध्ययन की योजना देखें : हिन्दी, अंग्रेजी, असमी, बंगाली, भूटिया, गुजराती, कन्नड, कश्मीरी, लिंबू लेप्चा, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, संस्कृत, अरबी, परशियन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, नेपाली, पुर्तगाली, तिब्बती, मिजो।

नोट : इन भाषाओं के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या के भाग-2 में अनिवार्य भाषा वर्ग के अन्तर्गत दिए गए सम्बन्धित भाषा के पाठ्यक्रम के समान होंगी।

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी के मूल आधार (कोड संख्या 165)

शिक्षण उद्देश्य :

सामान्य

1. सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियमों से परिचित करना
2. सूचना निरूपण एवं संसाधन के उपकरणों के उपयोग के लिए मूलभूत दक्षता विकसित करना
3. उत्पादकता एवं गुणता में वृद्धि के लिए सूचना संसाधन उपकरणों का उपयोग करना

विशिष्ट

1. संज्ञानात्मक क्षेत्र : ज्ञान और अवबोधन

   सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों का मूल अवबोधन विकसति करना

2. कार्यात्मक (साइकोमोटर) प्रभाव क्षेत्र - कुशलता

   सूचना संसाधन, उपकरणों का उपयोग करने की कुशलता विकसित करना।

3. प्रवृत्ति प्रभाव क्षेत्र : व्यक्तिव विशेषक

   सहयोग की भावना से कार्य करने, संरचनात्मक प्रस्तुतीकरण एवं अभिकलन के नीतिपरक सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा की आदत विकसित करना।

कक्षा IX

इकाई	विवरण	पीरीएड		अंक	
		सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	सैद्धान्तिक	प्रयोगिक
1.	सूचना प्रौद्योगिक के मूल नियम	10	0	10	0
2.	सूचना संसाधन उपकरण	35	20	30	10
3.	सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग	30	20	30	10
4.	सूचना प्रौद्योगिकी का सोसाइटी स सघदृन	5	0	10	0
		80	40	80	20

60 सैद्धान्तिक + 20 Mcl

कक्षा X

इकाई	विवरण	पीरीएड		अंक	
		सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	सैद्धान्तिक	प्रयोगिक
1.	सूचना प्रौद्योगिक के मूल नियम	10	0	10	0
2.	सूचना संसाधन उपकरण	35	20	30	10
3.	सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग	30	20	30	10
4.	सूचना प्रौद्योगिकी का सोसाइटी स सघदृन	5	0	10	0
		80	40	80	20

60 सैद्धान्तिक + 20 Mcl

कक्षा X

सैद्धान्तिक

इकाई-1 : सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियम (Basics of Information Technology)

प्रौद्योगिकियों का अभिसरण :

कम्प्यूटर, संचार और अन्तर्विणय प्रौद्योगिकियाँ

अभिकलन प्रौद्योगिकी

कम्प्यूटर प्रणाली :

कम्प्यूटर की विशेषताए, कम्प्यूटर प्रणाली के अवयव - CPU मेमोरी, भण्डारण युक्तियां तथा I/O युक्तियां

मेमोरी :

प्राथमिक (RAM एवं ROM) तथा द्वितीयक मेमोरी

मेमोरी के मात्रक :

बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गिगाबाइट, टेराबाइट

I/O युक्तियां :

की बोर्ड, माउस, प्रिन्टर, जोयास्टिक, स्कैनर माइक्रोफोन, OCJ, MICR लाइट पेन, बार कोड रीडर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर, प्लॉटर

भण्डारण युक्तियां :

हार्ड डिस्क, CD ROM, DVD, Blu Ray, पेन/फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक

साफ्टवेयर के प्रकार :

सिस्टम सॉफ्टवेयर (प्रचालन प्रणाली), एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सामान्य प्रयोजन)

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर :

वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रैडशीट, प्रेजेन्टेशन, डाटा बेस प्रबन्धन, विशिष्ट प्रयोजन एप्लीकेशन

साफ्टवेयर :

लेखा प्रबधन, आरक्षण प्रणाली, HR प्रबन्धन, उपस्थिति प्रणाली, पेरोल प्रणाली, स्कूल इन्वेन्टरी कन्ट्रोल प्रणाली, बिलिंग प्रणाली, तथा यूटीलिटी सॉफ्टवेयर (डिस्क/फोल्डर/फाइल प्रबन्धन, वायरस, स्कैनर/क्लीनर, एनाक्रिप्शन/डिक्रिप्शन उपकरण)

संचार प्रौद्योगिकी (Communication Technologies) :

कम्प्यूटर नेटवर्किंग CAN, Man, VAN इंटरनेट इन्टरस्पेस

वायर्ड नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी :

उदाहरण समाक्षी केबल, ईथरनेट केबल, आप्टीकल फाइबर (प्रकाशिक तन्तु)

वायरलेस नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी :

उदाहरण ब्ल्यू टूथ, इन्फ्रारेड तथा WiFi

अन्तर्विषय प्रौद्योगिकी (Content Technologies) :

डाटा, सूचना तथा मल्टीमीडिया (पिक्चर/इमेज, आडियो, वीडियो ऐनीमेशन)

इकाई : सूचना संसाधान उपकरण (Information Processing Tools):

प्रचालन प्रणाली :

प्रचालन प्रणाली की मूल संकल्पनाएं तथा इसके प्रकार्य (MS विन्डो, GNU Linux)

विण्डो से परिचय :

माउस एवं मूविंग आइकॉनों का स्क्रीन पर का उपयोग करना, मेरा कम्प्यूटर, रिसाइकिल बिन, टास्क बार स्टार्ट-मीनू तथा मीनू सेलेक्शन, किसी एप्लीकेशन को चलाना, प्रणाली का दिनांक एवं समय सेट करना, फाइलों फोल्डरो और डाइरेक्टरी देखने के लिए विण्डो एक्सप्लोर, फाइलो एवं फोल्डरों का पुनः नामकरण, विण्डो खोलना-बन्द करना मिनिमाइज़, रीस्टोर, तथा विण्डोज का मैक्सीसाइज रूप, विण्डो के मूल अवयव, डेस्कलाप, फ्रेम, टाइटिल बार, मीनू बार स्टेटस बार, स्क्रौल बार (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर) माउस का सीधा बटन उपयोग करना, शार्टकट पैदा करना, बेसिक विण्डो, एसेसरीज़, नोट पैड, कैलकुलेटर, वर्डपैड, क्लिपबोर्ड उपयोग करना।

ऑफिस टूल्स:

वर्ड प्रोसेसिंग टूल:

वर्ड प्रोसेसर से परिचय, किसी डॉक्यूमैन्ट को सृजित व सुरक्षित करना, किसी डॉक्यूमैन्ट का सम्पादन व फॉर्मेटिंग,

टैक्स्ट स्टाइल (BIU), फोन्ट टाइप साइज, रंग परिवर्तन, टैक्स्ट-सेरेखण, लाइन के साथ पैराग्राफ फार्मेटिंग अथवा पैराग्राफ स्पेसिंग, हीडर्स तथा फूटर्स को जोड़ना, पेज पर नम्बर डालना, ग्रामर तथा स्पैलिंग की जांच की यूटीलिटिीज का उपयोग, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग, प्रिन्ट प्रिव्यु, किसी डॉक्यूमैन्ट को प्रिंट करना।

प्रतीकों की प्रविष्टि करना, क्लिप आर्ट और पिक्चर, पेज सैटिंग, बुलेट और नम्बरिंग, बॉर्डर और रोडिंग, फॉर्मेट पेन्टर, फाइन्ड और रिप्लेस, सारणी की प्रविष्टि, पक्तियों व स्तम्भों की प्रविष्टि और हटाना, मार्जिन सेल्स, स्पिलिंग सेल्स, ऑटो फॉर्मेट उपयोग करना, मेल मर्ज, सरल गणितीय व्यजकों का उपयोग, रैक परिवर्तन।

प्रेजेन्टेशन टूल:

प्रेजेन्टेशन ग्राफिक्स से परिचय, स्लाइड शोज की धारणा का अवबोधन स्लाइड के मूल अवयन, विभिन्न प्रकार के स्लाइड लेआउट, किसी प्रेजेन्टेशन का सृजन और उसे सुरक्षित करना, किसी स्लाइड के विभिन्न व्यू, नॉमेलव्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और स्लाइड शो, किसी स्लाइड का सम्पादन तथा फॉर्मेटिंग, शीर्षक वह उपशीर्षक जोड़ना, टैक्सट बैकग्राउण्ड, वाटरमार्क, हीडरर्स और फुटर्स, स्लाइडो की नम्बरिंग करना।

फाइलों से पिक्चरों की प्रविष्टि, साइड इफैक्ट सहित टैक्स्ट व पिक्चर ऐनीमेट करना, टेक्सट बॉक्स पिक्चर तथा स्लाइडो का टाइमिंग करना, टाइमिंग का रिहर्सल, क्लीपार्ट से पिक्चरों का समूहीकरण एवं विसमूहीकरण।

स्प्रैडशीट टूल:

स्प्रैडशीट टूल से परिचय, वर्क बुक एवं वर्कशीट की धारणा, किसी वर्कशीट को सृजित एवं सुरक्षित करना, किसी स्प्रेडशीट के साथ कार्य करना।

ऑटोफिल के उपयोग द्वारा वर्कशीट से संख्याओं, टेक्सट, दिनांक/समय, किसी वर्कशीट का सम्पादन एवं फार्मेटिंग जिसमें टैक्सट का संरक्षण, रंग, आमाप, फोन्ट परिवर्तन सम्मिलित हो; सेल्स, पंक्तियां तथा स्तम्भ की प्रविष्टि एवं हटाना, सूत्र, सूत्र में प्रचालकों (+-*/) का उपयोग करके किसी सेल में सूत्र की प्रविष्टि करना, आपेसिक संदर्भीकरण तथा मिश्रित सदुर्भीकरण किसी वर्कशीट को प्रिन्ट करना।

सरल साख्यिकीय फलनों SUM ( ), AVERAGE ( ), MAX ( ), IFO (संयुक्त कथनों के बिना) का उपयोग, वर्कशीट में सारणीयों की प्रविष्टि, विभिन्न प्रकार - लाइन, पाई, स्कैटर, बार तथा क्षेत्रफल के चार्टों का किसी वर्कशीट में एम्बेडिंग।

इकाई III सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन

विद्यार्थियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे वर्ड प्रोसेसिंग प्रेजेन्टेशन तथा स्प्रैडशीट का उपयोग करके निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करें

प्रभाव क्षेत्र (Domains)

डॉकूमैन्टेशन

- मेल मर्ज फॉर्मल/इनफॉर्मल पत्र
- रिपोर्ट लिखना
- बहुभाषीय बधाई पत्र/कार्ड
- पोस्टर बनाना

प्रेजैन्टेशन

- स्कूल मैगजीन
- पर्यावरण (ऊर्जा बचाओ) तथा प्रदूषण (वैश्विक उष्मण)
- उत्पाद विज्ञापन
- पाठ्यक्रम से विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु
- वायरलेस अभिकरलन की ओर झुकाव

विश्लेषण प्रस्तुतिकरण

- विद्यार्थीवार तथा विषयवार अंको सहित विद्यालय/कक्षा का परीक्षा परिणाम
- क्रिकेट स्कोर का रिकार्ड
- मौसम - भविष्यवाणी रिपोर्ट

नोट : उपरोक्त विषयों पर सैम्पल डॉकुमैन्ट्स/प्रेजैन्टेशन/स्प्रैडशीट ब्लैम् ब्क त्व्ड पर उपलब्ध करायी गयी है।

शिक्षकों से निवेदन है कि वे वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजैन्टेशन तथा स्प्रैडशीट के लिए कुछ अन्य प्रचलित सॉफ्टवेयरों, जो हिन्दी और अथवा अन्य भारतीय भाषाओं का पोषण करते हों, का कक्षा में निदर्शन करें।

इकाई IV सूचना प्रौद्योगिकी का सोसाइट से संघटन:

सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना की साहित्यिक चोरी, गोपनियता, सुरक्षा, तथा सत्यनिष्ठा, बौद्धिक स्वामित्व अधिकार, कैरियर।

प्रायोगिक

प्रायोगिक प्रश्न पत्र	परीक्षा अवधि	अंक	पीरिएडो की संख्या
1	2 घन्टे	20	40

(अ) हस्तासिद्ध अनुभव

प्रायोगिक प्रश्न पत्र का डिजाइन

प्रायोगिक परीक्षा का संचालन करने के लिए CBSE द्वारा पहले से सेट किया हुआ कोई प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किया गया है। परीक्षकों को यह लचीला पन प्राायोगिक परीक्षा से सुधार की दृष्टि से उन्हें और अधिक स्वतंत्रता प्रदान करके दिया गया है।

मार्क विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही परीक्षा का संचालन किया जा सके। तथापि, पाठ्यक्रम, अंक विभाजन एवं परीक्षा से संचालन के आधार पर CBSE द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं। परीक्षकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे प्रश्न पत्र स्वीकृत पाठ्यचर्या एवं अंक विभाजन के अनुसार ही सेट करें।

क्रम संख्या	कुशलता	अंक
I	**प्रचालन प्रणाली पर कार्य**	**2**
II	**वर्ड प्रोसेसिंग**	**3**
III	**प्रजेन्टेशन**	**3**
IV	**स्पैडशीट**	**4**

I प्रचालन प्रणाली पर कार्य

फाइलों/फोल्डरों पर नीचे दिए गए मूल प्रणाली प्रचालनों में से कुछ का परीक्षण

- सृजन
- पुनः नामकरण
- कॉपी/कट/पेस्ट
- हटाना (Delete)
- नोट पैड/टैक्स्ट एडीटर/वर्ड पैड/पेन्ट से संबंधित आदेश (Command)

II वर्ड प्रोसेसिंग

निम्नलिखित क्षेत्रों का परीक्षण करने के लिए किसी डॉकूमैन्ट का सृजन करना

- टैक्सट एवं पैराग्राफ सम्पादन तथा फॉर्मेटिंग
- पेज तथा पैराग्राफ सेटिंग
- पिक्चर तथा वर्डआर्ट प्रविष्टि

III प्रजेन्टेशन

निम्नलिखित क्षेत्रों का परीक्षण करने के लिए 4 स्लाइडों के साथ किसी प्रजेन्टेशन का सृजन करना है।

- स्लाइडों का सम्पादन तथा फॉर्मेटिंग
- पिक्चर तथा साउन्डों की प्रविष्टि
- साउन्ड इफेक्टों के साथ पिक्चर तथा टेक्स्ट ऐनीमेट करना

IV स्पैड

निम्नलिखित क्षेत्रों का परीक्षण करने के लिए एक स्पैडशीट का सृजन करना है।

- सेलों तथा डाटा का फॉर्मेटिंग
- प्रकार्य व सूत्र (आपेसिक, परग तथा मिश्रित संदर्भ)
- चार्ट

उत्तर पुस्तिका के साथ डॉकुमैन्टों/स्प्रैडशीटों के प्रिन्ट आउट भी लगाते हैं। **(4 अंक)**

(B) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल

विद्यार्थियों को 12 विषयों पर वर्ड प्रोसिसिंग टूल, प्रजेन्टेशन टूल तथा स्प्रैडशीट टूल का उपयोग करके वास्तविक जीवन के नियत कार्यों/प्रजेन्टेशनों का समावेश करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल बनानी है:

- 4 वर्ड प्रोसेसिंग डॉकुमैन्ट
- 4 प्रजेन्टेशन
- 4 स्प्रैडशीट ग्राफ/चार्ट सहित **(4 अंक)**

(C) मौखिक प्रश्न

कक्षा IX के पाठ्यक्रम के किसी भी भाग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

कक्षा X

सैद्धान्तिक

इकाई-I : सूचना प्रौद्योगिकी के मूल नियम

इन्टरनेट :

वर्डवाइड वेब, वेब सरवर, वेब साइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर, ब्लॉग, न्यूज ग्रुप, HTML, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, URL, HTTP

इन्टरनेट पर उपलब्ध सेवाएं :

सूचना पुनः प्राप्ति/सुधार, नेट पर व्यक्तियों का पता लगाना तथा खर्च इंजन द्वारा साइटों की स्थिति पता लगाना, FTP, फाइलों की दो दूरस्थ साइटों से डाउनलोड तथा अपलोड करना।

वेब सेवाएं:

चैट, ईमेल, वीडियों कॉन्फरेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैकिंग, ई शॉपिंग, ई-आरक्षण, ई-ग्रुप सोशल नेट वर्किंग।

इकाई-II : सूचना प्रोसेसिंग टूल

ऑफिस टूल

डाटा बेस प्रबन्धन टूल, डाटाबेस की मूल धारणा एवं आवश्यकता, डाटाबेस का सृजन, प्राइमरी की सेट करना, किसी डाटाबेस में डाटा का प्रविष्टि, क्षेत्रों को जोड़ना एवं हटाना, रिकार्डों को जोड़ना एवं हटाना, डाटा का वैधीकरण, क्षेत्र साइज, डिफाल्ट वैल्यू, वैधीकरण-नियम, वैधीकरण टेक्स्ट, Required] Allow, Zero langth

सूचना निरूपण विधियां

हाइपर टैक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML)

HTML के उपयोग द्वारा वेब पेज डिजाइनिंग से परिचय, किसी HTML डॉकुमैन्ट का सृजन एवं उसे सुरक्षित करना, किसी वेब ब्राउजर (इन्टरनेट एक्सलोरट, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, एप्पल सफारी, नेटस्केप नेवीगेटर, गूगल क्रोम) के उपयोग द्वारा किसी वेब पेज तक पहुंचना, HTML के अवयव, कन्टेनर एवं खाली अवयव, निम्नलिखित अवयवों का उपयोग करके वेब पेजों को डिजाइन करना।

HTML, HEAD, TITLE, BODY (गुण/विशेषताएं : BACKGROUND, BGCOLOR, TEXT, LINK ALINK, VLINK, LEFTMARGIN, TOPMARGIN), FONT (गुण/विशेषताएं, COLOR, SIZE, FACE) BASE FONT (गुण/विशेषताएं: COLOR, SIZE, FACE) CENTER BR (ब्रेक), HR (क्षैतिज रूल,) गुण/विशेषताएं: SIZE, WIDTH, ALIGN, NOSHADE, COLOR) COMMENTS (टिप्पणियों के लिए H_1, H_6 (शीर्षक), P (पैराग्राफ) B (बोल्ड), I (इटेलिक), U (अन्डरलाइन), UL तथा OL (अक्रमित सूची तथा क्रमित सूची गुण/विशेषताएं : टाईप स्टार्ट), LI (लिस्ट आइटप), IMG अवयवों का उपयोग करके प्रतिबिम्बों को जोड़ना (गुण/विशेषताएं; SRC, WIDTH, HEIGHT, ALT, ALIGN), सुपरस्क्रिप्ट: SUP तथा सबस्क्रिप्ट SUB; सारणी जोड़ना: TABLE TR, ID ROWS AND COLUMNS)

वेब पेजों के बीच आन्तरिक एवं बाह्य श्रंखलन, किसी एन्कर अवयव के श्रंखलन का महत्व (गुण/विशेषताएं: NAME, HREF, TITLE, ALT)

XML से परिचय, निम्नलिखित के संदर्भ में XML तथा HTML के बीच अन्तर

डाटा पृथकन, डाटा शेयर करना, डॉकुमैन्ट संरचना, टैग, अवयवों का नेस्टिंग, गुण/विशेताएं मूल्य/गारेमाएं

XML - अवयव, XML में आपके अपने Tags की परिभाषा, Root अवयव, Child अवयव तथा इनके गुण/विशेषताएं, XML में टिप्पण्यिां, XML में White space तथा नई लाइनें, भली प्रकार बने XML डॉकुमैन्ट्स, XML डॉकुमैन्टों का वैधीकरण, XML Parser, किसी वेल ब्राउजस पर XML डॉकुमैन्ट देखना

इकाई-III : सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग

विद्यार्थियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे डाटाबेस प्रबन्धन टूल्स तथा HTML का उपयोग करके निम्नलिखित क्षेत्रों पर इन विषयों के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन किए जाने वाले टूल्स का कार्यान्वयन करें।

प्रभाव क्षेत्र

व्यापार अभिकलन

- व्यक्तिगत डाटा प्रबन्धन प्रणाली
- विद्यालय/कक्षा-परिणाम विद्यार्थी अनुसार एवं विषय अनुसार अंक सहित
- कर्मचारियों के पेरोल (वेतन) (मासिक वेतन का अभिकलन)
- विद्यालय सम्पत्ति सूची (क्रय एवं निर्गमन के रिकार्ड)

वेबसाइट डिज़ानिंग

- व्यक्तिगत ब्लाग - नाम, फोटो, अभिरूचि क्षेत्र, विद्यालय, राज्य, देश का नाम सहित
- विद्यालय वेबसाइट - अवसंरचना, सुविधाएं, यूनीफॉर्म, मोटो, विद्यालय भवन फोटोग्राफ, इतरपाठ्चर्या क्रियाकलाप, विषय तथा भाषाओं के विकल्प
- यात्रा और पर्यटन
- भारतीय साख्यिकी - राज्यवार क्षेत्रफल, जनसंख्या, साक्षरता (प्राथमिक, मिडिल, सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी में छात्रों की संख्या) लिंग-अनुपात
- पर्यावरण (ऊर्जा बचाओ) तथा प्रदूषण (वैश्विक उष्मण)

इकाई-IV : सूचना प्रौद्योगिकी का सोसाइटी से संघटन:

वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजंस तथा एण्टी वायरस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, मिडवेयर, स्पैम, डाटा बैकअप, तथा रिकवरी टूल्स एवं विधियां, ऑन लाइन बैकअप, हैकर तथा क्रैकर (कम्प्यूटर डाटा तथा अनुप्रयोगों के संदर्भ में)।

e-कॉमर्स में सूचना सुरक्षा के प्रावधाान

प्रायोगिक

प्रायोगिक प्रश्न पत्र	परीक्षा अवधि	अंक	पीरिएड की कुल संख्या
1	2 घन्टे	20	40

(12 अंक)

(A) हस्तसिद्ध अनुभव

प्रायोगिक प्रश्न पत्र का डिजाइन :

प्रायोगिक परीक्षा के संचालन के लिए CBSE द्वारा पहले से सेट किया हुआ कोई प्रश्न पत्र प्रदान नहीं किया गया है। परीक्षकों को यह लचीला एवं स्वंतत्रत विद्यालय के प्रयोग सालाओं के उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं को यान में रखकर प्रायोगिक परीक्षा में सुधार की दृष्टि से प्रदान की गयी है। तथापि पाठ्यक्रम, अंक विभाजन, एवं परीक्षा संचालन के आधार पर CBSE द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम तथा अंक विभाजन के अनुसार आन्तरिक तथा बाध्य परीक्षक दोनों मिलकर प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं

व्यापार अभिकलन समस्या*

किसी व्यापार अभिकलन समस्या का हल डाटाबेस के निम्नलिखित पहलुओं का परीक्षण करने के लिए डाटाबेस प्रबंधन टूल्स द्वारा किया जाना है।

- डाटाबेस में डाटा का सृजन एवं प्रविष्टि
- प्राथमिक कुंजी सेट करना
- डाटा का वैधीकरण

II वेब पेज डिजाइन करना

(i) वेब पेज डिजाइन करने पर कोई समस्या (कम से कम दो पेज) दी जाती है, जो HTML के निम्नलिखित अवयवों का परीक्षण करती हो :

— वेब पेज से शीर्षक जोड़ना

— टैक्सट का फॉर्मेटिंग

— प्रतिबिम्ब सम्मिलित करना

— क्रमिक अथवा/एवं अक्रमिक सूची में मुख्य बिन्दुओं को रखना

— पैराग्राफों में टैक्स्ट लिखना

— सारणियों के रूप में विषय वस्तु का समावेश

विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों एवं पाठ्यक्रम में वर्णित विषयों पर प्रभावक्षेत्रों के लिए विशिष्ट वेबपेज डिजाइन करने के लिए आवश्यक टूल्स तथा स्टाइल के विषय में जानकारी रखते हैं।

(ii) विद्यार्थियों से सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम में अध्ययन की गयी XML की धारणाओं के आधार पर XML डॉकुमेन्ट सृजित करने के लिए कहा जाना चाहिए।

- विज्युअल इफेक्ट 1

- लिंकिंग 1
- विज्युअल इफेक्ट 1

* उत्तर पुस्तिका के साथ डॉकुमेन्टस के प्रिन्ट आउट भी लगाने हैं।

(B) सूचना प्रोद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल

विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के नियत कार्यों/प्रेजेन्टेशनों का समावेश करते हुए डाटाबेस प्रबन्धन टूल्स तथा प्रभाव क्षेत्र से विषय वस्तु पर HTML का उपयोग करके सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट फाइल बनानी हैः

इसमें निम्नलिखित प्रिन्ट आउट होने चाहिएः

- व्यापार अभिकलन से 4 डाटाबेस हल
- ब्राउजर व्यू के साथ 8 HTML सोर्स कोड
- 2 X ML डॉकुमैन्ट्स

(C) मौखिक प्रश्न (4 अंक)

कक्षा IX तथा X के पाठ्यक्रम के किसी भी अंश से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

नोटः शिक्षकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे विद्यार्थियों को महत्त्वपूर्ण पहलुओं जैसे इन्टनेट से संबंधन प्रचलित सर्च इंजन का उपयोग करना, वेब ब्राउज़ि, ई-मेल खाते खोलना, ई-मेल भेजना तथा प्राप्त करना, फाइलों तथा पिक्चरों को डाउन लोड करना का प्रत्यस निदर्शन दें।

कक्षा-X

इकाईवार पीरियड एवं अंक तालिका (थ्योरी और प्रैक्टिकल)

इकाई	विषय	पीरियड		अंक	
		थ्योरी	प्रैक्टीकल	थ्योरी	प्रैक्टीकल
1.	सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत सिद्धांत	08	00	10	00
2.	सूचना प्रौद्योगिकी टूल विंडो	30	60	30	30
	माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस	8	15		
	माइक्रोसॉफ्ट वर्ड	8	15		
	माइक्रोसॉफ्ट पावर पाइंट	8	15		
	माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल	6	15		
3.	सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग	02	20	00	30
	कुल योग	**40**	**80**	**40**	**60**

सिद्धान्त

प्रश्न पत्र : एक **समय : 2 घंटा** **अंक : 40**

इकाई-1 : सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत नियम

प्रौद्योगिकियों का अभिसरण (कनवरजेंस)

कम्प्यूटर प्रणाली

कम्प्यूटर के अभिलक्षण, कम्प्यूटर के मूलभूत उपयोग, कम्प्यूटर प्रणाली के घटक केन्द्रीय संसाधन इकाई (सी पी यू) दृश्य प्रदर्शन इकाई (वी डी यू) कुंजी पटल।

स्मृति की संधारणा (कंसेप्ट)

प्राथमिक और द्वितीयक स्मृति RAM और ROM स्मृति की इकाइयां-बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, निवेश-निर्गम युक्तियां, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर।

भंडारण युक्तियां

कम्प्यूटर भाषाएं :

मशीनीभाषा, असेम्बली भाषा और उच्च स्तरीय भाषाएं, असेम्बलर और कम्पाइलर।

सॉफ्टवेयर की किस्में :

प्रणाली, उपयोगिता और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उदाहरणों सहित

संचार प्रौद्योगिकी

नेटवर्किंग की आवश्यकता, LAN, MAN और WAN

आंकड़ा संचार युक्ति : मॉडम

इंटरनेट से परिचय : सामग्री

आंकड़ा, सूचना और बहुमाध्यम

इकाई-2 : सूचना प्रौद्योगिकी टूल

माइक्रोसॉफ्ट विंडो

एक प्रचालक प्रणाली की संधारणा और उसके कार्य

विंडो से परिचय : माउस और मूविंग आइकनों का उपयोग करना, मेरा कम्प्यूटर, रिसाइकिल बिन, टास्क बार, आरंभ-मीनू और मीनू चयन, अनुप्रयोग, चलाना, सैटिंग प्रणाली, दिनांक और समय, फाईल फोल्डर और डायरेक्टरी देखने हेतु विंडो एक्सप्लोरर, फाईल और फोल्डर निर्माण और उनका पुनः नामकरण, विंडो को खोलना और बंद करना, विंडो के न्यूनतम, पुनः प्राप्ति और अधिकतम रूप, विंडो के मूलभूत घटक, डिस्टाप फ्रेम, टाइटल बार, मीनू बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार (हॉरीजांटल और वर्टीकल), माउस के सही बटन का उपयोग, शार्टकट का निर्माण, मूलभूत विंडो, अनुसंगी (एक्सेसरी) नोट पैड, पेटे, कैलकुलेटर, वर्ड पैड, चिपबोर्ड का इस्तेमाल।

माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस

माईक्रोसॉफ्ट वर्ड :

वर्ड प्रोसेसर से परिचय प्रलेख (डॉक्यूमेंट) का निर्माण और उसकी रक्षा प्रलेख का संपादन और फार्मेटिंग, पाठ्य का स्टाइल (B.I.V.) फोंट टाइप साइज, रंग परिवर्तन, पाठ्य का संरेखण (एलाइनमेंट), पंक्ति के साथ पैराग्राफों का फार्मेटिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, पृष्ठों की संख्या दर्शाने वाले हैडर और फुटर लिखना, व्याकरण और वर्तनी जांचने के लिए युक्तियों का उपयोग, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का उपयोग करना, संकेतों की प्रविष्टि, मुद्रण प्रिव्यू, प्रलेख का मुद्रण।

वर्ड आर्ट की प्रविष्टि, क्लीपार्ट और चित्र, पेज सैटिंग, बुलट और अंकन, बॉर्डर और शेडिंग, फार्मेट पेंटर, ढूंढना और पुनःस्थापन तालिकाओं की प्रविष्टि पंक्तियों और स्तंभों की प्रविष्टि और हटाना, सैल विलयन, सैलों को विभक्त करना, ऑटोफार्मेट का उपयोग, मेल मर्ज।

माईक्रोसॉफ्ट पावर पांइट :

प्रस्तुतिकरण, ग्राफिक से परिचय, स्लाइड शो की संधारणा को समझना, स्लाइड के मूलभूत तत्व/स्लाइड ले-आउट के विभिन्न प्रकार, प्रस्तुतिकरण का निर्माण और बचाव, स्लाइड के विभिन्न परिदृश्य, सामान्य

परिदृश्य, स्लाइड सॉर्टर दृष्टिकोण और स्लाइड शो, स्लाइड का संपादन और फार्मेटिंग, शीर्षकों का योजन, पाठ्य पृष्ठभूमि, वाटर मार्क और हैडर और फुटर स्लाइडों का संख्यांकन (नंबरिंग)

फाईलों में से चित्रों को प्रविष्ट करना, चित्रों और पाठ्य का ध्वनि समावेश से सजीवीकरण (एनीमेशन), पाठ्य बॉक्स चित्रों और स्लाइडों का निर्धारण, पूर्वाभ्यास समय निर्धारण, क्लीपार्ट से चित्रों का विसमूहीकरण और समूहीकरण।

माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल :

स्प्रैडशीट से परिचय, वर्कशीट और वर्कबुक की संधारणा, वर्कशीट का निर्माण और बचाव, आटोफिल का उपयोग करके वर्कशीट में संख्याओं, पाठ्य, दिनांक/समय, सीरिज को प्रविष्ट करना, वर्कशीट का संपादन और फार्मेटिंग जिसमें पाठ्य के रंग, आकार, फौंट, एलाइनमेंट में परिवर्तन, शामिल हैं, करना, कोष्टिकाओं, पंक्तियों और स्तम्भों का समावेश और हटाना, सूत्र, सूत्रों में ऑपरेटर (+,-,*,/) का उपयोग करके सैल में सूत्र को दर्ज करना, आपेक्षिक संदर्भीकरण (रिफ्रेसिंग) निरपेक्ष संदर्भीकरण और मिश्रित संदर्भीकरण, वर्कशीट का मुद्रण।

सरल सांख्यिक फंक्शन SUMO, AVERAGEQ, MAXQ, MINO, IFO का उपयोग (बिना संयुक्त कथनों के), वर्कशीट में तालिकाओं का समावेश, वर्कशीट में विभिन्न किस्मों के चार्ट : लाइन, पिक, स्कैटर, बार और एरिआ की एमवैडिंग।

इकाई-3 : सूचना और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

विद्यार्थियों को सुझाया जाता है कि वे निम्न क्षेत्रों में माईक्रोसॉफ्ट-वर्ड, माईक्रोसॉफ्ट-पावर पाइंट, माईक्रोसॉफ्ट-एक्सेल का निम्न विषयों पर उपयोग करके पाठ्यक्रम में समावेशित टूलों को प्रयोग करें।

क्षेत्र :

प्रलेख पोषण

- अनौपचारिक पत्र
- औपचारिक पत्र
- रिपोर्ट लेखन
- बधाई कार्ड
- पोस्टर निर्माण

प्रस्तुतिकरण

- स्कूल पत्रिका
- पर्यावरण और प्रदूषण
- उत्पाद विज्ञापन
- पाठ्य पुस्तक में कोई विशेष प्रसंग (कोई भी विषय)

विश्लेषण रिपोर्टिंग

- क्रिकेट रिकार्ड
- मौसम रिपोर्ट
- स्कूल/कक्षा परिणाम

टिप्पणी : उपर्युक्त विषयों पर नमूना प्रलेख/प्रस्तुतिकरण/स्प्रैडशीट केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड CD-ROM उपलब्ध करायी गई है।

शिक्षकों से अनुरोध है कि वे वर्ड प्रोसेसिंग, प्रस्तुतिकरण और स्प्रैडशीट के कुछ अन्य ऐसे लोकप्रिय, सॉफ्टवेयरों का प्रदर्शन करें जो हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान करते हों। लीड ऑफिस, ऑफिस सूट (माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लोटस, स्मार्टस्यूट, पेजमेकर, कोरेल ड्रा आदि के इंटरफेस सहित वर्ड प्रोसेसर) का एक उदाहरण है जो भारतीय भाषाओं को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है।

कक्षा IX

प्रैक्टीकल

प्रैक्टीकल प्रश्न पत्र	परीक्षा अवधि	अंक	वर्ष में पीरियड
एक	4 घंटे	60	80

(क) अनुभव पर आधारित (4 अभ्यास) **30 अंक**

एक प्रैक्टीकल प्रश्न पत्र का डिजाइन

अंकों के वितरण और प्रैक्टीकल परीक्षा के कार्यान्वयन के बारे में पाठ्य विवरण पर आधारित निर्देश दिए जा चुके हैं। परीक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और अंकों का वितरण करेंगे।

(i) विंडो प्रचालन प्रणाली 6 अंक

(ii) माईक्रोसॉफ्ट वर्ड 8 अंक

(iii) माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल 8 अंक

(iv) माईक्रोसॉफ्ट पावर पाइंट 8 अंक

(I) विंडो प्रचालन प्रणाली : फाईल/फोल्डर पर निम्न में से कुछ मूलभूत प्रणाली-प्रचालनों को परखना

- निर्माण
- पुनः नामकरण
- प्रतिलिपि/काटना/चिपकाना
- हटाना
- नोटपैड/वर्डपैड/पेंट से संबंधित समादेश
- क्लिप बोर्ड का उपयोग

(II) माईक्रोसॉफ्ट वर्ड

परीक्षा के दौरान माईक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ को, जिसमें में से कुछ उपकरणों का समावेश हो, परखना है :

- पाठ्य और पैराग्राफ संपादन और फार्मेटिंग।
- पेज और पैराग्राफ व्यवस्था।
- चित्रों और वर्ड की प्रविष्टि।

(III) माईक्रोसॉफ्ट पावर पाइंट

परीक्षा के दौरान नीचे दिए गए उपकरणों में से कुछ को 2 या 3 स्लाइडों के साथ प्रयुक्त करके पावरपाइंड प्रस्तुतिकरण को परखना है :

- स्लाइड संपादन और फार्मेटिंग
- चित्र और ध्वनि का समावेश
- ध्वनि की मदद से चित्रों और पाठ्य को सजीव बनाना।

(IV) माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल

परीक्षा के दौरान नीचे दिए गए उपकरणों में से कुछ से संबद्धित स्प्रैडशीट की एक समस्या को परखना है :

- फार्मेटिंग सैल और डाटा
- फलन और सूत्र (आपेक्षिक, निरपेक्ष और मिश्रित प्रसंग)
- चार्ट
- प्रलेखों के प्रिन्ट आउटों को उत्तर शीटों के साथ संलग्न करना चाहिए।

(ख) सूचना और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल **20 अंक**

विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे माईक्रोसॉफ्ट वर्ड, माईक्रोसॉफ्ट पावर पाइंट और माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करके वास्तविक जीवन से संबंधित क्षेत्र से कम से कम 15 विषयों पर सूचना प्रौद्योगिक अनुप्रयोग रिपोर्ट फाईल तैयार करेंगे।

- माईक्रोसॉफ्ट वर्ड के कम से कम 5 प्रलेख।
- माईक्रोसॉफ्ट पावर पाइंट के कम से कम 5 प्रस्तुतिकरण।
- ग्राफ सहित माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कम से कम 5 स्प्रैडशीट

(ग) मौखिक परीक्षा **10 अंक**

कक्षा-X

इकाई-वार पीरियड एवं अंक तालिका (थ्योरी और प्रैक्टीकल)

इकाई	विषय	पीरियड		अंक	
		थ्योरी	**प्रैक्टीकल**	**थ्योरी**	**प्रैक्टीकल**
1.	सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत सिद्धांत	08	05	10	05
2.	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण माईक्रोसॉफ्ट ऑफिस	17	30	30	30
	• माईक्रोसॉफ्ट-एक्सेस	(05)	(10)	(10)	(10)
	• HTML	(12)	(20)	(20)	(20)
3.	सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग	00	15	00	25
	कुल	**25**	**50**	**40**	**60**

सिद्धांत

प्रश्न पत्र : एक समय : 2 घंटा अंक : 40

इकाई-1 : सूचना प्रौद्योगिकी मूलभूत सिद्धांत

इंटरनेट : विश्वव्यापी वेब, वेब सरवर, वेब साइट, वैब पेज, वेब ब्राउसर HTML वेब एड्रेस, ई-मेल एड्रैस URL, HTTP

इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं : सूचना पुनः प्राप्ति, इलेक्ट्रानिक डाक, सर्च इंजनों का उपयोग करके साइटों का स्थान निर्धारण करना और नेट पर लोगों का पता लगाना, वीडियो टूर सम्मेलन आयोजित करना, FTP फाईलों को दूरस्थ साइट से डाउनलोड और अपलोड करना, न्यूजग्रुप,

इकाई-2 : सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण

माईक्रोसॉफ्ट : ऑफिस

माईक्रोसॉफ्ट : एक्सेस

मूलभूत संधारणाएं और एक डाटाबेस के लिए आवश्यकता, डाटाबेस का निर्माण, प्राथमिक कुंजी की स्थापना, डाटाबेस में डाटा प्रविष्ट कराना, फील्ड को प्रविष्ट करना और हटाना, रिकार्ड डाटा, मान्यकरण फील्ड आकार, व्यतिक्रम मान मान्यकरण नियम, मान्यकरण पाठ्य, आवश्यक, अनुमेय शून्य लंबाई।

हाइपर टैक्स्ट मार्कअप लेंग्वेज (HTML)

लोकप्रिय ब्राउसरों पर विशेष बल के साथ वेब ब्राउसर की आधारभूत संधारणा, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नैवीगेटर

HTML आधारभूत सिद्धान्त

HTML का उपयोग करके वेब पेज डिजाइन से परिचय, HTML प्रलेख का निर्माण और बचाना, HTML के तत्व, कंटेनर और रिक्त तत्व। निम्न तत्वों का उपयोग करके वेब पेज डिजाइन करना :

HTML, HEAD, TITLE, BODY (गुण : BACK GROUND, BGCOLOR, TEXT, LINK, ALINK, VLINK, LEFT MARGIN, TOP MARGIN) FONT (गुण : COLOR, SIZE, FACE)

BASE FONT (गुण : COLOR, SIZE, FACE) CENTER, BR (ब्रेक) HR (क्षैतिज नियम, गुण : SIZE, WIDTH, ALIGN, NOSHADE, COLOR) COMMENTS! टिप्पणी के लिए, H1..H6 (हैडिंग) P (पैराग्राफ) B (बोल्ड) I (इटैलिक्स) U (रेखांकित) UL और OL (अक्रमित सूची और क्रमित सूची, गुण : TYPE, START, LI (सूची आइटम) IMG तत्व का उपयोग करके प्रतिबिंब की प्रविष्टि (गुण : SRC, WIDTH, HEIGHT, ALT, ALIGN)

वेब पेजों के बीच आंतरिक और बाह्य श्रृंखलन, श्रृंखलन का महत्व, A -एंकर तत्व (गुण : NAME, HREF, TITLE, ALT)

इकाई-3 : सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग :

विद्यार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे एक्सेस और HTML का उपयोग करके निम्न क्षेत्रों पर उन विषयों के पाठ्यक्रम में दिए गए उपकरणों को कार्यान्वित करें :

प्रक्षेत्र

डाटाबेस

- डाटा प्रबंधन प्रणाली
- स्टॉक लिस्ट

वेबसाइट डिजाइनिंग

- यात्रा और पर्यटन
- ग्रामीण भारत
- पर्यावरण और प्रदूषण

टिप्पणी

I. उपर्युक्त विषयों पर नमूने के रूप में प्रलेख और प्रस्तुतिकरण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CD-ROM में उपलब्ध है।

II. शिक्षकों से निवेदन है कि वे वर्ड प्रोसेसिंग, प्रस्तुतिकरण, स्प्रैडशीट, डाटाबेस प्रबंधन व्यवस्था के लिए कुछ अन्य ऐसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयरों का प्रदर्शन करें जो हिंदी और अथवा अन्य भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान करते हों।

III. विद्यार्थियों को सुझाया जाता है कि वे अपने कुछ प्रलेख/प्रस्तुतिकरण संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग भारतीय भाषा में तैयार करें।

कक्षा-X
प्रैक्टीकल

प्रेक्टीकल प्रश्न पत्र	परीक्षा अवधि	अंक	वर्ष में पीरियड
एक	4 घंटे	60	80

(क) अनुभव पर आधारित (2 अभ्यास) **30 अंक**

प्रैक्टीकल प्रश्न पत्र का डिजाइन

प्रैक्टीकल परीक्षा सम्पन्न करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कोई पूर्व-निर्धारित प्रश्न पत्र प्रदान नहीं करता। यह लचीलापन परीक्षक को, स्कूल में ही प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं तथा साधनों को ध्यान में रखकर प्रैक्टीकल परीक्षा में अधिक स्वतंत्रता देने के लिए रखा गया है। परंतु पाठ्य विवरण के आधार पर अंकों का वितरण और प्रैक्टीकल परीक्षा के संचालन हेतु विस्तृत अनुदेश प्रदान कर दिए गए हैं। आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षक मिलकर निर्धारित पाठ्यक्रम और अंकों के विवरण के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करें।

I. माईक्रोसॉफ्ट एक्सेस **8 अंक**

II. HTML **22 अंक**

I. माईक्रोसॉफ्ट एक्सेस*

परीक्षा के दौरान निम्न उपकरणों में कुछ से संबंधित माईक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर किसी समस्या को परखना है।

- डाटा का निर्माण और डाटाबेस में उसकी प्रविष्टि
- प्राथमिक कुंजी की स्थापना
- डाटा मान्यकरण

II. HTML

वेब पेज डिजाइनिंग (कम से कम 2 पेज) पर एक ऐसी समस्या दी जानी चाहिए जो निम्न HTML तत्वों में से कुछ को समावेशित करे।

- <HTML>, <HEAD>, <TITLE>, <BODY>
- फांट स्टाइल <B>, <i>, <U>
- <FONT>,– FACE, SIZE
- <CENTRE>
- <P>-ALIGN
- <A>
- <IMGSR>
- टिप्पणी <!>

विद्यार्थियों से वास्तविक जीवन की घटनाओं से डोमेन विशेष के वेबपेज तथा पाठ्य विवरण में उल्लेखित विषयों पर डिजाइन करने की जानकारी की अपेक्षा की जाती है।

अंकों का ब्यौरा (HTML)

- दृश्य प्रभाव : 8
- सम्पर्क : 6
- कोडिंग : 10
- प्रलेखों के प्रिंटआउटों को उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल **अंक 20**

विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि डोमेन में दिए गए विषयों पर माईक्रोसॉफ्ट एक्सेस और HTML का उपयोग करके वे वास्तविक जीवन समुनिदेशन/प्रस्तुतिकरण पर सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग रिपोर्ट फाइल तैयार करेंगे।

निम्न के प्रिंटआउट अवश्य तैयार करें :

- माईक्रोसॉफ्ट एक्सेस के प्रलेख (कम से कम 5)
- ब्राउसर व्यू के साथ HTML स्रोत कोड (कम से कम 10)

(ग) मौखिक परीक्षा **अंक 10**

कक्षा IX और X के दौरान पढ़ाए गए पाठ्य विवरण के किसी भी अंश से प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

टिप्पणी : शिक्षकों को यह सुझाया जाता है कि इंटरनेट से संपर्क करना, प्रचलित सर्च इंजनों का उपयोग, वेब ब्राउसिंग, ई-मेल खाते खोलना, ई-मेल भेजना और प्राप्त करना, फाईलों और चित्रों को उतारना जैसे पहलुओं पर अधुनातन प्रदर्शन प्रस्तुत करें।

आधारिक संरचना

मौजूदा आधारिक संरचना को ध्यान में रखकर निम्न न्यूनतम आधारित संरचना सुझायी जाती है :

सॉफ्टवेयर

- WIN 96 +
- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95+
- लीप ऑफिस 2000
- नेट्स्केप नैवीगेटर
- इंटरनेट एक्सप्लोरर

न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यकता

- 486 मल्टीमीडिया मशीन
- 16 MB RAM
- 4.3 GH HDD

इंटरनेट संपर्क

- TCP/IP
- विद्यार्थी-मशीन अनुपात 2 : 1

शिक्षक की योग्यता

- स्नातक (कम्प्यूटर विज्ञान)
- स्नातक 'ए' स्तर सहित
- किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए. सहित स्नातक (कम से कम डेढ़ वर्ष)

पत्रिका/वीडियो फिल्म

- P.C. Quest
- Chip
- P.C. World
- Computer@home
- Computer Today
- Microsoft Training Software
- C-DAC का ADIT Course material

7. आंतरिक मूल्यांकन के विषय

कार्य अनुभव/पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कला शिक्षा तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का मूल्यांकन विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। सी.बी.एस.ई. ने इन विषयों के अतिरिक्त मूल्यांकन के लिए जो दिशानिर्देश तैयार किए हैं उन्हें संबंधित विद्यालय अध्यापन तथा मूल्यांकन के समय ध्यान में रखें। उनके प्रयोग तथा संदर्भ के लिए बोर्ड के निम्नलिखित प्रकाशनों की संस्तुति की जाती है जिसमें पाठ्यविवरण की रूपरेखा तथा मूल्यांकन के मुख्य बिन्दु दिए गए हैं :

(i) वर्क एक्सपीरिएंस इन स्कूल्ज़ : गाईडलाइन्स एण्ड सेलेबस-रिवाइज्ड एडिशन 1991

(ii) आर्ट एजूकेशन इन स्कूल्ज

(iii) फिजिकल एण्ड हैल्थ एजूकेशन इन स्कूल्ज

(iv) सर्टिफिकेट ऑफ एचीवमेंट, फिलॉसोफी एण्ड मेथोडॉलोजी

8. पूर्व व्यावसायिक शिक्षा

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के उपबंधों और विभिन्न समितियों की सिफारिश के अनुसरण में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा के 1995-96 के शिक्षा सत्र से अध्ययन संबंधी अपनी योजना से पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नानुसार है

   कक्षा 9 और कक्षा 10 में विद्यार्थियों को साधारण व्यापारिक कौशल में प्रशिक्षण देना।

   उत्पादकता बढ़ाने हेतु व्यावसायिक रुचि और व्यावसायिक प्रवृत्तियों की स्वयं खोज करने की अनुमति देना।

   उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चयन हेतु विद्यार्थियों की सहायता करना।

   विद्यार्थियों को शैक्षिक योग्यता के वांछित आयाम के रूप में कार्य अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रतिभागिता हेतु तैयार करना, और

   कार्य सांस्कृतिक से संबंधित लाभप्रद मूल्यों को मन में बैठाना।

2. पूर्व व्यावसायिक शिक्षा योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं।

   (i) पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कार्य अनुभव के स्थान पर दी जाएगी।

   (ii) पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 6 पीरियड निर्धारित किए जाएंगे।

   (iii) पूर्व व्यावसायिक शिक्षा केवल ऐसे विद्यालयों में लागू की जाएगी जहाँ पर 10+2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तुति किए जा रहे हैं और चयन किए गए व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए अवसंरचना सुविधाएं नियमित तौर पर उपलब्ध हैं।

(iv) निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के पूरा होने के पश्चात् पास होने वालों को संबंधित पाठ्यक्रम में विषय कुशलता प्राप्त करनी चाहिए।

(v) पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, प्रयोग के आधार पर केवल चुने हुए विद्यालयों में दी जा रही है। इस प्रकार पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ करने से पूर्व बोर्ड से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

(vi) मूल्यांकन की योजना कार्यानुभव के समान है। 9वीं व 10वीं कक्षाओं में मूल्यांकन विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। कक्षा (10) में विद्यालयों द्वारा दिए गए ग्रेड बोर्ड के प्रमाणपत्र में संबंधित पाठ्यक्रम के शीर्षक के साथ दर्शाए जाएंगे। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और चंडीगढ़ प्रशासन ने शैक्षिक सत्र 1995-96 से अपने कुछ चुने हुए विद्यालयों में निम्नलिखित पूर्व व्यावसायिक ट्रेडों में शिक्षा आरंभ करने की सहमति दी है।

3. राष्ट्रीय राजधानी परिसर दिल्ली एवं चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कुछ चुने हुए विद्यालयों में 1995-96 के शैक्षिक सत्र से निम्न पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की सहमति दी है

कोड नं. 507 प्रारम्भिक कार्यालय पद्धतियां

कोड नं. 508 प्रारम्भिक कम्प्यूटर प्रक्रियाएँ

कोड नं. 509 प्रारम्भिक लेखा पद्धतियाँ

कोड नं. 510 फल एवं सब्जियाँ संरक्षण।

कोड नं. 511 प्रारम्भिक बेकरी

कोड नं. 512 प्रारम्भिक कन्फैक्शनरी

कोड नं. 513 प्रारम्भिक इलेक्ट्रोनिक्स

कोड नं. 514 वातानुकूलन एवं रेफ्रीजेरेशन

कोड नं. 515 इलेक्ट्रिक घरेलू उपकरणों की मरम्मत

कोड नं. 516 टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्नोलोजी

कोड नं. 517 टेक्सटाइल सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्नोलोजी

कोड नं. 518 कटाई और सिलाई

कोड नं. 519 स्किन केयर और ब्यूटी कल्चर

कोड नं. 520 ऑटोमोबाइल

कोड नं. 521 खाना पकाना एवं सेवाएँ।

4. ये प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम शिक्षा निदेशालय, दिल्ली और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्तर्गत चुने हुए विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं। इन निदेशालयों के अंतर्गत जो विद्यालय इनमें से कोई पाठ्यक्रम आरंभ करना चाहता है, उसे सम्बन्धित निदेशालय से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए एवं पाठ्यक्रम सम्बन्धित अवसंरचना सुविधाएँ होनी चाहिए।

9. कार्य शिक्षा

तर्काधार

सन् 2000 की पाठ्यचर्या के ढांचे में कार्यानुभव को कार्य-शिक्षा कहा गया है तथा यह शिक्षा का अनिवार्य अंग बन गया है। इस प्रकार सुव्यवस्थित और वर्गीकृत कार्यक्रम के द्वारा यह ज्ञान और कौशल दोनों ही प्रदान करेगा जिससे यह छात्रों-छात्राओं के कार्य की दुनिया में कदम रखने पर सहायता करेगा। कार्य शिक्षा पाठ्यचर्या का एक अलग क्षेत्र है। यह बच्चों को कक्षा में और कक्षा के बाहर सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों में भागीदारी के अवसर प्रदान करता है यही नहीं यह उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को समझने में भी समर्थ बनाएगा। उत्पादक हस्त कार्य की स्थितियों का चयन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, भोजन, आवास, वस्त्र, मनोरंजन और सामुदायिक सेवा के क्षेत्रों में किया जाएगा। इस क्षेत्र में जिन सक्षमताओं का विकास किया जाएगा, उनमें ज्ञान, बोध, व्यावहारिक कौशलों और मूल्यों का समावेश आवश्यक है। इन सक्षमताओं का विकास जीवन के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के द्वारा किया जाएगा। इस स्तर पर पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए।

कार्य शिक्षा का उद्देश्य सभी प्रकार के शारीरिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठा और आदर के भावों को पुनः स्थापित करना है। इसके द्वारा व्यक्ति, उसके परिवार और समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। यही नहीं, उचित कार्यकुशलताओं और मूल्यों के द्वारा उत्पादकता भी बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं सामाजिक कार्यों और सामुदायिक सेवा के उचित कार्यक्रम के द्वारा समाज कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

उद्देश्य

माध्यमिक स्तर पर कार्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं

- निम्नलिखित के संदर्भ में अनिवार्य ज्ञान और बोध को विकसित करने में छात्रों/छात्राओं की सहायता करना :

  भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वस्त्र, आवास, मनोरंजन और समाज सेवा से जुड़ीं व्यक्ति परिवार और समुदाय की जरूरतों की पहचान करना।

  समुदाय के उत्पादक क्रिया कलापों से परिचित करवाना।

  कार्य के विविध प्रकारों में निहित सच्चाइयों और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाना;

  वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में औजारों और उपस्करों के प्रयोग को समझना तथा कच्चे माल के स्रोतों को जानना; उत्पादक कार्य और समुदाय की सेवाओं की उपयोगिता को समझना;

  उत्पादक प्रक्रियाओं और कुशलताओं के संदर्भ में प्रौद्योगिकीय दृष्टि से प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं को समझना;

  उत्पादक कार्यों के नियोजन और व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं को समझना;

उत्पादक स्थितियों में उनकी भूमिका की परिकल्पना करना;

निष्पादन और उद्यम के लिए स्व-मूल्यांकन की योग्यताओं का विकास करना।

- छात्र/छात्राओं की कशलताओं के विकास में सहायता करना

  विभिन्न प्रकार के उत्पादक कार्य के लिए औजारों और सामान के चयन, अधिप्राप्ति, व्यवस्था और उपयोग में सहायता करना;

  कार्य-अभ्यास में निरीक्षण, परिचालन, और भागीदारी में सहायता करना;

  उत्पादक कार्य और सामाजिक सेवा की स्थितियों में समस्या-समाधान की विधियों के अनुप्रयोग में सहायता करना;

  पढ़ाई के साथ उन्हें कमाई के योग्य बनाने और उनकी कार्य-क्षमता में पर्याप्त वृद्धि करने में सहायता करना;

  नवप्रवर्तनात्मक विधियों और सामान का आविष्कार करने तथा उनकी रचनात्मक योग्यताओं के उपयोग करने में सहायता करना;

- निम्नलिखित के संदर्भ में छात्र/छात्राओं की उचित मनोवृत्ति और मूल्यों के विकास में सहायता करना :

  शारीरिकश्रम और कामगारों के प्रति आदर विकसित करना;

  आत्मनिर्भरता, सहयोग, सामूहिक कार्य, धैर्य, सहिष्णुता आदि सामाजिक दृष्टि से वांछनीय मूल्यों के विकास में सहायता करना;

  उचित कर्त्तव्यनिष्ठा और नियमितता, समय निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण, अनुशासन आदि के विकास में सहायता करना।

  उत्पादक कार्य और सेवाओं में उपलब्धियों के द्वारा आत्म-सम्मान के विकास में सहायता करना;

  पर्यावरण के लिए गहन चिंता और समाज के लिए स्वजन भावना दायित्व और वचनबद्धता के भावों के विकास में सहायता करना;

  श्रेष्ठता के लिए प्रयत्न में सहायता करना।

पाठ्यक्रम विषयवस्तु

कार्य शिक्षा की विषयवस्तु के दो भाग हैं छात्रों/छात्राओं, उनके परिवारों और समुदाय की दैनंदिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य 'क्रियाकलाप' तथा उत्पादक कार्य और सेवाओं के लिए वैकल्पिक कार्यक्रम, जो उन्हें नकदी या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक दिला सकता है। इस अवस्था में वैकल्पिक क्रिया-कलापों द्वारा उत्पादक कार्य अभ्यास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इसीलिए विद्यालय की समय सारिणी में इसे 70 प्रतिशत भारिता प्रदान की गई है। लेकिन स्कूल द्वारा क्रियाकलापों/परियोजनाओं/पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का वास्तविक चयन इन बातों पर निर्भर करेगा क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक, भौतिक और मानव-संसाधनों की उपलब्धता, समुदाय की समाजार्थिक पृष्ठभूमि तथा छात्र/छात्राओं की आवश्यकताएं और रुचियां।

अनिवार्य क्रियाकलाप

बस, रेल, वायुयान की समयसारणी आदि का उपयोग।

दुधारू पशुओं को दुहना तथा संबंधित क्रियाकलापों का प्रबंधन।

सामासिक विद्यालयों में दोपहर के भोजन/उपाहार के बनाने और वितरण में मदद करना।

प्रदर्शिनयों, पिकनिक पर्यटन और सैर सपाटे, विद्यालय के उत्सव आदि के आयोजन में विद्यालय के अधिकारियों की मदद करना तथा उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

अपने तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए खिलौनों तथा खेल के अन्य सामान तैयार करना।

प्राथमिक उपचार के क्रियाकलाप जैसे नब्ज देखना, तापमान (बुखार) नापना, तथा घावों को साफ करके उन पर पट्टे बांधना।

यातायात के नियमन में यातायात पुलिस की मदद करना।

छायादार/जलावन देने वाले/सजावटी/ सड़कों के किनारे लगाने वाले वृक्षों का रोपण।

परिवार का बजट बनाना तथा दैनिक घर खर्च का हिसाब रखना।

सामान्य उर्वरकों, पेस्ट नाशियों के बारे में जानकारी और सही उपकरणों के द्वारा उनका उपयोग करना।

पंचायत के सहयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए परिवहन सुविधाओं को जानने तथा उन्हें प्राप्त करने में प्रयत्न करने के योग्य होना।

सामान्य पीड़क जीवों और पौधों के रोगों के विषय में जानकारी तथा सामान्य रसायनों और पौधों के रक्षक उपकरणों का उपयोग।

कृषि पशुओं को खिलाने, नहलाने और सामान्य जाँच परख की जानकारी।

गांव/नगर/गंदी बस्ती/जन-जातीय क्षेत्र के लोगों के पोषण और स्वास्थ्य की दशा का अध्ययन करना।

घर-घर के संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा समुदाय के पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दशा को सुधारने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मदद करना।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी।

शिशु-गृहों में बच्चों की देखभाल में मदद करना।

अस्पतालों और मेलों, प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं के समय स्वयं सेवक का काम।

वैकल्पिक क्रियाकलाप

इस अवस्था में कार्य अभ्यास, क्रमिक क्रियाकलापों वाली परियोजनाओं के रूप में होना चाहिए। ये क्रिया-कलाप उत्पादन और सेवा क्षेत्रों के व्यवसायों से संबंधित होंगे। विविध आवश्यकताओं और व्यावसायिक क्षेत्रों में गहन परियोजनाओं/पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को कुछ महीनों की अवधि से लेकर माध्यमिक स्तर की सम्पूर्ण दो वर्षों की अवधि में पूरा करना चाहिए। यही इस आवश्यकता का स्पष्ट उत्तर है। इस प्रकार की परियोजनाओं/पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का उद्देश्य कार्य में गहन कुशलता और प्रवीणता का विकास करना है। यह छात्र/छात्राओं की उन कार्यों में उत्पादकता और क्षमता को बढ़ाने में प्रेरक होगा, जो उन्हें

पढ़ाई के साथ-साथ कमाई के योग्य भी बनाएगा। इस अवस्था में गहन कौशल निर्माण पर बल देने का उद्देश्य कार्य शिक्षा का कार्यक्रम को पूर्व-व्यावसायिक आधार प्रदान करना है। साथ ही यह कक्षा X के बाद पढ़ाई बंद करने वाले छात्र/छात्राओं को संसार में कदम रखने की तैयारी को भी आधार प्रदान करेगा। उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अपनी पढ़ाई जारी रखने वालों के लिए, ये पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रम, + 2 स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तैयारी में सहायक होंगे। ऐसी परियोजनाओं/पूर्व-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक सूची नीचे दी गई है

फूलों, सब्जियों की खेती तथा नर्सरी में पौधे और पौध तैयार करना।

पौधों की सुरक्षा में काम आने वाले उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव।

सिंचाई की नालियों का पूर्व निर्माण।

कायिक प्रवर्धन-चश्मा लगाना, कलम बांधना, कटान, दाब लगाना आदि के द्वारा नए पौधे बनाना/पैदा करना।

मुर्गी पालना : (1) अंडों के लिए (2) पकाने के लिए।

बेकरी और मिष्टान-उत्पाद तैयार करना।

खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, जैली, मुरब्बा, टमाटर की चटनी, अचार बनाना।

ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों से संबंधित परियोजनाएं सौर, पवन, ज्वारीय, बायोगैस आदि।

मधुमक्खी पालन : शहद की बोतलबंदी तथा विपणन।

बिक्री या धागा बनाने के लिए रेशम के कीड़े पालना।

उपभोग, परिरक्षण या बिक्री के लिए मशरूम की खेती।

पाक विधि कुशलताएं।

छोटे तालाबों में मछली पालन।

खाद्यान्नों की फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और सुरक्षित भंडारण।

जीवाणुज उर्वरकों का उपयोग।

दुग्ध उत्पाद तैयार करना।

पेस्ट और रोगों से पौधों की सुरक्षा।

मृदा परीक्षण तथा उद्धार के उपाय।

फ़ाइल, फ़ाइल बोर्ड, रजिस्टर, लेखन बोर्ड, मोहर लगाने की स्याही जैसी लेखन सामग्री की वस्तुएं बनाना।

व्यापार के लिए बंधेज और आवरण छपाई।

परिधान निर्माण

बिजली के घरेलू उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव।

घर या विद्यालय में उपयोग या बिक्री के लिए बिजली के विस्तार बोर्ड बनाना।

फोटोग्राफी-व्यापारिक

नल कर्म

रद्दी कागजों से कागज बनाना।

पेरिस प्लास्टर से अधिक परिष्कृत सजावटी वस्तुएं बनाना।

चटाई और कालीन बुनना।

गुड़िया बनाना।

हाथ की कढ़ाई।

पर्याप्त क्षमता के साथ टंकण।

स्टेनोग्राफी

सहकारी भंडार चलाना।

विद्यार्थी बैंक चलाना।

पुस्तक बैंक चलाना।

बेंत की बुनाई, बढ़ईगिरी और राजगीरी।

साइकिल और स्कूटर की मरम्मत।

कम्प्यूटर चलाना और उसका रख-रखाव (सर्फिंग, इंटरनेंट खोलना, ई-मेल)।

फोटो कापी।

आवरण छपाई।

कृषि उपकरणों और मशीनों का रख रखाव।

पी सी ओ (फैक्स)

राष्ट्रीय कैडेट कोर, एन एस एस स्काउटिंग और गाइडिंग

वैकल्पिक क्रियाकलापों की ऊपर सुझाई गई सूची में से भोजन, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान, परिधान, आवास, मनोरंजन और सामुदायिक सेवा जैसे मानव की आवश्यकताओं के विभिन्न क्षेत्रों में से छात्र छात्राओं को एक या दो क्रिया-कलापों/परियोजनाओं का चयन करना है। चयनित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके निष्पादन के लिए कुल कितने पीरियडों की आवश्यकता होगी, जो 120 से अधिक नहीं हो सकती।

कुछ क्रियाकलापों के पाठ्यक्रम की रूपरेखा

ऊपर दिए गए क्रिया कलापों और परियोजनाओं को मूर्त रूप देने और निर्धारित समय के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तथा साथ ही अभीष्ट उद्देश्यों की सर्वोत्तम उपलब्धि के लिए कुछ अनिवार्य और वैकल्पिक क्रियाकलापों का और अधिक विवरण दिया गया है। अनिवार्य क्रिया-कलापों के निष्पादन के लिए आवश्यक पीरियडों की संख्या, किस कक्षा के लिए उपयुक्त है तथा आवश्यक औजारों और सामान

का विवरण दिया गया है। वैकल्पिक, क्रिया-कलापों के संदर्भ में, कक्षानुसार प्राग्व्यवसायी पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु/प्रमुख क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें अधिगम परिणाम/विशिष्ट क्रिया कलापों, शिक्षण/अधिगम विधियाँ औजारों और सामान, निष्पादन के लिए आवश्यक समय तथा पाठ्यचर्या के अन्य क्षेत्रों से संबंध का ब्यौरा भी शामिल है। शेष क्रिया-कलापों/परियाजनाओं प्राग्यवसायी पाठ्यक्रमों के लिए विशिष्ट क्रियाकलापों का निर्धारण किया जा सकता है। कुछ क्रिया कलापों के पाठ्यक्रमों की रूप रेखा नीचे दी गई है :

अनिवार्य क्रियाकलाप

क्रियाकलाप I गांव/नगर/गंदी बस्ती/जन जातीय क्षेत्र में लोगों के पोषण और स्वास्थ्य की दशा का अध्ययन।

कक्षा IX या X **(30 पीरियड)**

लोगों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति,देश की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाओं को दर्शाती है। पोषण और स्वास्थ में सुधार, विकास के राष्ट्रीय नियोजनों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पोषण और स्वास्थ की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों के अध्ययन से तथ्यों का ज्ञान होगा, जिनके आधार पर उनकी स्थिति में सुधार के लिए उचित नियोजन किया जा सकता है।

विशिष्ट क्रियाकलाप

किसी गाँव/नगर/गंदी बस्ती/ जनजातीय क्षेत्र का अभिग्रहण।

समुदाय की पोषण और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की प्रारम्भिक पहचान।

परिवार से उनकी पृष्ठभूमि और अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली निर्माण/साक्षात्कार कार्यक्रम।

सामान्य जानकारी : परिवार का मुखिया, परिवार का प्रकार

परिवार का संघटन

परिवार के भोजन का प्रतिरूप

भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, दवाओं, ईंधन, परिवहन, बचत, कर्ज चुकाना, मनोरंजन आदि अन्य मदों पर मासिक व्यय का प्रतिरूप।

भोजन के मासिक व्यय की विस्तृत जानकारी।

घर पर बना भोजन।

विशेष दशाओं में दिया जाने वाला भोजन।

भोजन पकाने की विधियाँ।

घर में भोजन की वस्तुओं का भंडारण।

'अच्छी' और 'अच्छी नहीं' मानी जाने वाली भोजन की वस्तुएं।

स्वास्थ्य की सामान्य समस्या : बच्चों की अभावजन्य बीमारियां, बच्चों के अन्य सामान्य रोग, परिवार में सामान्यतः होने वाले रोग।

रोगों से मुक्ति के लिए किए गए उपाय।

पर्यावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी समस्या।

कचरे (ठोस या तरल) के निपटान का तरीका।

जल आपूर्ति का स्रोत तथा जल भंडारण का तरीका।

स्वास्थ्य संबंधी आंदतों का अनुपालन।

उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएँ।

- सर्वेक्षण का संचालन
- आँकड़ों का विश्लेषण तथा निम्नलिखित के संदर्भ में प्रमुख निष्कर्षों पर रिपोर्ट तैयार करना

समाजार्थिक दशाएं;

पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी समस्याएं;

स्वास्थ्य की सामान्य समस्याएं;

बच्चों, माताओं और समुदाय के कुपोषण की समस्याएं;

समुदाय की पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी अवांछनीय प्रथाएं;

पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए व्यावहारिक हस्तक्षेप उपाय;

क्रियाकलाप-II

घर-घर संपर्क कार्यक्रम के द्वारा समुदाय के पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिति सुधारने और समुदाय के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहायता।

कक्षा IX या X **(30 पीरियड)**

विकासशील दुनिया में कुपोषण और संक्रमण स्वास्थ्य की अनिश्चित स्थिति के प्रमुख कारण हैं। कुपोषण केवल गरीबी या सामाजिक और वितरणात्मक अन्याय के परिणामस्वरूप भोजन की अनुपलब्धता के कारण ही नहीं होता, अपितु पोषण के तथ्यों के अज्ञान और अवांछनीय प्रथाओं के कारण भी होता है। कुपोषण की समस्याओं को काफी हद तक हल किया जा सकता है, यदि आय की सीमा में रहकर ही भोजन का विवेक पूर्ण चयन किया जाए और उपलब्ध भोजन का और अधिक उपयोग किया जा सके। पर्यावरण की स्वच्छता की दो मूलभूत समस्याओं के चिरकालिक अस्तित्व मुख्य रूप से असुरक्षित जल आपूर्ति तथा कचरे, विशेष रूप से मानव मलमूत्र के अस्वास्थ्यकर निपटान, से ही संक्रामक रोग फैलते हैं। पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग से 80 प्रतिशत रोगों पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है।

इस प्रकार समुदायों के वांछनीय पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वच्छता की प्रथाओं के द्वारा स्वास्थ्य की समस्याओं को काफी हद तक हल किया जा सकता है। जनसंख्या के सभी आयुवर्ग को पर्यावरण आधारित शिक्षा देकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। घर-घर संपर्क कार्यक्रम, पर्यावरण आधारित शिक्षा का सबसे प्रभावशाली तरीका है। पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता में हस्तक्षेप किए बिना भी घर-घर संपर्क

कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त कार्यात्मक शिक्षा से समुदाय की पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति को सुधारा जा सकता है।

- **विशिष्ट क्रियाकलाप**

  गांव के सरपंच, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियर, और खंडविकास अधिकारी को एक सम्मेलन में आमन्त्रित करना चाहिए। इनके साथ मिलकर अभिग्रहीत समुदाय में चलाए जा रहे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर चर्चा करनी चाहिए। इसी मौके पर संपर्क कार्यक्रम में उनकी भागीदारी और सहयोग की संभावनाओं को भी तलाशा जा सकता है।

- पूर्व सर्वेक्षण (क्रियाकलाप 1) के द्वारा चिह्नित अभिग्रहीत समुदाय में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की समस्याओं को समुदाय में चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ सम्बन्ध जोड़ना तथा समुदाय में विशिष्ट वांछनीय प्रथाओं की एक सूची तैयार करना।

  बच्चे की चार महीने की आयु होने पर पूरक भोजन देती है।

  बच्चे को बोतल में नहीं, कटोरी में दूध देती है।

  बच्चे को कई बार दूध पिलाती है।

  बीमार होने पर भी बच्चे को दूध पिलाती है।

  बच्चे को प्रतिशिक्षित करती है।

  काटने से पूर्व सब्जियों को धोती है।

  अधिशेष पाक जल का उपयोग करती है।

  हरी पत्तीदार सब्जियों का नियमित उपयोग करती है।

  कच्ची सब्जियों/फलों/अंकुरित अनाज का नियमित उपयोग करती है।

  घर के पास-पड़ोस को साफ रखती है।

  अपजल का पौधे उगाने में उपयोग करती है।

  कचरे को गड्ढे में फेंकती है।

  दाँतों को साफ रखती है।

  नाखून काटकर उन्हें साफ रखती है।

  मार्गों, जलस्रोतों और घरों से दूर मल त्याग करती है।

  मल त्याग के बाद बाहर ही सफाई करती है; किसी तालाब/टैंक/नदी में नहीं।

- घर-घर सम्पर्क कार्यक्रम के लिए बनाई गई परियोजना टीम के सदस्यों में परिवारों का वितरण तथा घर-घर संपर्क कार्यक्रम के लिए समय सारणी तैयार करना, और अधिक अच्छे पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए वांछनीय प्रथाओं के महत्त्व को समझाना और वांछनीय प्रथाओं की जांच सूची में परिवार में प्रचलित प्रथाओं को दर्ज करना।

- प्रत्येक तीन संपर्कों के बाद टीम सदस्यों का सामने आई समस्याओं पर विचार विमर्श करना, किसी

वांछनीय प्रथा के न चलने के कारणों को विश्लेषण करना, तथा कार्यक्रम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए संभावित समाधान खोजना।

- समस्त समुदाय के लिए प्रथम और अंतिम संपर्क कार्यक्रम की वांछनीय प्रथाओं के अभिलेख सुदृढ़ करना तथा प्रथाओं में सुधार के प्रतिशत के आधार पर कार्यक्रम के प्रभाव को जांचना।
- परियोजना की टीम के सदस्यों का उनकी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के आधार पर तथा उनको सौंपे गए परिवारों में प्रथाओं में सुधार के आधार पर व्यक्तिगत निष्पदन का मूल्यांकन करना ।

क्रियाकलाप III

प्रथम उपचार दुर्घटना या आकस्मिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल और अस्थायी देखभाल को प्रथम उपचार कहते हैं। प्रथम उपचार का मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बचाना, स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना तथा डॉक्टर के आने या आपातघर या अस्पताल तक परिवहन के दौरान रोगी की दशाओं को अधिक गम्भीर होने से रोकना।

विशिष्ट क्रियाकलाप

- प्रथम उपचार किट बनाना तथा उपयोग करना।
- घावों की सफाई और पट्टी बांधना।
- साधारण चोटों और आपात् स्थितियों का प्रबंधन।

  खून बहना

  प्रघात

  डूबना

  जलना

  साँप का काटना

  अस्थि भंग

  विषायन

क्रियाकलाप IV

छायादार/जलावन/सजावटी/सड़कों के वृक्षों का रोपण

पर्यावरण के पारिस्थितिक संतुलन के लिए वृक्षों का महत्त्व। विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थानीय और विदेशज वृक्ष पौधों की सामान्य वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ जाति विशेष के वृक्षों से सम्बन्धित विशिष्ट समस्याएँ और उनके समाधान। पौधघर में पौध उगाना तथा पौधघर का प्रबंधन। सजावटी वृक्षों का कायिक प्रवर्धन। अभिविन्यास नियोजन। वृक्षारोपण और उनकी देखभाल।

विशिष्ट क्रियाकलाप

- छायादार/जलावन/सजावटी सड़कों के वृक्षों की पहचान।

- विभिन्न वृक्षों का उद्भिज् संग्रह (हरबेरियम) तैयार करना।
- वानस्पति वृद्धि, नई कोंपले/पत्तियां निकलना, पुष्पण, फलन आदि का ऋतु जैविक निरीक्षण।
- बीजों की पहचान, पौधघर में बोने से पहले बीजों का उपचार।
- बीज बोने के लिए पौधघर में क्यारियां बनाना।
- पौध घर में पौधे उगाना तथा पौधघर प्रबंधन।
- कटान, दाब द्वारा कायिक प्रवर्धन।
- वृक्षारोपण के लिए अभिविन्यास।
- वृक्षारोपण के गड्ढे खोदना।
- गड्ढों में भरने के लिए मृदा और खाद का मिश्रण तैयार करना।
- रोपण के लिए पौधे निकालना।
- रोपण बोर्ड या रस्सी की मदद से वृक्षारोपण।
- सुरक्षा के लिए वृक्ष कवच/बाड़ लगाना (वृक्ष कवच/बाड़ लोहे की छड़ों, खाली पुराने पीपों, कांटेदार टहनियां, ईंटों, कांटेदार तारों, सजीव बाड़े से बने होते हैं)
- रोपण के बाद पौधों की देखभाल, सिंचाई, खरपतवार निकालना, घासपात ढकना, गुड़ाई, रोगों से बचाव, पेस्ट, जन्तु, मौसम की प्रतिकूल दशाएं आदि।

क्रियाकलाप V

सामान्य उर्वरकों और पेस्ट नाशियों की पहचान तथा उचित उपकरणों द्वारा उनका उपयोग।

पौधों के पोषण के तत्त्व, उर्वरक नाइट्रोजनी, फॉसफेटी जैव उर्वरकों, सूक्ष्म पोषकों, सामान्य कीटनाशकों खरतवारनाशियों, कवकनाशियों की संकल्पना। मात्रा गणना। पौध रक्षक उपकरण, विभिन्न प्रकार के फहारे प्रधूलक। पौध रक्षक उपकरणों की रख रखाव और उपयोग। उर्वरक डालने की विधियां, मृदा और पर्णीय उपयोग।

विशिष्ट क्रियाकलाप

- विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कवक नाशियों, कीटनाशकों खरपतवार नाशियों, जैव उर्वरकों की पहचान।
- फुहारों और प्रद्यूलकों के विभिन्न अंगों की पहचान।
- पौध रक्षक उपकरणों का अंशशोधन।
- विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों आदि की मात्रा की गणना।
- पौध रक्षक रसायनों के कार्यातमक घोल तैयार करना।
- पौध रक्षक उपकरणों का उपयोग।
- उर्वरकों का उपयोग, सतह के ऊपर सतह के नीचे तथा पत्तियों पर छिड़ककर उर्वरक डालना।

- फलीदार फसलों के लिए जैव उर्वरकों का उपयोग।
- उद्यान कृषि में पट्टियों में उर्वरक लगाना।
- उर्वरकों के उपयोग के बाद फसलों/पौधों का सामान्य पेस्टनाशियों निरीक्षण तथा अनुपचरित पौधों से उनकी तुलना।

क्रियाकलाप VI

पौधों के सामान्य पेस्ट और रोगों से परिचय तथा सामान्य रसायनों और पौध रक्षक उपकरणों का उपयोग

कृषि में पेस्टों और रोगों का महत्त्व। उनके नियंत्रण के उपाय। जैव तथा समन्वित नियन्त्रण उपायों के विषय में सामान्य जानकारी। सामान्य कीटनाशक, कवकनाशी, खरपतवार नाशी। सामान्य पौध रक्षक उपकरण उनके निर्माण का विस्तृत विवरण, सामान्य मरम्मत और रख रखाव। पौध रक्षक रसायनों के उपयोग के समय की सावधानियाँ। प्रमुख क्षेत्रीय फसलों, सब्जियों और फलों की फसलों के सामान्य पेस्ट। प्रमुख क्षेत्रीय फसलों, सब्जियों और फलों की फसलों के सामान्य रोग।

विशिष्ट क्रियाकलाप

- कीटों, उनके लारवा, प्यूपा, अंडों का संग्रहण और परीक्षण।
- रोगग्रस्त पौधों के अंगों का संग्रहण और परीक्षण।
- फसलों के पेस्टों और रोगों की पहचान और वर्णन।
- पादप रक्षक रसायनों की पहचान।
- पेस्टों और रोगों के कारण फसलों की हानि का अनुमान लगाना।
- पादपरक्षक उपकरणों की सफाई, रख-रखाव और सामान्य मरम्मत।
- पादपरक्षक उपकरणों को चलाना।
- पादपरक्षक रसायनों का कार्यात्मक घोल बनाना।
- पादपरक्षक रसायनों के उपयोग के बाद पौधों का निरीक्षण।
- उपचरित और अनुपचरित पौधों में तुलना।
- कवक नाशी द्वारा बीजों का उपचार।

क्रियाकलाप VII

पारिवारिक बजट बनाना तथा दैनिक घरेलू लेखा-जोखा

विशिष्ट क्रियाकलाप

- घरेलू लेखा के महत्त्व की पहचान।
- लेन-देन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को सीखना।

- खर्चों के रिकॉर्ड, वाउचरों, रसीदों, बिलों आदि को रखना।
- सामान्य रसीदों और भुगतान के लेखा का रजिस्टर में व्यवस्थित और साफ सुथरे ढंग रिकॉर्ड रखना।
- पुरानी रसीदों और भुगतान की वर्तमान रसीदों और भुगतान से तुलना करना।

विशिष्ट क्रिया-कलाप

- विभिन्न परिवारों की आवश्यकताओं, सुखों और विलासिताओं में अंतर करना।
- परिवार की उपभोज्य वस्तुओं की सूची बनाना।
- आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्यों का संग्रहण।
- पारिवारिक आय को विभिन्न मदों में बाँटना।
- पारिवारिक बजट बनाना।
- निम्न वर्ग, निम्नमध्यवर्ग और मध्यवर्ग के परिवारों के बजट का तुलनात्मक अध्ययन करना।

क्रिया-कलाप VIII

बस और रेल की समय सारणी तथा अन्य सूचना स्रोतों का उपयोग

- बस, रेल और अन्य समय-सारणियों के महत्त्व को समझना।
- बस अड्डे से बस की समय-सारणी तथा रेलवे स्टेशन से रेल की समय-सारणी एकत्र करना।
- समय-सारणी के विभिन्न भागों का अध्ययन करना।
- बस और रेल की समय-सारणी को पढ़ने की प्रक्रियाओं को सीखना।
- विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न गन्तव्यों तथा मार्गों के लिए बस और रेल यात्रा की योजना बनाना।

क्रियाकलाप IX

विद्यालय के अधिकारियों की निम्नलिखित के आयोजन में मदद करना।

(क) पिकनिक, पर्यटन और सैर-सपाटों, उत्सव

(ख) प्रदर्शनियाँ

विशिष्ट क्रियाकलाप

- विद्यालय के अधिकारियों की पिकनिक, पर्यटन, सैर सपाटे, और विद्यालय के उत्सवों के आयोजन में मदद करना।

  कार्यक्रम की योजना बनाना।

  परिवहन, भोजन, खेल और मनोरंजन जैसे विभिन्न कामों के लिए टीमों का गठन।

धन संग्रह तथा उसका लेखा-जोखा रखना।

प्रत्येक क्रियाकलाप की व्यवस्था और तैयारी करना।

पिकनिक, पर्यटन/सैरसपाटे, उत्सव के दिन कार्यक्रमों का आयोजन/निष्पादन।

कार्यक्रम की सफलता की गई गतिविधि के प्रभावित का मूल्यांकन।

- **प्रदर्शनियों के आयोजन में विद्यालय के अधिकारियों की मदद करना।**

कार्य की योजना बनाना।

प्रदर्शित वस्तुओं का संग्रहण/निर्माण तथा उन्हें सुरक्षित रखना।

प्रदर्शन के लिए उचित मेजों, बोर्डों आदि को इकट्ठा करना।

प्रदर्शिनी कक्ष या मैदान की सफाई और सजावट।

योजनानुसार उचित स्थलों पर वस्तुओं का प्रदर्शन।

प्रदर्शिनी के दिन स्वागत करने का कर्त्तव्य निभाना।

दर्शकों को प्रदर्शित वस्तुओं के विषय में बताना।

प्रदर्शिनी की समाप्ति पर वस्तुओं को इकट्ठा करना तथा उन्हें उनके स्वामियों/विद्यालय के अधिकारियों को लौटाना।

फर्नीचर आदि को उसके उचित स्थान पर वापस रखना

क्रिया-कलाप X

प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में भागीदारी

विशिष्ट क्रियाकलाप

पास-पड़ोस का सर्वेक्षण तथा प्रौढ़ निरक्षरों की पहचान।

घर-घर जाकर मिलना तथा उन्हें साक्षरता की कक्षाओं में आने के लिए मनाना।

उनकी आयु, व्यवसाय और रुचियों के अनुसार निरक्षरों के समूह बनाना।

उनकी क्षमताओं और रुचियों के आधार पर छात्रों के समूह बनाना।

शिक्षक के निर्देशन और मदद से साक्षरता सामग्री का चयन।

कार्यक्रम चलाने के लिए स्थान और भौतिक (वस्तुओं) की व्यवस्था करना।

शिक्षण सामग्री के चयन सहित शिक्षण की पर्याप्त तैयारी करना।

प्रौढ़ों को समूह में पढ़ाना।

कक्षा में एक साथ मिलना तथा कार्य की प्रगति और समस्या, यदि कोई है तो, का पुनरीक्षण करना।

अनुभव के आधार पर शिक्षण की विधियों और प्रक्रियाओं को सुधारना।

प्रौढ़ साक्षरता की प्रगति का मूल्यांकन करना तथा रिकॉर्ड रखना।

क्रिया-कलाप XI

कक्षा में उपयोग के लिए सामग्री

विशिष्ट क्रिया-कलाप

- उस संकल्पना/प्रकरण/ पाठ की पहचान, जिसके लिए शिक्षण सामग्री तैयार करनी है।
- तैयार की जाने वाली शिक्षण सामग्री की पहचानः उन्मेष कार्ड, चार्ट, माडल, कतरन रजिस्टर, फ्लैनल बोर्ड, काम चलाऊ उपकरण आदि।
- शिक्षण सामग्री की प्लान/काम चलाऊ रेखांकन करना तथा आवश्यक उपकरणों और सामग्री की सूची बनाना।
- इसे बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करना।
- शिक्षक के निर्देशन में शिक्षण सामग्री तैयार करना।
- इसकी प्रभाविता और कमियों को जानने के लिए प्रतिदर्श छात्रों पर शिक्षण सामग्री का उपयोग।
- कमियों को दूर करना।
- उपयेाग के लिए विद्यालय के अधिकारियों को सौंपना।

10. कला शिक्षा

तर्काधार

कला शिक्षा शिक्षार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए पाठ्यचर्या-क्रियाकलाप के क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण अंग है। कला परितोष की प्रक्रिया है, जो रचनात्मक, सृजनशील और आनन्दमय रीति से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। कलाशिक्षा अभिव्यक्ति (मौखिक और अमौखिक) की विविध प्रक्रियाओं के अन्वेषण में सहायक है। पर्यावरण के एकाग्रचित्त पर्यवेक्षण से यह सृजनशील अभिव्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करती है तथा बुद्धि को प्रखर बनाती हैं विविध प्रकार की सामग्री से परिचय के द्वारा यह अभिरुचियों के अन्वेषण में सहायता करती है। यही नहीं अभिव्यक्ति की वैयक्तिक विधा और शैली की पहचान में भी यह सहायक है। यह परिवेश के अन्दर और बाहर तथा क्षेत्र विशेष में प्रचलित कला की विविध विधाओं के विषय में ज्ञानवृद्धि करती है। इतना ही नहीं, प्रयोग और अन्वेषण की प्रक्रिया में इसके द्वारा विभिन्न औजारों और अन्य कला-सामग्री के उपयोग में कुशलता का विकास होता है। स्पेस संगठन रंगों, विधाओं, रेखाओं, विन्यास गति, ध्वनि, आदि के अन्वेषण की प्रक्रिया में शिक्षार्थी में संगठन और अभिकल्प का बोध विकसित होता है। कला उनमें वैयक्तिक छवि तथा घर, विद्यालय और समुदाय के सन्दर्भ में अनुशासन का भाव जाग्रत करती है। यह कलात्मक अभिरुचि और सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक धरोहर के प्रति आदर का विकास करती है।

सृजनशील कला की अभिकल्पना में सामान्यतः ज्ञात कला-विधाओं के सभी तत्त्व सम्मिलित किए जाते हैं। कला की विधाएं ये हैं : चाक्षष निष्पादन और भाषिक कला जैसे संगीत, नृत्य, नाटक, रेखांकन और चित्रकला, प्रतिरूपण और मूर्तिकला या निर्माण कार्य, कुम्हारी और मृत्तिका शिल्प, कविता और रचनात्मक लेखन तथा अन्य सम्बन्धित शिल्प विधाएं।

उद्देश्य :

कला शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों और ज्ञान को समेकित करने में सहायता करना।
- विद्यार्थी के नवीन माध्यम और तकनीक तथा सृजनशील अभिव्यक्ति के लिए उनके उपयोग से परिचय कराना। इससे वे सामान्य उपयोग की वस्तुएं बना सकेंगे।
- लोक कलाओं, स्थानीय विशिष्ट कलाओं तथा अन्य सांस्कृतिक घटकों के विषय में ज्ञान के विकास के अवसर प्रदान करना। इससे उनका राष्ट्रीय धरोहर के विषय में ज्ञान बढ़ेगा और वे उसकी प्रशंसा कर सकेंगे।
- जीवन की दैनन्दिन परिस्थितियों में विद्यार्थी को कलात्मक सुरुचि और सौंदर्य बोध के उपयोग में सहायता करना।
- सामाजिक प्राणी के रूप में विद्यार्थी के संतुलित विकास में सहायता करना। यह विकास प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित परियोजना के द्वारा होगा।

- स्थानीय कलाकारों/कलावंतों के जीवन और कार्य से परिचय कराना।
- समुदाय की सहायता से और स्थानीय रूप में उपलब्ध सामग्री के द्वारा सृजनशील अभिव्यक्ति का विकास करना।
- प्राकृतिक सौंदर्य और कला विधाओं के मूल तत्त्वों की प्रशंसा के भाव को परिष्कृत करना।

कला के क्रियाकलापों की पद्धति

माध्यमिक स्तर पर कला शिक्षा, स्थानीय लोक कला और शिल्प तथा लोक नाट्य के अधिक निकट होती है। कला केवल पुराने कलाकारों का अंधानुकरण या शिक्षकों के कार्य की यथारूप अनुकृति नहीं है। यह तो सृजनशील और कल्पना शील रीति से शिक्षार्थियों की अपने आप की अभिव्यक्ति में सहायता देती है। सृजनशील कलाएं कार्य शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती हैं। कार्य शिक्षा में कुछ कलात्मक क्रियाकलापों को कार्यान्वित किया जा सकता है, लेकिन इसकी पद्धति और कृति भिन्न होगी।

शिक्षार्थी के हित में यही है कि जहां तक संभव हो, विद्यार्थियों के समक्ष सृजनशील कलाओं के सभी माध्यम रखे जाने चाहिए, ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार, कला की किसी एक विधा या कला की विधाओं के किसी समुच्चय को चुन सकें। वे हैं

चाक्षुष कलाएं

- दो आयामी या चित्रात्मक

  रेखांकन और चित्रकला

  कोलाज बनाना

  छापा तैयार करना

  फोटोग्राफी

  कम्प्यूटर चित्र (जहां संभव हो)

- **तीन आयामी**

  मृदा प्रतिरूपण और कुम्हारी

  उत्कीर्णन और मूर्तिनिर्माण

  निर्माण

निष्पादन कलाएं

- संगीत (गायन, वादन)
- संचलन और नृत्य।
- सृजनशील नाटक तथा कठपुतली।
- सृजनशील लेखन और काव्य

कला शिक्षा के साधन

स्कूलों में कला के कार्यक्रमों में प्रदेश विशेष के लोकाचार का प्रतिबंधन होना चाहिए। संगीत काव्य, नृत्य नाट्य और विधाओं की रचना में कलात्मक अभिव्यक्ति प्रारम्भिक काल से ही मानव जीवन का अंग रही है। यह कोई नई और अपरिचित नहीं है अपितु यह तो मानव अस्तित्व का अभिन्न अंग है। स्थानीय परिवेश और कलाओं से परिचय, विद्यालय के कला कार्यक्रम का अनिवार्य क्रियाकलाप होना चाहिए।

वैयक्तिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त, कलाएं, प्राचीन काल और वर्तमानकाल में दिए गए योगदान का अध्ययन और रसास्वादन करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। संगीत, चित्रों, नृत्य और नाटक का मूल्यांकन सीखकर व्यक्ति में सौंदर्यपरक संवेदनशीलता तथा भावुकता विकसित हो जाती है और वह इस प्रकार अन्य संस्कृतियों से संबद्ध लोगों को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है। हम एक सद्भावपूर्ण समाज, एक सृजनशील राष्ट्र या प्रशंसापूर्ण भावों से अभिभूत एक अलग संसार की रचना कर सकते हैं। इसके लिए यह अत्यावश्यक है कि विद्यालय के कला संबंधी कार्यक्रम बच्चे द्वारा क्षेत्र की कला परम्परा से अवगत हों। क्षेत्र कलाओं से परिचय के द्वारा उसमें शक्ति और विश्वास का संचार होगा और वह संस्कृति तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए योगदान का आदर और प्रशंसा कर सकेगा।

विद्यालयों में सृजनशील कार्यक्रमों के लिए सदैव परिष्कृत सामग्री और उच्च कोटि के संसाधनों की ही आवश्यकता नहीं होती है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तो सृजनशील कलाओं का बोध है जिसके लिए कौशल स्वतः विकसित हो जाते हैं तथा बच्चों के साथ काम करने और खेलने का परितोष है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का सृजनशील अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है तथा समुदाय के विशेषज्ञों की सहायता भी ली जा सकती है।

पाठ्यक्रम

(क) चाक्षुष कलाएं

अगर विद्यालय विभिन्न माध्यमों के लिए कला-शिक्षकों की व्यवस्था कर सकते हैं तो निम्नलिखित पाठ्यक्रम को चुना जा सकता है। सामग्री/माध्यम और तकनीक के संदर्भ में निम्न क्रिया-कलाप निर्धारित हैं :

दो आयामी अथवा चित्रात्मक क्रियाकलाप

- चाक्षुष संसाधनों और सृजन अभिव्यक्ति के साधनों का अध्ययन :

  दो आयामी स्पेस का दो आयामी व तीन आयामी रूप व आकार में संगठित करते समय रेखाओं, रंगों, आभाओं, रंग संगतियों, विन्यासों आदि का अध्ययन।

  प्रकृति और परिवेश का रेखांकन।

  अंतराल, वायुमंडल, व्यक्तिनिष्ठ मनःस्थिति के प्रदर्शन के लिए रंगों का सृजनशील उपयोग।

  स्थानीय संबद्धता के परिप्रेक्ष्य का सृजनात्मक प्रयोग

  देवनागरी और रोमन अक्षरों (लिपियों) के सुलेखीय आघातों का अध्ययन।

  वैषम्य प्रभाव का कला के अभिव्यंजक तत्त्व के रूप में उपयोग।

  उनकी उपलब्धि की सीमा तक विभिन्न माध्यमों और तकनीकों का अध्ययन और उपयोग।

  पेन्सिल, काठकोयला, जलरंग, क्रेऑन तेल रंग, पोस्टर रंग और अपारदर्शीवर्णचित्रण, ऐक्रिलिक

रंग और रंगों के अपारंपरिक स्रोत जैसे सिंदूर, लाल और पीली मिट्टी, चावल का आटा और उपकरण जैसे जल रंगों और तेल रंगों की चित्रण तूलिकाएं, चित्रण सतह जैसे विविध प्रकार और गुणता के कागज, जैसे चिकना, खुरदरा, मोटा, पतला आदि, चित्रपटी, हार्ड बोड, कागज पर सामान्य वस्त्र आदि।

विविध रंगों के कागजों और रंगीन मुद्रित चित्रों, मैगजीन और समाचारपत्रों से फोटो/चित्रों से समुचित चित्र तथा चित्तिल कार्य।

छापे बनाना : एकल छपाई, काष्ठ ब्लाक से छपाई, लाइनों कट और धातु पर्ण : सेरीग्राफी (रेशम स्क्रीन), स्व निर्मित स्टेन्सिल आदि।

कम्प्यूटर चित्रों का मूलभूत ज्ञान (जहाँ कहीं संभव है)

तीन आयामी या मूर्तिकला सम्बन्धी क्रिया-कलाप

- मृत्तिका के मूल विधाओं का अध्ययन

  विविध सामग्री जैसे मृत्तिका, पैरिस प्लास्टर, **सेलखड़ी (मुलायम पत्थर)** काष्ठ (ब्लाक, टहनियां और शाखाएं, जड़ें आदि) धातु कतरनों, प्लास्टिक चादरों, तारधागों, कागज और गत्तों, सब्जियों तथा अन्य फेंके गए उपलब्ध पदार्थों का अध्ययन।

  प्राकृतिक और मानवकृत आकृतियों, मानव आकृति पक्षियों, जीव जंतुओं, वनस्पति और अन्य वस्तु जैसे घरेलू वस्तुएं, भवन या जैसी विद्यार्थियों की इच्छा, का अध्ययन।

  दैनन्दिन उपयोग की वस्तुओं का समूह तथा भिन्न दृश्य विधान और विन्यास।

नियत कार्य

भिन्न माध्यमों और तकनीकों में दो और तीन आयामी व्यक्ति निष्ठ विधाओं, उपयोगी और प्रकार्यात्मक कला और शिल्प विधाओं में नियत कार्य चित्र, भित्ति चित्र, आलेख, मृत्तिका प्रतिरूपण, काष्ठ उत्कीर्णन, सेलखड़ी, पैरिस प्लास्टर ईट निर्माण का खंड, समुचित चित्र, जड़ाऊ काम, मृदभांड और मृत्तिका भांड, मुखौटे, कठपुतलियां, वस्त्ररूपांकन (बंधेज (बांधनू) और (बाटिक, और ब्लाक छपाई सहित) पोस्टर रूपांकन, अभिन्यास चित्र तथा फोटोग्राफी आदि।

कला-क्रियाकलाप का विद्यालय के अन्य क्रियाकलापों से सह सम्बन्ध

- कठपुतली बनाना, उनके परिधान बनाना, कठपुतलियों का कामचलाऊ मंच या रंगमंच, गृहविज्ञान और कला (नाटक) विषयों से सह सम्बन्ध/पास-पड़ोस की भूमि को भूदृश्य निर्माण द्वारा भौतिक पर्यावरण का सौंदर्यपरक संघटन। वृक्ष और अन्य फूलों वाले पौधे तथा सब्जियाँ लगाकर भूदृश्य निर्माण किया जा सकता है तथा इसे कृषि, गृहविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के क्रियाकलापों से जोड़ा जा सकता है।
- मंच विन्यास उपकरणों का निर्माण जैसे परदे पृष्ठ पर मंच प्रकाश, काम चलाऊ फर्नीचर आदि उपयोगी (शिल्प) वस्तुओं का रूपाकंन तथा कार्य शिक्षा के क्रिया-कलापों से सह-संबंध स्थापित करना।
- विद्यालय की पत्रिका बुलेटिन बोर्ड़ों का रूपांकन विद्यालय के उत्सवों के लिए पोस्टर बनाना, बधाई/निमंत्रण पत्र बनाना, संगीत, नृत्य नाटकों के लिए मंच दृश्य बनाना तथा अनुप्रयुक्त कला के क्रियाकलापों से सह सम्बन्ध स्थापित **करना।**

टिप्पणी : ये क्रियाकलाप तथा अन्य सामूहिक क्रिया-कलापों को परियोजना के रूप में या व्यक्तिगत स्तर पर पूरा किया जा सकता है।

सामूहिक क्रिया कलाप

- छात्रों के आवधिक और सत्र कार्य के प्रदर्शन और प्रदर्शनियों का आयोजन।
- उनकी अन्योन्यक्रिया और ज्ञान की सीमा को और अधिक विस्तार देने के लिए अंतर्विद्यालय प्रदर्शनियों का आयेाजन करना।
- प्रादेशिक और लोक कला की पारंपरिक विधाओं सहित समुदाय के उत्सव और समारोहों, सांस्कृतिक संध्याओं संगीत गोष्ठियों, फिल्म प्रदर्शनों तथा अन्य निष्पादनों का नियोजन और आयोजन।

  पर्यावरण और सांस्कृतिक विविधताओं की अधिक जानकारी के लिए संग्रहालयों, वानस्पतिक उद्यानों, चिड़ियाघरों और कला वीथियों और कला संस्थानों की अध्ययन यात्राओं में भागीदारी।

कला और संस्कृति का सैद्धांतिक बोध

- सामाजिक अध्ययन पर आधारित भारतीय कला और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण पक्षों पर संक्षिप्त टिप्पणियां। इस प्रकार के आलेखों का आधार पाठ्य पुस्तकों में मुद्रित कलाकृतियों का पुनर्मुद्रण हो सकता है।
- किसी भी एक समकालीन कलाकार का योगदान।
- पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान : आकृति संघटन, आलेख, विधा, परिमाण, अंतराल (स्पेस), कांति छापा बनाना, समुच्चित चित्र, अध्यवसायी, उद्भृति का प्रतिरूपण, जड़ाऊ काम, सुलेखन, विन्यास, पोस्टर और संघटन।

(ख) निष्पादन कलाएँ

संगीत (गायन)

- **सिद्धांत**

  पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान संगीत, नाद, स्वर, शुद्ध, कोमल, तीव्र, सप्तक, मंद्र, मध्य तार, आरोह अवरोह, राग, लय, मात्रा, ताल, आवर्तन, समताल।

  पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पुरेंदर दास द्वारा निर्धारित स्वर लिपि पद्धति।

  संगीत के इतिहास की रूपरेखा।

  व्यावसायिक क्रियाकलाप।

  राष्ट्रगान।

  समुदाय में गाने के लिए पंद्रह गीत।

  वर्ष के समय का संकेत करते हुए तथा अवसर और उत्सव विशेष से सम्बन्धित विभिन्न प्रदेशों के पाँच लोक गीत या जनजातीय गीत। उसी गीत का अर्थ लिखना तथा लय का ज्ञान।

  भारत के संतकवियों के भजन तथा पाँच भक्ति गीत।

टैगोर के गीत सहित मातृभाषा के अलावा प्रादेशिक भाषाओं के तीन गीत।

देशभक्ति के तीन गीत या सार्वभौम प्रेम और मैत्री के विषय पर गीत।

- तालबद्ध और अलंकार के द्वारा स्वर और लय के उचित भाव की सृष्टि करना।
- निम्नलिखित में से किन्हीं चार रागों की संरचना से परिचय : यमन, काफी, खमाज, भूपाली, नट, कल्याणी, सवेरी, तोडी (जापुरा तबला या मृदंग की संगत के साथ) गुरुजी को राग और इसके स्वरों के विशिष्ट लक्षणों को इस तरह समझाना चाहिए कि विद्यार्थी राग के गुणों और इसमें विभिन्न स्वरों के योगदान को पहचान सकें।
- निम्नलिखित ताल और उनके ठेके : कहरवा, दादर, तृताल (तीन ताल), झपताल, चौताल, अलंकार ताल

परियोजना कार्य

- महान संगीतकारों के चित्र उनके परिचय की टिप्पणी के साथ एकत्र करना, सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों के फोटो या चित्र तथा उनके बजाने वाले कलाकारों के चित्र भी एकत्र करके कतरन पुस्तिका में चिपकाना।
- रेडियो और टी.वी. पर संगीत के कार्यक्रमों को सुनना तथा उनके निष्पादन पर संक्षिप्त विवरण लिखना और अपनी कतरन पुस्तिका में चिपकाना।

संगीत (रागात्मक वाद्य)

- **सिद्धान्त**

  पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान : संगीत, ध्वनि, नाद, स्वर (शुद्ध, कोमल, तीव्र) सप्तक (मंद्र मध्य, तार) आरोह, अवरोह, राग, गत, लय, मात्रा, ताल, आवर्तन, समताल, खाली, लघु द्रुतम्, अनुद्रुतम्।

  पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पुरंदर दास द्वारा निर्धारित स्वर लिपि पद्धति का ज्ञान।

  कम से कम चार वाद्य यंत्रों, उनके मुख्य अवयवों तथा उनसे निकलने वाली ध्वनि (संगीत) पर संक्षिप्त टिप्पणियां।

- **व्यावहारिक क्रिया कलाप**

  निम्नलिखित में से किसी एक वाद्य यंत्र के सुर मिलाना तथा बजाना : सितार, सरोद, वायलिन दिलरुबा या इसराज, बांसुरी, जलतरंग, मंडोलिन, गिटार (तबले की संगत के साथ)

- वाद्य यंत्रों को बजाने वाले विद्यार्थियों को समुदाय गायन को चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए या वे फिर उन्हें पाठ्यक्रम के दिए गए रागों या सुगम संगीत और लोक धुन पर आधारित वाद्य वृंद की अनुमति होनी चाहिए।
- तालबंध अलंकार के द्वारा स्वर और लय के उचित भाव की सृष्टि करना। विस्तृत विवरण सहित निम्नलिखित राग : यमन, खमाज, भूपाली, काफी भोपाली, नट्टाई, कल्याणी, तोड़ी, सवेरी (तानपुरे और तबले की संगत के साथ)
- अपने ठेकों सहित निम्नलिखित पांच ताल : कहरवा, दादरा, तृताल (तीन ताल), झपताल, चौताल।

सृजनशील नाटक

यह अवस्था है, जिसमें युवा लोग नाट्यकला और संबंधित शिल्प से परिचय प्राप्त करते हैं तथा साहित्य के द्वारा नाट्य बोध को विस्तृत करते हैं। सृजनशील नाटक का उनका पूर्व अनुभव निम्नलिखित क्षेत्रों की खोज में सहायक होगा।

- **सिद्धान्त**

  पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान : मूक अभिनय, नाट्य आलेख, संचन, चरित्र चित्रण, मंच, मंच उपकरण, मंच-परिधान, मंच संचलन, मंच प्रकाश एकांकी आदि।

- **व्यावहारिक क्रिया-कलाप**

  लयबद्ध संचलन और मूकाभिनय में मंच भय से मुक्ति की तैयारी।

  चरित्र चित्रण में अभ्यास।

  संवाद बोलने का अभ्यास।

  (1) दैनन्दिन जीवन की परिस्थितियों में घटी घटनाएँ।

  (2) पाठ्यपुस्तक की कहानियों या कहानी की पुस्तकों की घटनाएँ।

  (3) शास्त्रीय नाटकों के संक्षिप्त दृश्यों पर आधारित कथावस्तु और संघर्ष की रचना के अभ्यास।

- **मंच शिल्प**

  उपकरण सहित मंच का नियोजन तथा प्रकाश के स्रोतों का अवस्थापन, रेखांकन द्वारा या प्रतिरूपण द्वारा नाटक के चरित्र के संचलन का नियोजन।

  नाटक के चरित्रों के परिधानों का रूपांकन

  नाटक-लेखन

  बिना आलेख वाले नाटक को अभिनेय आलेख के रूप में लिखना।

टिप्पणी दर्शकों के सामने विधिवत निष्पादन इस अवस्था में अच्छे काम के लिए प्रेरणादायक हो सकता है।

अध्यापकों के लिए संकेत

- विद्यार्थियों को अकेले तथा छोटे-छोटे समूह में तथा बालक-बालिकाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- शिक्षार्थियों को महान कलाकारों की तकनीक, प्रक्रिया और काम के विषय में पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- विद्यार्थियों को नए माध्यमों और उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। इस प्रकार वे अपने सामने वाली विभिन्न समस्या समाधानात्मक स्थितियों की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।

- विद्यार्थियों को पहल करने तथा अपने काम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- किशोर बालक प्रौढ़ प्रभाव, प्रौढ़ क्रियाकलाप और कार्यशैली से प्रभावित होता है। अतः वह प्रौढ़ क्रिया कलापों और उनकी कार्यशैली का अनुकरण करने लगता है तथा उन्हें आदर्श मान लेता है। इस अवस्था में शिक्षक को चाहिए कि वह किशोर बालक को उसके कार्य की मौलिकता और अद्वितीयता से अवगत करवाए तथा उसे कार्य करने की अपनी पद्धति और शैली विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि प्रौढ़ों के कार्य में बहुत अधिक विविधता और भिन्नता होती है।
- शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहानुभूतिमूलक सम्बन्ध विकसित करने चाहिए तथा उन्हें स्थानीय समुदाय के कलात्मक क्रियाकलापों के विषय में जानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- शिक्षक को विद्यार्थियों की सहायता से स्टूडियो/कला कक्ष/रंगशाला/मंच की स्थापना करनी चाहिए।
- शिक्षक को संग्रहालयों, ऐतिहासिक प्रदर्शनियों, वानस्पतिक और प्राणी उद्यानों, नाटक और स्थानीय नाटक के क्रियाकलापों, संगीत और नृत्य गोष्ठियों और फिल्म प्रदर्शन में विद्यार्थियों को ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।
- शिक्षक को, प्रदर्शन और प्रदर्शनियों के तथा महानकलाकारों के संगीत और अन्य निष्पादनों के नियोजन और आयोजन के बच्चों की सहायता करनी चाहिए।
- शिक्षक को अन्य विषयों के शिक्षकों के साथ मिलकर अन्य विषयों से सम्बन्धित कला के क्रियाकलापों की परियोजनाएं विकसित करनी चाहिए।
- शिक्षक का विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय रूप से उपलब्ध कामचलाऊ औजारों और उपकरणों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- शिक्षण पद्धति आगमनात्मक होनी चाहिए तथा विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपने संसाधनों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीकों में प्रत्यक्ष निर्देशों से बचना चाहिए। उन्हें, सामग्री माध्यम, उपकरण और तकनीक की खोज के द्वारा अपनी शैली और तकनीक विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

11. शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, छात्र और समुदाय के सम्पूर्ण स्वास्थ्य से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त, शारीरिक स्वास्थ्य में छात्र का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य की केवल बीमारी या अयोग्यता का न होना ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित करता हे। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, छात्र को स्वास्थ्य की उस अवस्था को प्राप्त करने के लायक बनाना है कि यह सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए एक शिक्षा बन जाए।

इस सम्बन्ध में, यह कहना सच है कि स्वास्थ्यप्रद रहन-सहन की आदत शारीरिक शिक्षा के लिए एक नींव का कार्य करेगी। ऐसा माना गया है कि विद्यालय स्तर पर सौन्दर्यपूर्ण मूल्यों को बढ़ावा देने का कोई भी प्रयास, शारीरिक कल्याण के लिए एक स्वाभाविक सम्मान को शामिल करेगा। शरीर की निपुणता, इसकी शक्तियों और गुणों को ज्ञान, प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता है। इसमें कौशल और क्षमताएँ विकसित की जाती हैं, माँसपेशियाँ और तन्त्रिकाएँ प्रशिक्षित की जाती हैं, संवेदनाएँ उत्पन्न की जाती हैं तथा स्वच्छ और उचित खान-पान की आदतें डाली जाती हैं। अतः स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम में पहले की तुलना में अधिक प्रणालीबद्ध प्रावधान बनाये जाएँ। सैकेंडरी स्तर पर स्वास्थ्यप्रद रहन-सहन की आदतें तन्त्रिका-तन्त्र और माँसपेशियों के समन्वयन और शारीरिक योग्यता के लिए खेल-कूद और एथलेटिक्स कुछ लक्ष्य हैं, जिन पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का कोई भी पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान देना चाहिए।

शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

मूल्यों की आमूलचूल सजगता, ज्ञान और छात्रों में स्वास्थ्य की दिशा में वाँछित आदतें और दृष्टिकोण उत्पन्न करना तथा उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा उठाना।

छात्रों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से योग्य बनाना और उनके व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों को विकसित करना, जो उन्हें अच्छा मानव बनने में मदद करेंगे।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के बारे में एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना।

व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्वास्थ्य की पहचान करना तथा स्वस्थ बने रहने के लिए इन समस्याओं को रोकने तथा नियन्त्रित करने के लिए सुसंगत वैज्ञानिक ज्ञान एवं जानकारी अर्जित करना।

(i) उनके स्वयं के स्वास्थ्य, (ii) उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और (iii) उनके समुदाय में इर्द-गिर्द लोगों के स्वास्थ्य की, जब आवश्यक हो उपलब्ध सामुदायिक संसाधनों से मदद माँगते हुए, रक्षा करने तथा उन्हें संवर्धित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्यवाही करना।

परिवारों और समुदाय में संविर्धित निवारक और उत्साहवर्धक स्व-देखभाल आदत को बढ़ावाना देना।

समुदाय में एच.आई.वी., एड्स तथा नशीली दवाओं के बारे में सजगता बढ़ाना।

व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में शारीरिक योग्यता और आंगिक दक्षता के महत्व के बारे में सजगता बढ़ाना।

मौलिक प्रक्रियाओं को अपनी पसन्द की शारीरिक गतिविधियों में बदलने के बारे में जागरूकता पैदा करना।

आत्म-सन्तोष तथा इसे जीवन का अंग बनाने के लिए व्यायाम और खेल-कूद में रुचि बढ़ाना।

अंदरूनी-गुणों को विकसित करने के लिए व्यक्ति विशेष को योग्य बनाना जैसे स्वयं पर नियन्त्रण, अनुशासन, साहस, विश्वास और दक्षता।

व्यक्ति को जिम्मेदारी की भावना, देश-भक्ति, आत्म-बलिदान दर्शाने तथा बेहतर तरीके से समुदाय की सेवा करने के योग्य बनाना।

आत्म-रक्षा और आत्म-निर्भरता के महत्व की जागरूकता विकसित करना।

एक अच्छी मुद्रा विकसित करने की जागरूकता बढ़ाना ताकि वह अच्छी मुद्रा बनाये रखने के लिए तत्पर रहें।

व्यक्ति को उत्साहवर्धक और सक्रिय जीवन जीने के लिए योग्य बनाना।

व्यक्ति को एक आकर्षक तरीके से सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार पद्धतियाँ अपनाने के लायक बनाना।

विद्या (सीखने) के निष्कर्ष

इस स्तर पर शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा में पाठ्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित बातें हासिल करना है

(I) शारीरिक शिक्षा में ज्ञान के निष्कर्ष

शिक्षा, अंगों की योग्यता, औपचारिक ज्ञानेन्द्रियाँ तथा सक्षम आंगिक प्रणाली विकसित करते हैं।

वे उचित व्यायाम में संलग्न होने की आदत बनाते हैं, ताकि तत्काल और भावी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

वे तन्त्रिका-तन्त्र और माँसपेशी कौशल में वृद्धि करते हैं, जिससे आसानी और सफाई से कार्य करने की क्षमता विकसित होती है।

वे सहयोग, अच्छे खिलाड़ीपन तथा उचित खेल का दृष्टिकोण विकसित करते हैं।

वे स्व-नियन्त्रण, अनुशासन, साहस और विश्वास जैसे लक्षणों की आदत डालते हैं।

वे देश-भक्ति, आत्म-बलिदान, आत्म-निर्भरता तथा जीवित रहने की इच्छा की भावना विकसित करते हैं।

वे, खेलों में लाभ लेने या खेलकर, उनकी सराहना करके और आनन्द लेकर उनका ज्ञान अर्जित कराके खाली समय उपयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं।

(II) सुझाव योग्य गतिविधियाँ

नृत्य

खेल-कूद (प्रशिक्षण/कोचिंग सहित)

योग

एथलैटिक्स

तैराकी

युद्ध कलाएँ

(III) स्वास्थ्य शिक्षा में शिक्षा के निष्कर्ष

शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की एक वैज्ञानिक सोच विकसित करना।

वे व्यक्तिग, पारिवारिक और सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करते हैं तथा स्वस्थ बने रहने के लिए इन समस्याओं को रोकने और नियन्त्रित करने के लायक बनाते हैं।

वे स्वयं के स्वास्थ्य, पारिवार के स्वास्थ्य तथा अपने परिवार के इर्द-गिर्द के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उसे संविर्धित करने के लिए व्यक्तिगत रूप तथा सामूहिक रूप से कार्यवाही करते हैं।

वे, परिवार तथा समुदाय में संविर्धित निवारक और उत्साहवर्धक स्व-देखभाल आदत विकसित करने के लिए हमें एक तत्पर रहते हैं।

(IV) सुझाव योग्य क्षेत्र

स्वास्थ्य का अर्थ और प्रकृति

पर्यावरण और स्वास्थ्य

बड़ी-दुर्घटनाएँ, जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घातक हो सकती हैं। प्राथमिक उपचार।

पोषण

आधुनिकीकरण के स्वास्थ्य-खतरे : नशे की आदत, एच.आई.वी. और एड्स।

संक्रामक और असंक्रामक रोग। हमारे देश में दवाओं की अनुमोदित प्रणालियाँ अपवादी जा रही है।

अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य का महत्व।

शारीरिक शिक्षा की गतिविधियाँ, विद्यालय में और इसके इर्द-गिर्द उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर है। अतः शिक्षक को विद्यालय और समुदाय में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम विकसित करने चाहिए।

शारीरिक शिक्षा

कक्षा-IX और X

1. एथलैटिक्स

(क) दौड़ने वाली प्रतिस्पर्धाएँ तेज दौड़ (बाधा-दौड़ सहित) तथा मध्यम और लम्बी-दूरी की प्रतिस्पर्धाएँ। पैर टिकाने तथा शरीर को भार सहित सही शुरूआत, समापन तकनीकों, दौड़ने के एक्शन पर जोर दिया जाए।

(ख) कूदने वाली (जम्पिंग) प्रतिस्पर्धाएँ लम्बी कूद और ऊँची-कूद तकनीकों बन समेकन तथा ट्रिपल जम्प तथा पोलवाल्ट की आधारभूत बातों की शुरूआत।

(ग) फेंकने (थ्रोइंग) वाली प्रतिस्पर्धाएं गोला फेंक और चक्का फेंक तकनीकों का समेकन तथा भाला फेंक तथा हैमर थ्रो की मूलभूत बातों की शुरूआत।

(घ) विभिन्न सचल घटकों अर्थात् गति, शक्ति, सहनशक्ति, लचीलेपन तथा समन्वयकारी योग्यताओं में सुधार लाने के लिए व्यायाम कार्यक्रम में भागीदारी।

नोट (i) इस स्तर का लक्ष्य, उसके निष्पादन की प्राप्ति पर होना चाहिए और इसीलिए, विशेषज्ञता के लिए एक खेल का चयन करना चाहिए। एक से अधिक खेलों का चयन तब ही करना चाहिए, जब दोनों के बीच में तार्किक सम्बन्ध हों।

(ii) प्रतियोगिताओं से सम्बन्धित मूलभूत नियमों का परिचय।

2. जिमनास्टिक

क. पुरुष

(क) पहले से सीखे हुए कौशलों की पुनरावृत्ति

(ख) कौशल (फर्श के व्यायाम)

हैड स्प्रिंग,

राउंड-ऑफ

(ग) वॉल्टिंग होर्स

चौड़े घोड़े पर स्ट्रेडल वॉल्ट

चौड़े घोड़े पर हैंड स्प्रिंग

लंबे घोड़े पर चढ़ना और बैठना

लंबे घोड़े पर-खड़ी हुई मुद्रा से स्ट्रेडल

(घ) समानान्तर बार (डंडे)

विभिन्न प्रकार की चढ़ाई और उतराई

एक बार का रॉल

शोल्डिर स्टैंड

'एल' स्थिति पकड़

(ड) क्षैतिज (होरिजोंटल) बार

विभिन्न प्रकार की पकड़

पीछे से पलटना (बैक टर्नओवर)

एक टांग पर सर्कल फॉरवार्ड

साधारण स्विंग

ख. महिला

(क) पूर्ववर्ती कक्षा में सीखे गये कौशलों की पुनरावृत्ति

(ख) कौशल (फर्श के व्यायाम)

एक हाथ से कार्टव्हील

राउंड ऑफ

(ग) संतुलन बीम

नृत्य सम्बन्धी कलाएँ

मुड़ने वाली मुद्राएँ

फ्रन्ट रॉल और बैंक रॉल

विभिन्न सन्तुलन

(घ) वॉल्टिंग होर्स

चौड़े घोड़े पर स्ट्रेडल वॉल्ट

वुल्फ वॉल्ट (साइड वॉल्ट)

कैट स्प्रिंग और जंप

(ग) जिमनास्टिक के लिए आवश्यक सचल घटकों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन व्यायाम।

3. योग

धनुरासन

कुक्कुटासन

मयुरासन

सुप्तवज्रासन

वकासन

गौमुखासन

सुप्त-पवन मुक्तासन

हलासन

शलभासन

नौकासन

नौकासन

शीर्षासन

सूर्य नमस्कार

4. प्रमुख खेल

(निम्नलिखित से किन्हीं दो का चयन किया जाए)

(क) क्रिकेट

(ख) फुटबाल

(ग) हॉकी

(घ) बास्केट बॉल

(ड) बॉलीबाल

(च) हैंडबाल

(छ) खो-खो

(ज) कबड्डी

(झ) टेबल-टेनिस

(झ) बैडमिंटन

(ण) बैडमिंटन

(ट) कुश्ती

(ठ) जूडो

मौलिक कौशलपूर्ण पद्धतियों की सिखलाई के समेकन पर जोर दिया जाए। यदि उपलब्ध हो, तो इन खेलों को पूरे आकार के मैदान में खेला जाए। यदि केवल छोटे आकार का खेल-क्षेत्र उपलब्ध है, तो इन खेलों को रूपांतरित रूप में खेला जाए।

विभिन्न सचल घटकों अर्थात् गति, शक्ति, सहनशक्ति, लचीलापन तथा समन्वयकारी योग्यताओं में सुधार लाने के लिए व्यायाम कार्यक्रमों में भागीदारी।

खेलों से सम्बन्धित मूलभूत नियमों का परिचय।

5. तैराकी

(क) प्रतिस्पर्धात्मक दूरियों का प्रयोग करते हुए सभी स्ट्रोकों की तकनीकों तथा मौलिक कौशलपूर्ण पद्धतियों की सिखलाई के समेकन पर जोर दिया जाए।

(ख) तैराकी से सम्बन्धित विभिन्न सचल घटकों में सुधार लाने के लिए व्यायाम कार्यक्रमों में भागीदारी।

(ग) वाटर-पोलो कौशल और गोताखोरी (डाइव) का समेकन।

(घ) तैराकी वाटर पोलो तथा गोताखोरी के मौलिक नियमों का परिचय।

नोट इस स्तर पर एक छात्र का लक्ष्य उच्च निष्पादन की प्राप्ति होना चाहिए और इसीलिए उसे विशेषज्ञता के लिए एक खेल को चुनना चाहिए। एक से अधिक खेल (प्रतिस्पर्धा) को तब ही चुनना चाहिए जब उनके बीच तार्किक सम्बन्ध हो।

स्वास्थ्य शिक्षा

कक्षा-IX

स्वास्थ्य का अर्थ एवं प्रकृति, स्वास्थ्य की पारिस्थितिकीय अवधारणा, स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आयामों की पारस्परिक निर्भरता, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटक और परिस्थितियाँ, स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धान्त और प्रणालियाँ, स्वास्थ्य शिक्षा में मीडिया की भूमिका।

लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति के सम्बन्ध में गाँवों, कस्बों और झुग्गी-झोंपड़ियों में पर्यावरणीय दशाएँ, त्याज्य निपटान कार्य, प्रदूषण रोकने के उपाय, खाद के गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे, स्वच्छ शोचालय सुरक्षित पेयजल के स्रोत, नगरपालिका जलापूर्ति प्रणाली, आवासन।

बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, सांस्कृतिक कार्य और स्वास्थ्य सहित व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वास्थ्य आदतों का सम्बन्ध।

बड़ी दुर्घटनाएँ, जिनसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दुर्घटनाएँ होती हैं, दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार घटक, आम दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामान्य सिद्धान्त, आग जलाने स्टोव/कुकिंग गैस प्रयोग करने बिजली के उपयोग, सीढ़ी-चढ़ने, सड़क पार करने यातायात के साधनों में चढ़ने, साइकिल चलाने, तैराकी, खेलने, दवाएँ और जहरीले रसायन रखने, कलाएँ निष्पादित करने, प्रयोगशालाओं में काम करने तथा इलैक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल गैजेटों तथा मशीनों पर काम करने, दुर्घटना जोखिमों को हटाने के उपायों से सम्बन्धित सुरक्षा नियम।

खरोंच, घाकों, मीच, मांसपेशियों में खिचाव, लगातार-खून बहना, हड्डी टूटना, काटे जाने या डंक मारे जाने, पानी में डूबने, बेहोश होने, सदमा, जलने के प्राथमिक उपचार उपाय : प्राथमिक उपचार के सिद्धांत, घरेलू उपचार तथा विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के कौशल।

एक व्यक्ति की पौष्टिक स्थिति को प्रभावित करने वाले घटक और परिस्थितियाँ, कैलोरी और पोषकों

के संदर्भ में शरीर की पौष्टिक आवश्यकताएँ, इन पौषकों से भरपूर सस्ता और स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन, आमतौर पर प्रयोग में आने वाले खाद्य-पदार्थों का पौषक-मूल्य, संतुलित आहार-आयु, लिंक, व्यवसाय, गर्भावस्था तथा भौगोलिक स्थिति के अनुसार इसका महत्व और आवश्यकताएँ, आहार योजना के सिद्धान्त, अल्पता बीमारियों और उनका निवारण।

कक्षा-X

आधुनिकीकरण-प्रदूषण के स्वास्थ्य-जोखिम, स्वास जोखिमों, पारिवारिक तथा सामुदायिक जीवन पर जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव।

संक्रामक और असंक्रामक रोग, सक्रामक रोगों के फैलने तथा नियन्त्रण करने में मेजबान एजेंट और पर्यावरण की भूमिका शरीर का बचाव, रोग-प्रतिरोधकता-प्राकृतिक और अर्जित, रोगों की रोकथाम के लिए नियमित चिकित्सा-जाँच का महत्व, टीकाकरण कार्यक्रम तथा बूस्टर-खुराकों का महत्व/भारत में मरणशीलता और मृत्युदर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में छात्रों और लोगों की भागीदारी का महत्व, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, अर्थ और क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की स्थापना।

अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य का महत्व, एक देश से दूसरे देश में संक्रामक रोगों के फैलने को रोकने के लिए अन्तराष्ट्रीय स्वास्थ्य-उपाय, क्वारेंटाइन उपाय, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके कार्य और गतिविधियाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व।

भारत में काम में लाई जा रही अनुमोदित चिकित्सा-प्रणालियाँ, उपलब्ध विशेषज्ञता, सलाह और गैर-सलाह वाली दवाइयाँ, आदत डालने वाली दवाइयाँ, स्व-चिकित्सा के खतरे तथा एक झोला छाप डाक्टर के पास जाना एल्कोहॉल और तम्बाकू के दुष्प्रभाव गाँव, कस्बा, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी एजेन्सियाँ।

एच.आई.वी. और एड्स की सजगता/स्वच्छंद यौन-व्यवहार तथा बाल और नशीली दवाओं के कदाचार से सम्बन्धित बुराइयों से छात्रों को परिचित कराना। किशोर-शिक्षा तथा यौन-शिक्षा को उचित तरीके से दिया जाए।

12. विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के लिए ढांचा

1. प्रौढ़ों में निरक्षता को समाप्त करने संबंधी राष्ट्रीय कार्य में वचनबद्धता और सहायक पद्धतियों के रूप में व्यापक स्तर पर विद्यार्थियों और स्कूलों का शामिल होना आवश्यक है।

2. 'विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान' कार्य अनुभव का आवश्यक संघटक बनेगा। तदनुसार कार्य अनुभव के क्षेत्र की पुर्नसंरचना की गई है और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर पाठ्यक्रम में सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखते हुए इस ओर निम्नानुसार बल दिया गया है :

   (क) अनिवार्य क्षेत्र : जिसमें बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दिए गए निर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य, विज्ञान, खाद्य पदार्थ, शरणस्थान, और 20%

   मनोरंजन आदि शामिल हो सकते हैं।

   (ख) विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान : 20%

   एक अलग और विशेष संघटक के रूप में

   (ग) वैकल्पिक कार्यकलाप : बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उपलब्ध बहुत से कार्यकलापों में से कोई एक कार्य चुनना होता है। 60%

3. ऐसे क्षेत्रों में जिनमें 100% साक्षरता प्राप्त कर ली गई है, विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के लिए निर्धारित 20% भाग को अनिवार्य क्षेत्र में नमोदिष्ट संघटक के साथ मिला दिया जाएगा। सहवर्ती रूप में, ऐसी परिस्थितियों या क्षेत्रों में अनिवार्य क्षेत्र के संघटक के लिए 40% भाग (विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के 20% सहित) और वैकल्पिक क्षेत्र के लिए 60% भाग अपेक्षित होगा।

4. विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के तहत कार्य अनुभव के एक भाग के रूप में इसे सौंपे गए 20% भाग के अनुरूप विद्यार्थियों द्वारा किए गए लाभपूर्ण कार्य को स्वीकार करते हुए अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे।

   4.1 एक प्रौढ़ (15-35) वर्ष को शिक्षित करना = 15 अंक

   4.2 दो प्रौढ़ (15-35) वर्ष को शिक्षित करना = 20 अंक

5. उन विद्यार्थियों को जो दो से अधिक प्रौढ़ों को शिक्षित करते हैं, को उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत सुझाए गए अनुसार उसी अनुपात में अतिरिक्त श्रेय दिया जा सकता है, अर्थात,

   5.1 3 प्रौढ़ों के लिए अतिरिक्त 15 अंक

   5.2 4 प्रौढ़ के लिए अतिरिक्त 20 अंक

6. ये अतिरिक्त 20 अंक कार्य अनुभव के अनिवार्य क्षेत्र से लिए जाएंगे, जिस स्कीम में 20% भाग दिया गया है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य क्षेत्र के लिए आबंटित अधिकतम 20 अंकों तथा विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के लिए निर्धारित 20 अंकों को इस कार्यकलाप के निर्धारण के लिए एक साथ मिला दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों को अंक 20 अंकों के स्थान पर जो कि उपर्युक्त 4 के अंतर्गत सामान्य मामलों में होता है, 40 अंकों में से दिए जाएंगे। तीन या अधिक प्रौढ़ों के शिक्षित

करने वाले विद्यार्थियों को अनिवार्य क्षेत्र के तहत 20 अनिवार्य क्षेत्र के तहत+20 विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के अंतर्गत को प्रयोग करने वालों के रूप में माना जाएगा।

कार्य अनुभव में उच्चतम ग्रेड पर पहुँचने की दृष्टि से यह सलाह अनिवार्य क्षेत्र, विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान और वैकल्पिक कार्यकलापों के लिए सौंपे गए भागों के अनुसार अंकों के रूप में किया जाएगा। तब संपूर्ण कक्षा के अलग-अलग अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों (तीन संघटकों को जोड़कर) को क्रमवार रखा जाएगा। अधिकतम से न्यूनतम तक जो विद्यार्थी 33% से कम अंक प्राप्त करेंगे उनको असफल माना जाएगा और ग्रेड (ड) दिया जाएगा। शेष सफल अभ्यार्थियों अर्थात् जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 33% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, में से ऊपर के एक से लेकर आठ तक के अभ्यार्थियों को क-1 ग्रेड में रखा जाएगा तथा अगले एक से आठ तक के अभ्यार्थियों को क-2 ग्रेड में रखा जाएगा और अगले अभ्यार्थियों के लिए ऐसे ही किया जाएगा।

7. उन स्कूलों में या ऐसे विद्यार्थियों के मामले में जो संबंधित क्षेत्र की भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं जहाँ पर साक्षरता कार्यक्रम आरंभ किया जाना हो तो अभ्यार्थी को या तो

   7.1 इस कार्य से छूट होगी (ऐसे मामले में साधारण परिस्थितियों में 20% भाग के स्थान पर 40% भाग के लिए अनिवार्य क्षेत्र के तहत निर्धारण किया जाएगा।)

   7.2 अथवा ऐसे अभ्यार्थियों को प्रौढ़ों को सीधे शिक्षित करने के स्थान पर विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान के अन्य संबंधित कार्यकलापों में लगाया जाएगा और उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उन्हें उपयुक्त रूप से अंक दिए जाएंगे।

8. विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य को स्वीकार करने की दृष्टि से विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान में भाग लेने के बारे में और ब्लाक अवधि के दौरान साक्षरिता किए गए प्रौढ़ों की संख्या के बारे में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के अन्त में बोर्ड द्वारा जारी किए प्रमाणपत्रों में इस बारे में भी उल्लेख किया जाएगा।

9. संस्थाओं द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह आशा की जाती है कि विशेष अभियान के तहत स्कूल ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा 2 व्यक्तियों के शिक्षित करने में सक्षम होंगे जिन्हें माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक व्यवस्था स्तरों पर प्रति वर्ष बोर्ड की परीक्षा के लिए भेजा जाता है।

10. ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी वालंटियर के लिए जो प्रोत्साहन अंकों को उपयोग में लाना चाहता हो, प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कम से कम 100 घंटे लगाना अपेक्षित होगा। इस कार्यकलाप की अनुसूची लचकदार होनी चाहिए जिसे नियमित स्कूल समय के भीतर, स्कूल समय के बाद, छुट्टियों के दौरान या ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान चलाया जा सकता है चूँकि संपूर्ण कार्यक्रम सीखने वालों पर आधारित होता है। यह अनुसूची अलग-अलग हो सकती है। प्रौढ़ों की साक्षरता को एन.एल.एम. और बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार स्कूलों द्वारा परीक्षा के आधार पर प्रमाणित करना होता है।

11. विशेष अभियान की एस.ए.एल.डी. राष्ट्रीय आन्दोलन के एक भाग के होने के कारण केवल विद्यार्थियों द्वारा अपने स्तरों पर किए गए कार्य के रूप में नहीं माना जाएगा बल्कि एक पद्धति के रूप में संपूर्ण स्कूल द्वारा आरंभ किया गया माना जाना चाहिए। संस्था के अध्यक्षता में सभी को पूर्णतया शामिल होना चाहिए ताकि ऐसे सभी अध्यापकों को शामिल किया जा सके जो इस कार्य का समर्थन और बढ़ावा दे रहे हैं। इस अभियान की सफलता के लिए अभिभावक का शामिल होना भी आवश्यक है। स्कूलों और अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन द्वारा उपयुक्त प्रोत्साहनों के बारे में भी पता लगाया जाना चाहिए।

12. स्कूल द्वारा इस कार्य को समयबद्ध और स्थान-विशेष बनाना चाहिए। वे निकट के गाँवों या समुदायों, जैसा भी मामला हो, को ले सकते हैं और निर्धारित समय अर्थात दो या तीन वर्षों के भीतर उनको शिक्षित घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार लक्ष्य को केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि स्कूल के लिए भी निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त करना अनिवार्य है। महानगरीय शहरों में ऐसे इलाकों को निकट के क्षेत्रों में पहचान नहीं की जा सकती है। अतः विद्यार्थी परिवारों को चुन सकते हैं और उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर शिक्षित घोषित कर सकते हैं।

13. विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान की बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्यों/क्षेत्रों में सामग्री की सप्लाई, शैक्षिक निविष्टियों साधारण समन्वय और कार्यक्रम की समग्र प्रभाविकता के संदर्भ में नामोदिष्ट राज्यों/क्षेत्रों में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए यह राज्यवार/क्षेत्रवार मानीटरिंग समितियां गठित कर सकता है।

14. ये मानीटरिंग समितियाँ कार्यकलापों की और कार्यक्रम के सभी संबंधित पहलुओं और स्कूलों द्वारा सीखने वाले प्रौढ़ों के रिकार्ड का अध्ययन करने के लिए प्रति वर्ष फरवरी से अप्रैल तक की अवधि के दौरान किसी भी समय पर संबद्ध संस्थाओं का निम्नलिखित दृष्टिकोण से आकस्मिक दौरे कर सकती है।

    14.1 यह पता लगाने के लिए कि क्या साक्षर किए गए प्रौढ़ों को प्रमाण-पत्र देते समय स्कूलों द्वारा उचित मूल्यांकन प्रक्रियाएं अपनायी गई हैं।

    14.2 यह देखने के लिए कि क्या विद्यार्थियों द्वारा उतने प्रौढ़ों को शिक्षित किया गया है जैसा कि उन्होंने एक वर्ष के लिए स्कूलों द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की गई निष्पादन रिपोर्ट में दावा किया है।

15. केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में मानीटरिंग और इनको नियंत्रत करने वाले संबंधित संगठनों द्वारा की जाएगी। तथापि बोर्ड भी इन संस्थाओं की मानीटरिंग करने के लिए अपनी मानीटरिंग समितियों को निर्देश दे सकता है जब भी अपेक्षित जांच के लिए आवश्यक समझा जाता है।

16. मानीटरिंग के प्रयोजन के लिए स्कूलों को निम्नलिखित कार्य अपेक्षित हैं

    16.1 विद्यार्थी-स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन अंक देने के प्रयोजन से दिए गए परिशिष्ट के अनुसार विद्यार्थी स्वयं सेवकों की उपलब्धि रिकार्ड रखना।

    16.2 प्रौढ़ नवसिखियों के रिकार्ड तैयार रखना जिसमें स्कूलों द्वारा की जाने वाली परीक्षा प्रौढ़ों की अभ्यास पुस्तकें और विद्यार्थी स्वयं सेवकों द्वारा दी गई दैनिकियाँ शामिल की जा सकती हैं।

    16.3 मानीटरिंग समिति द्वारा जाँच के लिए उन प्रौढ़ों के पूरे पते और विवरण रखना जिन्हें शिक्षित किया गया है उनके साथ अगले दिनों में बैठक की व्यवस्था की जा सकती है अथवा यदि समिति चाहती हो तो उनके स्थानों के दौरों की भी व्यवस्था की जा सकती है।

    16.4 प्रतिवर्ष फरवरी के अन्त में परिशिष्ट-ख में दिए गए विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान-2 प्रोफार्मा में बोर्ड को वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजना।

विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान-1

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली

स्कूल कोर्ड.....स्कूल का नाम.....परीक्षा

टिप्पणी : प्रत्येक वर्ष फरवरी के अन्त में क्षेत्रीय कार्यालय को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि बोर्ड कार्यालय को उपलब्धि रिकार्ड फरवरी तक नहीं पहुँचता है तो आगे कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्रम सं.	रोल नं.	परीक्षार्थी का नाम	शिक्षित किए गए प्रौढ़ों की संख्या	शिक्षित किए गए प्रौढ़ों के नाम	शिक्षित किए गए प्रौढ़ों के पते	अभ्यूक्ति

उस साक्षरता कार्यक्रम के अन्य पहलुओं का उल्लेख करें जिसमें स्थानीय भाषा का ज्ञान न होने के कारण वास्तविक शिक्षण के स्थान पर भाग लिया गया।

परिशिष्ट-ख
विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली
विशेष प्रौढ़ साक्षरता अभियान
वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा

प्रतिवर्ष फरवरी के अन्तिम सप्ताह तक विद्यार्थियों की स्वयं की उपलब्धियों सहित दो प्रतियों में क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जानी है।

स्कूल..... परीक्षा वर्ष.....

परीक्षार्थियों की संख्या : स्कूल द्वारा साक्षारित किए गए प्रौढ़ों की संख्या

माध्यमिक : .....

उच्चतम माध्यमिक.....

1. चुने किए क्षेत्र/समुदाय, कुल जनसंख्या, शामिल की गई जनसंख्या का भाग, अभियान की अवधि, के संदर्भ में कार्यक्रम की विवरणात्मक रूप रेखा, उपलब्धि की मात्रा, कमी के कारण, यदि कोई हो, किए जाने वाले कार्य, अपनायी गई पद्धति और योजनाएं, सामने आई कठिनाईयां, उनके समाधान जुटाए गए संसाधन कार्यक्रम की विशेष बातों का उल्लेख किया जाएगा। विवरण मद वार दिया जाए ताकि विश्लेषण करने में सुविधा रहे।

टिप्पणियां और सुझाव :

2.1 स्कूल के लिए

2.2 बोर्ड के लिए

2.3 अन्य संपर्क एजेन्सियां

हस्ताक्षर
स्कूल की मोहर

ध्यान दें : यदि स्थान अपर्याप्त हो तो और शीट जोड़ लें।

बोर्ड के प्रकाशनों के लिए

बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गई पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों के लिए ऑर्डर निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय को दिया जा सकता है :

1. मुख्य सहायक (प्रकाशन स्टोर)
   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
   पी.एस-1-2, इंस्टीट्यूशनल एरिया,
   पटपड़गंज, दिल्ली-110092
2. क्षेत्रीय अधिकारी,
   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
   प्लॉट नं. 1630 ए, 16 मैन रोड़,
   अन्ना नगर, (पश्चिम) चैन्नेई-600040
3. क्षेत्रीय अधिकारी,
   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
   राजगढ़ रोड, राजगढ़ तिनाली,
   गुवाहाटी-781003
4. क्षेत्रीय अधिकारी,
   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
   टोडरमल मार्ग,
   अजमेर, (राजस्थान)-305001
5. क्षेत्रीय अधिकारी,
   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
   35-बी, सिविल स्टेशन, एम.जी. मार्ग,
   सिविल लाइन्स, इलाहाबाद-211001 (उत्तरप्रदेश)
6. क्षेत्रीय अधिकारी,
   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
   सेक्टर 5,
   पंचकुला।

अदायगी की पद्धति :

(i) अदायगियां तत्काल खरीद के लिए या तो नकदी रूप में अथवा सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के नाम से बैंक ड्राफ्ट/मनीआर्डर के जरिए स्वीकार की जाती हैं। इन्हें ऑर्डर के साथ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय को भेजा जाना होता है।

(ii) डाक खर्च प्रत्येक प्रकाशन में उल्लेख किए गए मूल्य से अलग होगा।

(iii) पैकिंग प्रभार तीन प्रतिशत की दर से अलग से होगी।

छूट : प्रत्येक प्रकाशन की 10 प्रतियों या इससे अधिक प्रतियों के लिए 15% की दर छूट अनुज्ञेय है। कम प्रतियों के लिए कोई छूट नहीं है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
दूरभाष : 91-11-22509252 फैक्स : 91-11-22515826
ई-मेल : cbsedli@nda.vsnl.net.in, वेब साइट : www.cbse.nic.in